खण्ड-202, अंक-1
शुक्रवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(27 फरवरी, 1959 ई0)

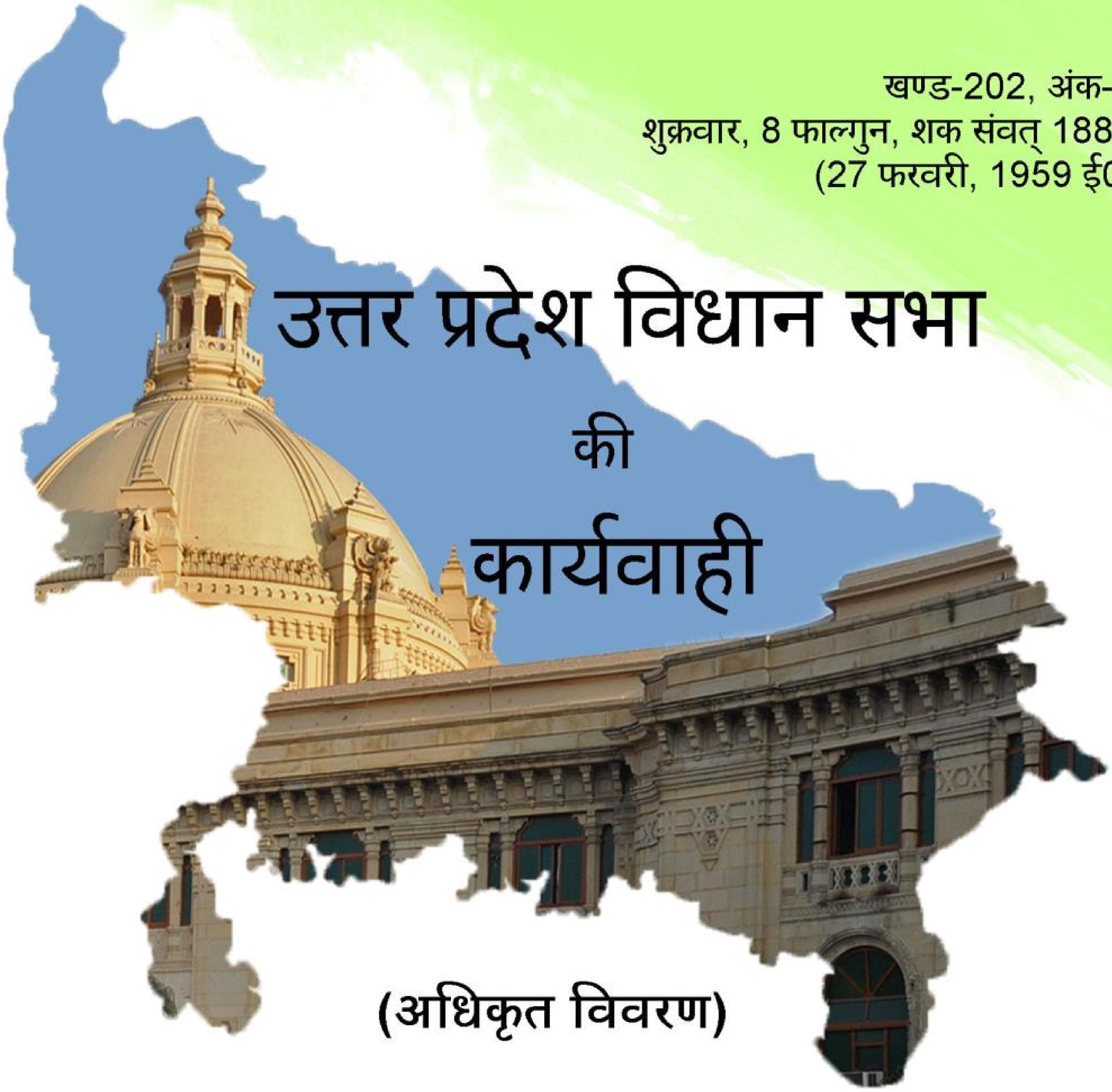

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	५–३३
इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	३३
एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३३
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषय की सूचना	३३
गन्ना क्रशर्स पर प्रतिबन्ध के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत श्रम उप-मन्त्री का वक्तव्य	३३–३८
मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की जांच कराने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का वक्तव्य	३८–४१
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक: ७—भू-राजस्व (स्वीकृत)	४१–८७
मत्थियां	८८–९८

शनिवार, २८ फरवरी, १९५९

उपस्थित सदस्य	९९–१०२
प्रश्नोत्तर	१०३–१०६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचना ..	१०६–१०८
मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग	१०८–१०९
श्री टीकाराम पुजारी द्वारा जानकारी की मांग	१०९
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २८—जेल (स्वीकृत) ..	११०–१४०
अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ५७—समाज-कल्याण (स्वीकृत) ..	१४०–१६५

सोमवार, २ मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	१६७–१७१
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१७१
प्रश्नोत्तर	१७१–१८९
उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी नियमावली, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१८९

विषय	पृष्ठ-संख्या
आश्वासन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१८९
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)	१९०–१९१
कानपुर के विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें	१९१–१९५
श्री श्याम लाल को संडीला के बाजार में गोली मार कर घायल किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन उप-मंत्री का वक्तव्य ..	१९६–१९८
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशु-पालन (स्वीकृत) ..	१९८
अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, अभियन्त्रण और गवेषणा तथा अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत (विवाद जारी)	१९८–२४४
नत्थियाँ	२४५–२७३

मंगलवार, ३ मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	२७५–२७९
प्रश्नोत्तर	२७९–२९९
कानपुर में विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज आदि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (श्री त्रिलोकी सिंह का प्रस्ताव विवादार्थ स्वीकृत) ..	३००–३०२
रामपुर की चीनी मिलों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये विषय पर वक्तव्य	३०२–३०५
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा तथा अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत (विचार जारी) ..	३०५–३४३
कानपुर में विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज आदि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (विवादोपरान्त अस्वीकृत)	३४३–३६८
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा तथा अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	३६८–३६९
नत्थी	३७०

बुधवार, ४ मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	३७१–३७५
प्रश्नोत्तर	३७५–४०४

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचना ..	४०४–४०६
श्री राजनारायण के नाम आये हुए ट्रंक काल को किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सुन लेने की शिकायत	४०६
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २८––लेखा शीर्षक ४२–सहकारिता (स्वीकृत) ..	४०६–४५६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में सूचना ..	४५६
नत्थियां	४५७–४७१

बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	४७३–४७७
प्रश्नोत्तर	४७७–५०३
प्राक्कलन समिति का (सूचना विभाग से सम्बन्धित) तृतीय प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	५०४
रजा चीनी मिल तथा कुन्दन चीनी मिल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५०४
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर अछनेरा, जिला आगरा के टाउन एरिया के चेयरमैन श्री शिव प्रसाद अग्रवाल की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	५०४–५०६
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	५०६–५०७
प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सूचना मंत्री से वक्तव्य की मांग ..	५०७
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३३––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण-कार्य––निर्माण कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण–कार्य––केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता (स्वीकृत) ..	५०८–५६१
नत्थियां	५६२–५६४

शुक्रवार, ६ मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	५६५–५६९
प्रश्नोत्तर	५६९–५९४
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५९४
बाराबंकी जिलान्तर्गत महादेवा के मेले में लाठी चार्ज के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन उप-मंत्री का वक्तव्य	५९४–५९६
रामपुर की चीनी मिलों की हड़ताल के विषय में जानकारी	५९६–५९७
गृह मंत्री द्वारा इस्तीफे के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	५९७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (स्थगित) ..	५९७–५९८

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माणकार्यों पर लागत (स्वीकृत)	५९८–६५२
नत्थियां	६५३–६५७

सोमवार, ९ मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	६५९–६६३
प्रश्नोत्तर	६६३–६८२
प्राक्कलन समिति का (सामग्री क्रय शाखा सम्बन्धित) चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६८२
सर्वश्री मदन पांडेय व मुकुन्द सिंह द्वारा अनशन के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	६८२–६८४
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५३—लेखा शीर्षक: ८५-क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	६८४–७३२
नत्थियां	७३३–७३४

मंगलवार, १० मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	७३५–७३९
प्रश्नोत्तर	७३९–७६५
उत्तर के स्पष्टीकरण की मांग	७६५
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	७६५
गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ (मेज पर रखा गया)	७६५
उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	७६५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	७६६
सोशलिस्ट सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन देने की अवधि में वृद्धि	७६६–७६७
विभिन्न स्थायी समितियों व प्राक्कलन तथा लोक सेवा समितियों के निर्वाचन कार्य-क्रम में परिवर्तन	७६७–७६८

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा तथा ५७--प्रकीर्ण, अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५४-क--प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनों तथा ५४-ख--भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते व अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि राजकीय मुद्रणालय (अनुदान संख्या ९, १९ तथा ३८ स्वीकृत और अनुदान संख्या ४० पर विचार जारी)	७६८-७७१
विभाजन फल में दलों के उल्लेख की प्रार्थना	७७१-७७२
१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि राजकीय मुद्रणालय (स्वीकृत) ..	७७२
अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय (जारी)	७७३-८२४
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (प्रस्ताव पर कि विधेयक जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय, विवाद जारी)	८२४-८३६
नत्थियां	८३७-८४२

बुधवार, ११ मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	८४३-८४७
प्रश्नोत्तर	८४७-८७३
वाराणसी में राज घाट के निकट नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	८७३
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	८७३
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	८७४-८७५
स्वतंत्र सदस्यों को विरोधी दलों के सदस्यों की अपेक्षा अधिक समय दिये जाने पर आपत्ति	८७५
विधायक निवास के एक कमरे में किसी लड़की के बन्द होने की शिकायत ..	८७६
१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय (स्वीकृत)	८७६-९३४
नत्थियां	९३५-९४२

विधान सभा सचिवालय पटना

शासन

राज्यपाल

श्री वराहगिरि वेंकटगिरि

मंत्रि-परिषद्

मंत्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, उद्योग, श्रम, सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा सदस्य, राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, विधान-सभा-सदस्य, वित्त तथा वन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा, हरिजन कल्याण तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा सहकारिता मंत्री।

मंत्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक-कर तथा परिवहन मंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, खाद्य मंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, समाज कल्याण मंत्री।

उपमंत्री

श्री सुल्तान आलम खां, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य, श्रम उपमंत्री।

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन उपमंत्री।

श्री महाबीर सिंह, विधान-परिषद्-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री।

विद्यान सभा मुद्रण

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य ।

श्री राजविहारीसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

राजस्व मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

गृह मंत्री के सभा-सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1 8 ~~35~~

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

RA
2076

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवर सिंह, श्री	पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री	कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री	नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री	अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	कोपागंज
७	अब्दुस्समी, श्री	बरौंसा
८	अभयराम यादव, श्री	जसवंत नगर
९	अमर नाथ, श्री	महराजगंज
१०	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	मिर्जापुर
११	अमोला देवी, श्रीमती	अठेहा
१२	अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री	सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री	उतरौला
१४	अलीजहीर, श्री सैयद	लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर	मिसरिख
१६	अवधेश चन्द्र सिंह, श्री	भोजपुर
१७	अवधेश प्रताप सिंह, श्री	बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री	रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री	जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	झांसी
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	राबर्ट्सगंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित (आंग्ल-भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री	सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री	गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री	सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री	बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री	बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	कानपुर शहर
३२	उल्फत सिंह, श्री	सहसवान
३३	ऊदल, श्री	कोलासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री	कानपुर शहर
३५	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	शाहाबाद
३६	कमरुद्दीन, श्री	बुधना
३७	कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी	करछना
३८	कमलापति त्रिपाठी, श्री	चन्दौली

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३९	कमलेश चन्द्र, श्री उपनाम कमले	पुवायां
४०	कल्याण चन्द्रमोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४१	कल्याण राय, श्री	शाहाबाद
४२	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	महाइच
४३	कालीचरण अग्रवाल, श्री	कासगंज
४४	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	कादीपुर
४५	किशन सिंह, श्री	ठाकुर द्वारा
४६	कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
४७	केशभान राय, श्री	मगहर
४८	केशव पांडेय, श्री	भनीराम
४९	केशव राम, श्री	बिसौली
५०	कैलाश कुमार सिंह, श्री	इस्लाम नगर
५१	कैलाश नारायण गुप्त, श्री	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५२	कैलाश प्रकाश, श्री	मेरठ शहर
५३	कैलाशवती, श्रीमती	छिल्लुपुर
५४	कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री	छिबरामऊ
५५	कृपा शंकर, श्री	नगर
५६	खजान सिंह, चौधरी	उन्नाव
५७	खमानी सिंह, डाक्टर	मुरादाबाद (देहात)
५८	खयाली राम, श्री	मोहनलाल गंज
५९	खुशी राम, श्री	पिथौरागढ़
६०	खूब सिंह, श्री	धामपुर
६१	गंगाधर जाटव, श्री	एतमादपुर
६२	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)	गोंडा (दक्षिण)
६३	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	एटा
६४	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	रसरा
६५	गजेंद्रसिंह, श्री	बिधुना
६६	गज्जूराम, श्री	ललितपुर
६७	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	बांसगांव
६८	गनेशचन्द्र काछी, श्री	भोगांव
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	बिस्वां
७०	गयाप्रसाद, श्री	कुंडा
७१	गयाबख्श सिंह, श्री	इसौली
७२	गयूर अली खां, श्री	भवन
७३	गरीबदास, श्री	कालपी
७४	गिरधारीलाल, श्री	धामपुर
७५	गुप्तारसिंह, श्री	सरेनी
७६	गुरुप्रसाद सिंह, श्री	मुसाफिरखाना
७७	गुलाबसिंह, श्री	मसूरी
७८	गेंदादेवी, श्रीमती	खलीलाबाद
७९	गेंदासिंह, श्री	पडरौना (पूर्व)
८०	गोकुलप्रसाद, श्री	चायल
८१	गोपाली, श्री	खुर्जा
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	नारायनी

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
८३	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	जालौन
८४	गोविन्द सहाय, श्री	नगीना
८५	गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री	फरेंदा (पश्चिम)
८७	गौरीशंकर राय, श्री	बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री	बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री	भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री	मोहम्मदाबाद गोहाना
९१	चन्द्रदेव, श्री	पडरौना, (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	निजामाबाद
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री	पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री	बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती	बिजनौर
९६	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री	बछरावां
९७	चरणसिंह, श्री	कोटना
९८	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	कौंच
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री	जलेसर
१००	छत्तरसिंह, श्री	खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री	आगरा शहर
१०२	छेदीलाल, श्री	श्रीनगर
१०३	छोटेलाल पालीवाल, श्री	सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री	हैदरगढ़
१०५	जगदीशनारायण, श्री	बिलारी
१०६	जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री	मोहम्मदी
१०७	जगदीशप्रसाद, श्री	हसनपुर
१०८	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री	बरेली शहर
१०९	जगन्नाथ, चौधरी	सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथप्रसाद, श्री	धौरेहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री	फिरोजाबाद
११२	जगपतिसिंह, श्री	करवी
११३	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	गंगा सलाण
११४	जगबीरसिंह, श्री	अगोटा
११५	जमुनासिंह, श्री	गुन्नौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर	हरौरा
११७	जयदेवसिंह आर्य, श्री	घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री	टांडा
११९	जरग्राम हैदर, श्री सैयद	बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहरलाल, श्री	मंझनपुर
१२१	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	कानपुर शहर
१२२	जागेश्वर, श्री	किशनपुर
१२३	जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	कांठ
१२४	जुगलकिशोर, आचार्य	गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री	मेजा
१२६	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	घाटमपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१२७	झारखंडे राय, श्री	घोसी
१२८	टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री	खैराबाद
१२९	टीकाराम, श्री	बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	सादाबाद
१३१	डूंगरसिंह, श्री	राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर	मड़ियाहूं
१३४	तिरमलसिंह, श्री	सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री	लालगंज
१३६	तेजासिंह, श्री	गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकी सिंह, श्री	लखनऊ शहर (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस० जी०	कानपुर-शहर
१३९	दर्शनसिंह, श्री	शाहजहांपुर
१४०	दशरथप्रसाद, श्री	बलरामपुर
१४१	दाताराम चौधरी, श्री	नकुड़
१४२	दीनदयालु करुण, श्री	बलरामपुर
१४३	दीनदयालु शर्मा, श्री	अनूपशहर
१४४	दीनदयालु शास्त्री, श्री	हड़की
१४५	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	देवरिया (दक्षिण)
१४६	दुर्योधन, श्री	महाराजगंज
१४७	देवकीनन्दन विभव, श्री	आगरा शहर
१४८	देवदत्तसिंह, श्री	टप्पल
१४९	देवनारायण भारतीय, श्री	जमौर
१५०	देवराम, श्री	शादियाबाद
१५१	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	अकबरपुर
१५२	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	मुजफ्फरनगर
१५३	द्वारिकाप्रसाद, श्री	कन्नौज
१५४	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	फरेन्दा (पूर्व)
१५५	धनीराम, श्री	लालगंज
१५६	धनुषधारी पांडेय, श्री	महुली
१५७	धरमपाल सिंह, श्री	तुलसीपुर
१५८	धर्मदत्त वैद्य, श्री	सिरौली
१५९	धर्मसिंह, श्री	अनूपशहर
१६०	नत्थाराम रावत, श्री	बाराबंकी
१६१	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	फरीदपुर
१६२	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	करहल
१६३	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	हाथरस
१६४	नन्दराम, श्री	कुण्डा
१६५	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	चांदपुर
१६६	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री	केदारनाथ
१६७	नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री	पिथौरागढ़
१६८	नवलकिशोर, श्री	आंवला
१६९	नागेश्वरप्रसाद, श्री	गरवारा
१७०	नारायणदत्त तिवारी, श्री	नैनीताल

विधान सभा

क्रम संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
१७१	नारायणदास पासी, श्री	..	..	बीकापुर (पश्चिम)
१७२	निरंजन सिंह, श्री	..	..	पीलीभीत
१७३	नेकराम शर्मा, श्री	..	..	अतरौली
१७४	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	..	..	अतरौलिया
१७५	पब्बरराम, श्री	..	..	गाजीपुर
१७६	परमानन्द सिनहा, श्री	..	..	सोरांव (पश्चिम)
१७७	परमेश्वरदीन वर्मा, श्री	..	..	पुर्वा
१७८	पहलवान सिंह, चौधरी	..	..	बांदा
१७९	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	..	मेरठ (छावनी)
१८०	प्रतापबहादुरसिंह, श्री	..	..	फखरपुर
१८१	प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री	..	..	लहरपुर
१८२	प्रतापसिंह, श्री	..	..	टनकपुर
१८३	प्रभावती मिश्र, श्रीमती	..	..	लम्भुआ
१८४	प्रभुदयाल, श्री	..	..	बानगंगा (पश्चिम)
१८५	फतेहसिंह राणा, श्री	..	..	सरधना
१८६	बंशीधर शुक्ल, श्री	..	..	श्रीनगर
१८७	बलदेव सिंह, श्री	..	..	महदेवा
१८८	बलदेवसिंह आर्य, श्री	..	..	शाहाबाद
१८९	बलवानसिंह, श्री	..	..	अकबरपुर
१९०	बसन्तलाल, श्री	..	..	लखनऊ (छावनी)
१९१	बादामसिंह, श्री	..	..	शिकारपुर
१९२	बाबूराम, श्री	..	..	भोजीपुरा
१९३	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	..	प्रतापगंज
१९४	बालकराम, श्री	..	..	तिलहर
१९५	बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री	..	..	डोमरियागंज (दक्षिण)
१९६	बिन्दुमती दास, श्रीमती	..	..	प्रतापगंज
१९७	बिशम्बरसिंह, श्री	..	..	हस्तिनापुर
१९८	बिहारीलाल, श्री	..	..	बीसलपुर
१९९	बुलाकीराम, श्री	..	..	हरदोई
२००	बुद्धीलाल, श्री	..	..	नानपारा
२०१	बुद्धीसिंह, श्री	..	..	बहजोई
२०२	बृजवासी लाल, श्री	..	..	बीकापुर (पश्चिम)
२०३	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	..	..	बिल्हौर
२०४	बेचनराम, श्री	..	..	ज्ञानपुर
२०५	बेचनराम गुप्त, श्री	..	..	ज्ञानपुर
२०६	बेनीबाई, श्रीमती	..	..	मऊ
२०७	बैजूराम, श्री	..	..	सिधौली
२०८	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	..	..	पडरौना (पश्चिम)
२०९	ब्रजभूषण शरण, श्री	..	..	देहरादून
२१०	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	..	कानपुर शहर
२११	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	..	भावापुर
२१२	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	..	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१३	भगवतीसिंह विशारद, श्री	..	..	भगवन्तनगर
२१४	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री	..	..	बाराबंकी

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२१५	भजनलाल, श्री	औरैया
२१६	भीखालाल, श्री	हसनगंज
२१७	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री	इटावा
२१८	भूपकिशोर, श्री	अलीगंज
२१९	मंगलाप्रसाद, श्री	मेजा
२२०	मंजूरुलनबी, श्री	सहारनपुर
२२१	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	नौगढ़
२२२	मदनगोपाल वैद्य, श्री	अमीसन
२२३	मदन पांडेय, श्री	तिलपुर
२२४	मदनमोहन, श्री	फैजाबाद
२२५	मन्नालाल, श्री	मोहमदी
२२६	मलखान सिंह, श्री	सिकन्दराराव
२२७	मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)	मैनपुरी
२२८	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	डासना
२२९	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	स्वार टांडा
२३०	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	मुजफ्फराबाद
२३१	महमूद हुसैन खां, श्री	सम्भल
२३२	महादेवप्रसाद, श्री	फखरपुर
२३३	महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	केवाई
२३४	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ शहर (मध्य)
२३५	महीलाल, श्री	बिलारी
२३६	महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा	बाह
२३७	महेशसिंह, श्री	हरदोई
२३८	माताप्रसाद, श्री	शाहगंज
२३९	मान्धातासिंह, श्री	कोपाचीत
२४०	मिहरबान सिंह, श्री	भरथना
२४१	मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	रुदौली
२४२	मुक्तिनाथ राय, श्री	गोपालपुर
२४३	मुजफ्फर हसन, श्री	चायल
२४४	मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	बीसल
२४५	मुबारकअली खां, श्री	उसेहट
२४६	मुरलीधर, श्री	माहुल
२४७	मुरलीधर कुरील, श्री	बिल्हौर
२४८	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	सफीपुर
२४९	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	वाराणसी शहर (उत्तर)
२५०	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	देवरिया (उत्तर)
२५१	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	बानगंगा (पूर्व)
२५२	मुहम्मद हुसैन, श्री	बरेली छावनी
२५३	मूलचन्द, श्री	मिसरिख
२५४	मोतीलाल अवस्थी, श्री	कानपुर (देहात)
२५५	मोहनलाल, श्री	महोबा
२५६	मोहनलाल गौतम, श्री	कोयल
२५७	मोहनलाल वर्मा, श्री	संडीला
२५८	मोहनसिंह मेहता, श्री	दानपुर

उत्तर प्रदेश विधानसभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२५९	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	रायबरेली (उत्तर)
२६०	यमुनासिंह, श्री	शादियाबाद
२६१	यशपालसिंह, श्री	देवबन्द
२६२	यशोदादेवी, श्रीमती	बांसगांव
२६३	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा	जौनपुर
२६४	रऊफ जाफरी, श्री	मछलीशहर
२६५	रघुनाथसहाय यादव, श्री	किशनपुर
२६६	रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब	सादुल्ला नगर
२६७	रघुराज सिंह चौधरी, श्री	बुलन्दशहर
२६८	रघुवीरराम, श्री	मोहम्मदाबाद
२६९	रघुवीरसिंह, श्री (एटा)	जलेसर
२७०	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)	बागपत
२७१	रणबहादुरसिंह, श्री	हरैया (पश्चिम)
२७२	रमाकांतसिंह, श्री	अमेठी
२७३	रमानाथ खैरा, श्री	ललितपुर
२७४	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	बरसाथी
२७५	राघवराम पांडेय, श्री	गोंडा (दक्षिण)
२७६	राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री	मनकापुर
२७७	राजकिशोर राव, श्री	इकौना
२७८	राजकुमार शर्मा, श्री	चुनार
२७९	राजदेव उपाध्याय, श्री	सिधुवाजोबना
२८०	राजनारायण, श्री	कसवरसरकारी
२८१	राजनारायणसिंह, श्री	अहरौरा
२८२	राजबिहारीसिंह, श्री	कसंवर राजा
२८३	राजाराम शर्मा, श्री	खलीलाबाद
२८४	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती	डोमरियागंज (उत्तर)
२८५	राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती	मौदहा
२८६	राजेन्द्रदत्त, श्री	शिकारपुर
२८७	राजेन्द्रसिंह, श्री	गोंडवा
२८८	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	शमसाबाद
२८९	रामअधार तिवारी, श्री	प्रतापगढ़ (उत्तर)
२९०	रामअभिलाख, श्री	गोंडा (उत्तर)
२९१	रामकिंकर, श्री	पट्टी
२९२	रामकुमार वैद्य, श्री	अमरोहा
२९३	रामकृष्ण जैसवार, श्री	कंतित
२९४	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	फर्रुखाबाद
२९५	रामचन्द्र उनियाल, श्री	रवाईं
२९६	रामचन्द्र विकल, श्री	सिकन्दराबाद
२९७	रामजीलाल सहायक, श्री	सरधना
२९८	रामजी सहाय, श्री	सिलहट
२९९	रामदास आर्य, श्री	जानसठ
३००	रामदीन, श्री	करहल
३०१	रामनाथ पाठक, श्री	दोआबा

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३०२	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	सुरहुरपुर
३०३	रामपाल त्रिवेदी, श्री	मलीहाबाद
३०४	रामप्रसाद, श्री	सलोन
३०५	रामप्रसाद देशमुख, श्री	कोयल
३०६	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	लैंसडाउन
३०७	रामबली, श्री	मुसाफिरखाना
३०८	राममूर्ति, श्री	बहेड़ी
३०९	रामरतनप्रसाद, श्री	रसरा
३१०	रामरती देवी, श्रीमती	अकबरपुर
३११	रामलक्षण तिवारी, श्री	बांसडीह (पूर्व)
३१२	रामलखन, श्री (वाराणसी)	चन्दौली
३१३	रामलखन मिश्र, श्री	बांसी (पश्चिम)
३१४	रामलखन सिंह, श्री	रारी
३१५	रामलाल, श्री	नगर
३१६	रामवचन यादव, श्री	माहुल
३१७	रामशरण यादव, श्री	मोहनलालगंज
३१८	रामसनेही भारतीय, श्री	बबेरू
३१९	राम समझावन, श्री	केराकत
३२०	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	एतमादपुर
३२१	रामसुन्दर पांडेय, श्री	नत्थूपुर
३२२	रामसूरत प्रसाद, श्री	पिपराइच
३२३	रामस्वरूप यादव, श्री	जसराना
३२४	रामस्वरूप वर्मा, श्री	भोगनीपुर
३२५	रामहेत सिंह, श्री	छाता
३२६	रामायण राय, श्री	पडरौना (दक्षिण)
३२७	रामेश्वर प्रसाद, श्री	बछरावां
३२८	रुकनुद्दीन खां, श्री	कोंहडौर
३२९	रूम सिंह, श्री	खेरा बजेहरा
३३०	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	काशीपुर
३३१	लक्ष्मणराव कदम, श्री	गरोथा
३३२	लक्ष्मणसिंह, श्री	रानीखेत (दक्षिण)
३३३	लक्ष्मीनारायण, श्री	पहाड़पुर
३३४	लक्ष्मीनारायण वंसल, श्री	फतेहाबाद
३३५	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	माट
३३६	लखमी सिंह, श्री	इगलास
३३७	लायकसिंह, चौधरी	शिकोहाबाद
३३८	लालबहादुर सिंह, श्री	मेराकत
३३९	लुत्फअली खां, श्री	हापुड़
३४०	लोकनाथ सिंह, श्री	कटेहर
३४१	बजरंगबिहारी लाल रावत, श्री	हैदरगढ़
३४२	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	जमानिया
३४३	वसी नकवी, श्री	रोखा
३४४	वासुदेव दीक्षित, श्री	खागा
३४५	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	मोदीनगर

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३४६	विजयशंकर सिंह, श्री	मुहम्मदाबाद
३४७	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	शाहाबाद
३४८	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	देवप्रयाग
३४९	विशालसिंह, श्री	भिटौली
३५०	विश्राम राय, श्री	आजमगढ़
३५१	विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	करांद
३५२	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	फतेहपुर–सीकरी
३५३	वीरसेन, श्री	हापुड़
३५४	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	कैराना
३५५	वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री	बहराइच (दक्षिण)
३५६	वीरेन्द्रशाह, राजा	कालपी
३५७	ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री	महोबा
३५८	ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	घाटमपुर
३५९	शंकरलाल, श्री	कादीपुर
३६०	शकुन्तला देवी, श्रीमती	हरौरा
३६१	शब्बीरहसन, श्री	खजुहा
३६२	शमशुल इस्लाम, श्री	निधपुर
३६३	शम्भूदयाल, श्री	संडीला
३६४	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	हरद्वार
३६५	शिवगोपाल तिवारी, श्री	सफीपुर
३६६	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	सिधुवाजोबना
३६७	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	खीरी
३६८	शिवमंगल सिंह, श्री	बांसडीह (पश्चिम)
३६९	शिवमूर्ति सिंह, श्री	फूलपुर
३७०	शिवराजबली सिंह, श्री	फतेहपुर
३७१	शिवराजबहादुर, श्री	नवाबगंज
३७२	शिवराजसिंह यादव, श्री	बिसौली
३७३	शिवराम, श्री	अफजलगढ़
३७४	शिवराम पांडेय, श्री	डेरापुर
३७५	शिववचन राव, श्री	सलेमपुर (दक्षिण)
३७६	शिवशंकर सिंह, श्री	डलमऊ
३७८	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	इकौना
३७०	शीतलाप्रसाद, श्री	तरबगंज
३७९	शोभनाथ, श्री	राबर्टस्‌गंज
३८०	श्याममनोहर मिश्र, श्री	लखनऊ (छावनी)
३८१	श्यामलाल, श्री	माट
३८२	श्यामलाल यादव, श्री	मुगलसराय
३८२	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	किथोर
३८४	श्रीकृष्ण गोयल, श्री	उझानी
३८५	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	खैराग
३८६	श्रीनाथ, श्री	मोहम्मदाबाद गोहाना
३८७	श्रीनाथ भार्गव, श्री	मथुरा
३८८	श्रीनिवास, श्री	गांगिरी
३८९	श्रीपाल सिंह, कुंवर	शाहगंज

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३९०	संग्रामसिंह, श्री	सोरांव (पूर्व)
३९१	सईद अहमद अन्सारी, श्री	ज्वालापुर
३९२	सजीवनलाल, श्री	हसनगंज
३९३	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	दादरी
३९४	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९५	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	सरजू
३९६	सियादुलारी, श्रीमती	करवी
३९७	सीताराम, डाक्टर	सिलहट
३९८	सीताराम शुक्ल, श्री	हरैया (पूर्व)
३९९	सुक्खनलाल, श्री	हसनपुर
४००	सुखरानी, श्रीमती	फतेहपुर
४०१	सुखरामदास, श्री	टांडा
४०२	सुखलाल, श्री	औरैया
४०३	सुखीराम भारतीय, श्री	फूलपुर
४०४	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	मऊ
४०५	सुनीता चौहान, श्रीमती	सलोन
४०६	सुन्दरलाल, श्री	फरीदपुर
४०७	सुरथबहादुर शाह, श्री	निघासन
४०८	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	हमीरपुर
४०९	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	पुवायां
४१०	सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	बिसवां
४११	सुल्तानआलम खां, श्री	कायमगंज
४१२	सूरतचन्द्र रमोला, श्री	टेहरी
४१३	सूर्यबली पांडेय, श्री	हाटा
४१४	सोहनलाल धुसिया, श्री	बांसी (पूर्व)
४१५	हमीदुल्ला खां, श्री	चारदा
४१६	हरकेशबहादुर, श्री	पट्टी
४१७	हरदयालसिंह, श्री	जलालाबाद
४१८	हरदयालसिंह पिपल, श्री	हाथरस
४१९	हरदेवसिंह, श्री	देवबन्द
४२०	हरिदत्त कांडपाल, श्री	रानीखेत (उत्तर)
४२१	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	दातागंज
४२२	हरिहरबख्श सिंह, श्री	पाली
४२३	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	सीतापुर
३२४	हरीसिंह, श्री	किथौर
४२५	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	मुरादाबाद शहर
४२६	हिम्मतसिंह, श्री	डिबाई
४२७	हुकुमसिंह विसेन, श्री	कैसरगंज
४२८	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	मंझनपुर
४२९	होरीलाल यादव, श्री	कन्नौज
४३०	(रिक्त)	शिवपुर
४३१	(रिक्त)	बरौत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।
श्री गिरधारी लाल, बी० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

132509

शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३८

अजीज इमाम, श्री
अतीकुलरहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री

बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद, वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द स्वामी, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में गंगा का पैन्टून पुल टूटने से दुर्घटना

****१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत बसन्तपंचमी के दिन इलाहाबाद में पैन्टून पुल से गंगा जी में गिर कर मरने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री ने गत १३ फरवरी, १९५९ को जो वक्तव्य सदन में दिया था उसके उपरान्त मिलने वाली लाशों सहित कुल मृतक संख्या कितनी हो गयी है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—उक्त घटना में मरने वाले व्याक्तयों की लाशें १३-२-५९ को सदन में दिये गये मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के उपरान्त भी पायी गयीं जिन्हें मिलाकर कुल मृतक संख्या १६ हो गयी है।

****२—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त डूबने वालों में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी लाशों का पता ही नहीं लगा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कई दिन तक बराबर खोज की गयी और १६ लाशें पानी से निकाली गयीं जिससे यह अनुमान है कि इतने ही व्यक्ति घटना में मरे।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मन्त्री जी को ऐसे लोगों की संख्या का भी पता है जो कि उस दिन वहां स्नान करने गये थे वह घर नहीं पहुंचे और न उनकी लाशें मिलीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां तक अन्दाजा लगाया जाता है जो लाशें मिली हैं वही दरअसल डूबकर मरने वालों की हैं लेकिन इसकी इलाहाबाद के आयुक्त के द्वारा जांच हो रही है। इसका ठीक पता बाद में लगेगा और तभी ठीक अन्दाजा लगाया जा सकेगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मन्त्री जी को मालूम है कि ऐसे अवसरों पर पहले पी० डब्ल्यू० डी० स्टाफ भीड़ को रेगुलेट किया करता था ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी तो मुझे सूचना नहीं है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया आयुक्त द्वारा जांच हो रही है, यदि इस प्रकार की भी शिकायत होगी तो उसको भी विचार में रखा जायगा।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि नदी ने जो अतिरिक्त जमीन काट दी थी और जो पुल लगाया गया था वह अच्छा नहीं लगाया गया इसी कारण से दुर्घटना हुई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच से पहले तो कुछ कहना उचित न होगा लेकिन यह बात ठीक है कि पुल इस वर्ष कुछ लम्बा था।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग के कमिश्नर महोदय को कब तक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई अवधि तो निश्चित नहीं की गयी है। आशा है कि वह जल्द ही दे देंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो जांच कमिश्नर द्वारा हो रही है उसका वहां के लोगों ने विरोध किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरे पास तो ऐसी सूचना नहीं है लेकिन जांच तो होनी ही चाहिए, जब जांच की मांग है तो कमिश्नर तो उसके लिए एक उपयुक्त अधिकारी हैं ही।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या यह सही है कि घटना से कुछ दिन पहले माननीय कल्याणचन्द मोहिले ने विभागीय उपमंत्री जी को इस प्रकार की सूचना दे दी थी कि वह पुल कमजोर है और मेले के मौके पर टूट सकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--माननीय कल्याणचन्द जी मोहिले कहते हैं कि उन्होंने उपमन्त्री पी० डब्ल्यू० डी० से बातचीत की थी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि हमने उप-मन्त्री महोदय से उस पुल की खराबी के बारे में पहले ही बता दिया था और उनको जानकारी करा दी गयी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--मोहिले जी ने सदन में कहा था इसी से मुझे जानकारी है कि उप मन्त्री जी से उन्होंने बता दिया था लेकिन मैंने अभी श्री महाबीर सिंह जी से कन्टैक्ट करने का प्रयत्न किया था ११ बजे से पहिले लेकिन उन से बात नहीं हो सकी कि क्या बात उनसे कही गयी थी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मन्त्री जी के पास इस तरह की इत्तला है कि जिलाधीश को वहां के आस-पास के लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं कि उन के घर के लोग लापता हैं और डूब गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

जिन्दा अजायबघर, लखनऊ

*१--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन्दा अजायबघर, लखनऊ का पूरा मासिक व्यय कितने रुपये वर्ष १९५७ में पड़ा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--सूचना नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८८ पर)

*२--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन्दा अजायबघर, लखनऊ में प्रवेश टिकटों द्वारा जनवरी, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५८ तक प्रतिमास कितने रुपयों की आमदनी हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सूचना नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९ पर)

*३--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रवेश टिकट जिन्दा अजायबघर, लखनऊ में लागू करने की तिथि से अब तक (तारीख ३१ अगस्त, १९५८) कितने सीजनल और कितने मासिक प्रवेश टिकट महीनेवार जारी किये गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सीजनल टिकट की सूचना नत्थी है। मासिक टिकट जारी नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पष्ठ ९० पर)

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसमें कितने जानवर मर गये, कितने खरीदे गये और उनके मरने का क्या कारण है, सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से या ऐसे ही ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--कुछ मरे हैं लेकिन इसकी ठीक तादाद नहीं बता सकता और मरने का कारण भी इस वक्त नहीं बता सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जो जिन्दा अजायबघर है इसकी मासिक आमदनी और व्यय के अनुपात को देखते हुए घाटा होता है या आमदनी और दोनों मासिक कितने हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---घाटा तो नहीं होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या बतलायेंगे कि आमदनी कितनी होती है मासिक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहली जनवरी से ३१ अगस्त, १९५८ तक २२,०६२.५४ रुपये आमदनी हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का विचार है कि जो जिन्दा अजायबघर से आमदनी हो इसको एक ऐसे फंड में जमा कर दिया जाय जिससे फिर जिन्दा अजायबघरों की प्रदेश में वृद्धि और विकास हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बिला ऐसा किये ही विकास के लिए पैसा मिलता है।

उन्नाव जिले की खुफिया विभाग पर व्यय

*४---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में खुफिया विभाग पर कितना रुपया सन् १९५७ व १९५८ में अलग-अलग खर्च हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् १९५७ में १३,३५६.८० रुपया तथा सन् १९५८ में १५,४५१.०३ रुपया खर्च हुआ।

श्री सजीवनलाल---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में कम खर्चा हुआ और १९५८ में यकायक रकम क्यों बढ़ गयी ? क्या कर्मचारी बढ़ गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---हर वर्ष जो वेतन वृद्धि होती है उससे भी वृद्धि हो जाती है। सम्भव हो सकता है कि कुछ थोड़ा स्टाफ भी बढ़ गया हो।

श्री सजीवनलाल---क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस द्वारा वहां ३ कत्ल हुए हैं और यहां से खुफिया विभाग मुकर्रर किया गया उस पर खर्च हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, प्रश्न तो यह था कि वहां पर उन्नाव के खुफिया विभाग का कितना खर्चा हुआ है, तो उन्हीं के अफसरान पर खर्चा हो रहा है।

दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति

*५---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कितने दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा विज्ञापन किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा कोई विज्ञापन नहीं किया गया। परन्तु स्वास्थ्य सेवा संचालक की ओर से सितम्बर, १९५७ में एक विज्ञापन दो दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए किया गया था। लेकिन बाद में उक्त नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता में कुछ परिवर्तन किया गया जिसके कारण फरवरी, १९५८ के शुरू में स्वास्थ्य सेवा संचालक ने पुनः विज्ञापन दिया। इस बार २ की जगह ४ के लिए आवेदन-पत्र मांगे गये।

*६---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और कितने दन्त चिकित्सकों की नियक्ति की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—पहले विज्ञापन के उत्तर में १३ आवेदन-पत्र आये थे और दूसरे के उत्तर में २२ जिसमें पहले आवेदन कर्त्ताओं में से १२ के आवेदन-पत्र सम्मिलित हैं। केवल दो दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। एक वाराणसी में और दूसरा मेरठ में।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले विज्ञापन में नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गवर्नमेंट आफ इंडिया से फिर क्वालिफिकेशन में परिवर्तन हो गया, इसलिए दोबारा जारी करना पड़ा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले क्या योग्यता थी विज्ञापन में और फिर क्या परिवर्तन किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले में डेंटल सर्जरी की डिग्री लखनऊ डेंटल कालेज की मांगी गयी थी, फिर बाद को लाइसेंशिएट भी कर दिया गया, विद् फाइव ईयर्स एक्सपीरियन्स।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे चिकित्सकों के भी प्रार्थना-पत्र आये थे जिन्होंने अपनी सर्विस फ़्री आफर कीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दोबारा विज्ञापन निकाला गया वह इसीलिये कि पहली बार जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उस योग्यता के आदमी अवेलेबिल नहीं थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बात नहीं थी। जब क्वालिफिकेशन कम कर दी गयी तो सब को मौका मिलना चाहिये। इस वजह से दोबारा विज्ञापन जारी किया गया।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है उनके नाम क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनके नाम हैं डाक्टर वी० पी० एस० तोमर और डाक्टर यू० एस० तोमर।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दोनों तोमर डाक्टर नियुक्त किये गये हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो योग्यता निर्धारित की गयी है उसको वे दोनों फुलफिल करते हैं।

श्री उग्रसेन—यह देखते हुये कि प्रदेश में दन्त चिकित्सकों की उच्चतर योग्यता नहीं है पहले ही कम योग्यता का विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया गया ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आमबहस कर रहे हैं। वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था।

*७—**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ सदर अस्पताल की नई इमारत

*८—**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ का सदर अस्पताल जिसकी इमारत जीर्ण एवं थोड़े स्थान वाली है उसको वह वहां से हटा कर किसी स्वच्छ एवं खुले मैदान में बनाने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

श्री चन्द्र ली शास्त्री ब्रह्मचारी—कृपया स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जो यह सदर अस्पताल शहर में दूसरी जगह बनने जा रहा है वह कौन सी जगह है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शहर के उत्तर तरफ जो दोहरीघाट को सड़क गयी है उस जगह पर एक जमीन देखी जा रही है।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जहां पर यह नया अस्पताल बनेगा वहां पर भूमि आदि की पूरी व्यवस्था हो गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—व्यवस्था की जायगी।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—इस अस्पताल की इमारत के निर्माण के लिये सरकार ने कितना धन स्वीकृत किया है और कार्य कब शुरू होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—धन की राशि तो बजट में देख लीजिये और कार्य सन् १९५९–६० में शुरू होगा।

*९—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—[१९ फरवरी, १९५९ को प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

लखीमपुर जिले के कोतवाली थाने में डकैतियां

*१०—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी कोतवाली, लखीमपुर में अक्तूबर सन् १९५७ से अब तक कुल कितने डाके पड़े और इन डाकों में कुल कितनी जानें गईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल २ डाके पड़े परन्तु किसी की जान नहीं गई।

*११—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितनी डकैतियों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई और कितनी डकैतियों में चार्जशीट दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—१ डकैती में चार्जशीट दी गई तथा १ में अभी जांच हो रही है।

*१२—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन डकैतियों में कुल कितने धन की लूट हुई और कितना माल बरामद हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल ४,८१८ रुपये ४ आने की लूट हुई जिसमें से अब तक ५० रु० बरामद हो चुके हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली लखीमपुर में हल्का नम्बर ४ में लाला संकटाप्रसाद के यहां डाका पड़ा था और उनकी जान उसी डाके में चली गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मेरे पास तो यह सूचना है कि एक डकैती श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम नकटी निजामपुर में पड़ी और दूसरी श्री बिन्द्रा ग्राम मुडया खेड़ा में पड़ी थी।

श्री उग्रसेन—जो डकैती श्री बिन्द्रा के यहां खेड़ा ग्राम में पड़ी उसमें कितने व्यक्तियों का चालान किन किन दफाओं में हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो श्री मथुरा प्रसाद के यहां डकैती पड़ी उसमें ५ व्यक्ति पकड़े गये हैं, मामला सेशन अदालत के विचाराधीन है। दूसरी जो डकैती हुई उसमें ४ व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं लेकिन अभी जांच हो रही है।

राज्य में कत्ल

*१३—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार निम्नांकित मानचित्र के अनुसार सन् १९५७ में किये गये कत्लों के विषय में सूचना देने की कृपा करेगी ?

इस प्रदेश में १९५७ में किये गये कत्लों की संख्या	कितने अभियुक्त छूटे	कितनों को सजा मिली	कितने अभी कोर्ट में हैं	कितने में अन्तिम रिपोर्ट लग गई

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त सूचना वांछित मानचित्र के अनुसार निम्नांकित है :

(१) इस प्रदेश में किये गये कत्लों की संख्या	..	१,४६८
(२) कितने अभियुक्त छूटे	..	३,०४२
(३) कितनों को सजा मिली	..	१,३०४
(४) कितने अभी कोर्ट में हैं	..	३२२
(५) कितने में अंतिम रिपोर्ट लग गई	..	३११

श्री गंगाप्रसादसिंह—श्रीमन्, १९५५–५६ के सरकारी रिकार्ड से मालूम होता है कि १९५७ में कत्लों की संख्या बहुत बढ़ गई है तो क्या सरकार बतायेगी कि यह संख्या क्यों बढ़ गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे पास श्रीमन्, केवल १९५७ के आंकड़े हैं। इसलिये नहीं बता सकता कि १९५५–५६ से वह बढ़े हुये हैं या नहीं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि १९५७ में अंतिम रिपोर्टों की संख्या पहले वर्षों से बहुत ज्यादा हो गई है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—१९५७ में १,४६८ मामलों की रिपोर्ट हुई थी जिसमें से १,१५७ में पुलिस अनुसंधान के बाद चालान हुआ था। पहले से बढ़ गये इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गंगाप्रसादसिंह—३११ केसेज में जो अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी क्यों पहले वर्षों से ज्यादा मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इन अभियोगों के बारे में पता नहीं चल सका और जबरदस्ती किसी का चालान नहीं किया जा सकता इसी वजह से अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है।

गोरखपुर गवर्नमेंट गर्ल्स इण्टर कालेज की कुछ अध्यापिकाओं को हटाना

*१४—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट गर्ल्स इटर कालेजों व गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों की कितनी सहायक अध्यापिकायें व लेक्चरर्स सन् १९५७–५८ में कार्य मुक्त की गई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—शून्य।

*१५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त कार्यमुक्त अध्यापिकाओं व लेक्चरर्स में से कितनी ऐसी थीं जिनका कार्यकाल पांच साल से ऊपर था ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता।

*१६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज में किस-किस विषय के लेक्चरर्स नहीं हैं, और कितने दिनों से नहीं हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—सभी विषयों के लेक्चरर्स हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने अध्यापकों को कार्यमुक्ति के लिये नोटिस दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि १९५७–५८ में संख्या शून्य है लेकिन मैं लारी जी को यह सूचना दे दूं कि १९५८–५९ में कुछ ऐसे अध्यापक जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्रूव नहीं किया था वह सेवा मुक्त कर दिये गये थे। उनकी जगह पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव किये गये थे उनको रख लिया गया। यह लोग भी जो मुक्त कर दिये गये थे पब्लिक सर्विस कमीशन में गये थे, लेकिन वहां उनका चुनाव नहीं हुआ। लेकिन बाद में जितने स्थान रिक्त होते हैं उनमें करीब-करीब उनको रख लिया जाता है और इस प्रकार सभी ले लिये गये हैं शायद कुछ लोग रह गये हों।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अध्यापक अलग किये गये हैं उनमें अध्यापिकायें भी थीं, यदि हां तो कितनी ?

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यापक और अध्यापिकायें दोनों ही हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त कालेज में सिविक्स और इकोनोमिक्स के लेक्चरर्स नहीं हैं और असिस्टेंट मास्टरों से काम लिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय तो सभी हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि जो अलग किये गये हैं वह ८–१० साल से टेम्पोरेरी काम करते थे और उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में पेश होने की आज्ञा नहीं दी गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने उत्तर में कहा है कि यह भी पब्लिक सर्विस कमीशन में गये थे लेकिन वे चुने नहीं गये। ८–१० साल से उनके होने की सूचना तो नहीं है लेकिन ४–५ साल से हैं। लेकिन यदि पब्लिक सर्विस कमीशन उनको नहीं चुनेगा तो हम उनको नियुक्त नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कितने अध्यापक और अध्यापिकायें हैं, जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐप्रूव नहीं किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—लगभग ८०।

थानेदारों की बर्खास्तगी

*१७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि प्रदेश में कितने थानेदार तथा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जनवरी, १९५७ से अप्रैल, १९५८ तक नौकरी से निकाले गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—उत्तर प्रदेश में जनवरी, १९५७ से अप्रैल, १९५८ तक ४० थानेदार नौकरी से निकाले गये। कोई डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस उक्त अवधि में नौकरी से नहीं निकाला गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन थानेदारों में कितने डिपार्टमेंट से निकाले गये और कितने कम्प्लेंट आफिसर की शिकायत से निकाले गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—कम्प्लेंट आफिसर तो रिपोर्ट दिया करता है ? उसके बाद विभाग ही उनके खिलाफ कार्यवाही करके ऐक्शन लेता है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो यह ४० थानेदार निकाले गये उसमें कितने रिट्स हाई कोर्ट ने मंजूर किये हैं और उन्हें सरकार को मुआविजा देना पड़ा ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिए तो श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता होगी कि किसी के रिट मंजूर भी हुए या नहीं।

हमीरपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*१८--**श्रीमती राजेन्द्रकुमारी** (जिला हमीरपुर)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हमीरपुर में राजनैतिक पीड़ित पेंशन के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को मिले और कितने लोगों को पेंशनें मिलीं ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)--४१५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से ८१ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी--माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ८१ के अलावा और प्रार्थना-पत्रों में क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--८१ के अतिरिक्त स्थिति यह है कि २६५ अस्वीकृत हुए, ३५ अभी विचाराधीन हैं। शेष ११६ स्वीकृत हुए जिनमें से ७५ को आजीवन मासिक पेंशन, ६ को आवर्त्तक अनुदान तथा ३५ को एकमुश्त अनुदान स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष--आपने इसमें उत्तर दिया है कि ८१ स्वीकृत किये गये और पूरक प्रश्न के जवाब में आपने...

श्री इस्तफा हुसैन--ऐसा हो सकता है कि बाद में स्वीकृत हुए।

श्री अध्यक्ष--तो इसको आप दुरुस्त कर दीजिये क्योंकि आप उत्तर तो आज ही दे रहे हैं, बाद में आया हो या किसी वक्त आया हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं एक निवेदन करूंगा कि जरा मंत्रियों को हिदायत कीजिये कि वह तैयार हो कर आया करें। बड़ा समय नष्ट होता है सदन का।

श्री रामस्वरूप यादव--मैं स्पष्ट कर दूं। २६५ अस्वीकृत हुए, ३५ अभी विचाराधीन हैं। शेष ११६ स्वीकृत हुए जिनमें से ७५ को आजीवन मासिक पेंशन, ६ को आवर्त्तक अनुदान तथा ३५ को एकमुश्त अनुदान स्वीकृत हुआ। इस तरह से ८१ हो गये।

श्री अध्यक्ष--इसमें यह लिखा है कि ८१ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गयी। इससे उससे तो भेद है।

श्री इस्तफा हुसैन--इसमें श्रीमन्, जरा दरियाफ्त करके पूरा ब्यौरा दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष--इसका सोमवार को जवाब दीजिये।

[प्रश्न १८ स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद में गंगा के किनारे दुर्गा चमार की लाश मिलना

*१९--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के कैन्टूनमेंट थाने के अन्तर्गत ७-१२-५८ को एक लाश रिक्शेवाले की गंगा किनारे पड़ी मिली ? यदि हां, तो वह लाश किसकी थी और इस सम्बन्ध में कितने आदमी अब तक पकड़े गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। वह लाश श्री दुर्गा चमार, निवासी ग्राम नुनारा, थाना फूलपुर, जिला इलाहाबाद की थी। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। तफतीश जारी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस लाश का पोस्ट मार्टम कराया गया या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--निश्चित रूप से तो श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन मैं समझता हूं कि नियम ऐसे हैं कि पोस्ट मार्टम होना चाहिए, वह हुआ होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह लाश किस दिन पायी गई ? दिन में पायी गयी या रात में ?

श्री रामस्वरूप यादव--७ दिसम्बर, ५८ को साढ़े दस बजे थाना कंटोनमेंट चौकी चांदमारी के चौकीदार ने रिपोर्ट की कि नम्बर ४ चांदमारी पर एक लाश खून में लथपथ पड़ी है।

श्री अध्यक्ष--यह साढ़े दस बजे दिन है या रात ? चौकीदार ने रिपोर्ट की है तो उससे समझ लीजिये, रात ही होना चाहिए।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ७-१२-५८ के बाद जो जांच करवायी जा रही है वह किसके द्वारा हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जुर्मों की जांच तो थाना इंचार्ज किया करते हैं या वह अपने सहायक सब-इंस्पेक्टर को देते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--मंत्री महोदय बतायेंगे कि जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, जुर्मों की तलाश करने के लिए समय निश्चित करना तो असम्भव है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लाश का आइडेंटिफिकेशन हो सका है और इसके सम्बन्ध में और ज्यादा जानकारी क्या है वह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मैंने तो नाम भी बता दिया और गांव भी बता दिया, तो वह आइडेंटिफिकेशन बगैर कैसे दिया जाता ?

सुबेहा के निकट राजघाट पर गोमती में नाव दुर्घटना

*२०--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील में गोमती नदी में सुबेहा के निकट राजघाट पर इस वर्ष कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर एक नाव डूबी थी ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों की जानें गयी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। उक्त दुर्घटना में १२ व्यक्तियों की जानें गयीं।

*२१--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--इस दुर्घटना के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई तथा मरे हुये व्यक्तियों के नाम और निवास स्थान क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सम्बन्ध में एस० डी० एम० तथा पुलिस द्वारा मामले की जांच कराई गई। दुर्घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों पर धारा २८०।३०४ अ० भा० दं० विधान के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है।

दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के नाम व निवास स्थान संलग्न तालिका में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९१ पर)

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नाव के डूबने से पहले वहां के मल्लाहों ने और ठेकेदारों ने जिला अन्तरिम परिषद् को रिपोर्ट दी थी कि नावें पुरानी और खराब हैं इसलिये बदल दी जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन व्यक्तियों का चालान किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---खुशीराम और जग्गू।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नाव के डूबने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---२९-११-५८ को डेढ़ बजे दिन खुशीराम और जग्गू ने निनकऊ की नाव को उसकी अनुपस्थिति में खोला और उस पर छोटे-बड़े मिला कर २१ व्यक्तियों को बिठाया जब कि उसमें कुल सात आठ आदमियों के बैठने की जगह थी। नाव में छेद भी थे जिससे पानी अन्दर आता था।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन १२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके परिवारों को कोई कम्पेन्सेशन सरकार की ओर से दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---कम्पेन्सेशन देने का कोई ऐसा नियम नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब नाव में छेद थे तो इसके मानी नाव पुरानी थी तो उसको बदलने के लिए कोई कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---अब श्रीमन्, अगर दुर्घटना से पहले से आशय है तो वह बदली नहीं गई। बाद में बदली गई या नहीं बदली गई इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। मेरे खयाल में तो नाव भी डूब गयी होगी।

श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह घाट पी० डब्लू० डी० का था अथवा अन्य किसी व्यक्ति का ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता होगी।

पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स

*२२---**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सरकारी वकील (D. G. C.) के वर्तमान सेलेक्शन का तरीका समाप्त करके पब्लिक प्रोसीक्यूटर (P. P.) में से जिला सरकारी वकील (D. G. C.) का चुनाव किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं।

*२३---**श्री मुक्तिनाथ राय**---यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रश्न नहीं उठता।

*२४---**श्री मुक्तिनाथ राय**---यदि नहीं, तो ऐसा करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---पब्लिक प्रोसीक्यूटर सरकारी नौकर होते हैं और नौकरी में आने के बाद वे वकील नहीं रह जाते। वकीलों का पेशा स्वतंत्र पेशा है। इसीलिये पब्लिक प्रोसीक्यूटरों में से जिला सरकारी वकीलों का चुनाव नहीं किया जा सकता।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या न्याय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अब ला ग्रेजुएट ही रखे जाते हैं तो स्वतंत्र पेशे वाले वकीलों के स्थान पर इन पब्लिक प्रोसीक्यूटर में से ही सरकारी केसेज की पैरवी करने के लिये नियुक्ति करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो मौजूदा तरीका है उससे हमको बहुत तजुर्बेकार वकील मिल जाते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मौजूदा तरीका जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल्स के अप्वाइंटमेंट का है सरकार उसमें ऐसा विचार करेगी कि वह ५, ५ साल में बदले जायं ताकि अच्छे से अच्छे वकील मिल सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जैसे पुराने चावल अच्छे होते हैं ऐसे ही पुराने वकील भी अच्छे होते हैं ।

प्राकृतिक चिकित्सालयों को सहायता न मिलना

*२५---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार की ओर से प्राकृतिक चिकित्सालयों को कुछ सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी तथा किस रूप में ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सरकार की ओर से प्राकृतिक चिकित्सालयों के लिये कोई सहायता नही दी जाती ह ।

*२६---**कुंवर श्रीपालसिंह**---इनमें इस समय कितने रोगियों की चिकित्सा रही है तथा किन-किन रोगों के रोगी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन प्राकृतिक चिकित्सालयों को सहायता न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वे अभी तक रिकेग्नाइज नहीं हुये ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे इन प्राकृतिक चिकित्सालयों के ऊपर रिकग्नाइज करने की इनायत कब करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी मसला जेरेगौर है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने प्राकृतिक चिकित्सालयों की ओर से प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हो चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एक प्रार्थना-पत्र आया था वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास सिफारिश करके भेज दिया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हुये कि हमारे राज्य में कुछ प्राकृतिक चिकित्सालय अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं उनको भविष्य में अनुदान देने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब जब तक रिकग्नीशन न हो जाय तब तक अनुदान का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी उस प्राकृतिक चिकित्सालय का नाम बतलाने की कृपा करेंगे कि जिसका नाम उन्होंने सिफारिश करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आरोग्य निकेतन, डालीगंज, लखनऊ ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कितने प्राकृतिक चिकित्सालय हैं इसकी कोई सूची सरकार के पास है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या माननीय मंत्री जी और भी प्राकृतिक चिकित्सालयों के प्रार्थना-पत्र सिफारिश करके गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वे प्रार्थना-पत्र देंगे और समुचित होंगे तो जरूर भेज देंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सालय की प्रणाली अपने देश में बड़ी पुरानी है तो क्या पुराने चावलों की तरह उनकी भी कदर करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह लखीमपुर का मुटिया चावल है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी सरकारी स्तर पर एक कमेटी बनाने की कृपा करेंगे जो प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सालयों की छानबीन करके रिकग्नीशन के लिये रिपोर्ट दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी सरकार ऐसा मुनासिब नहीं समझती ।

होम्योपैथिक कालेज, इलाहाबाद के प्रबंध की शिकायत

*२७---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज के प्रबन्ध के बारे में शिकायती पत्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उस पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां । शिकायती पत्र अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा संचालक तथा चेयरमैन, होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश को जांच तथा रिपोर्ट के लिये भेज दिये गये थे ।

*२८---**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के प्रबन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर गत अक्तूबर मास में क्या कोई जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त जांच किसने की तथा जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, नवम्बर, १९५८ में एक जांच उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् ने की और दूसरी जांच दिसम्बर में स्वास्थ्य सेवा संचालक ने उपस्वास्थ्य मंत्री जी के साथ स्वयं की शिकायत असत्य प्रमाणित हुई ।

हरिजन कल्याण विभाग का शिक्षा विभाग में विलय

*२९---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या सरकार For the Advancement of Backward Classes के लिये Advisory Board नियुक्त करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जी नहीं ।

*३०---**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह हरिजन कल्याण विभाग को शिक्षा विभाग में मिलाये जाने (merge) पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसने क्या निर्णय किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हरिजन कल्याण विभाग को शिक्षा विभाग से मिलाने का कोई विचार शासन का नहीं है ।

स्वास्थ्य विभाग, मैनपुरी में हरिजन तथा बैकवर्ड जातियों के व्यक्ति

*३१--**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग के किस-किस स्थान पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनमें कितने हरिजन और कितने बैकवर्ड क्लास के हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९२ पर)

श्री रामदीन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सूची दी है इसमें चपरासियों की ६ जगहें बतायी गयी हैं और यह सब खाली हैं और इस से पहले जो वर्ष बीत चुका है उसमें यह छहो हरिजन थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो भरी हुई जगहें हैं ।

श्री रामदीन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो चपरासी निकाले गये उन पर क्या अभियोग लगाया गया ?

श्री अध्यक्ष--आपके पास कैसे यह सूचना है कि वह निकाले गये ?

श्री रामदीन--यह जो ८ मिडवाइफ नियुक्त हुई हैं उनमें २ हरिजन बतायी गयी हैं बाकी ६ कौन-कौन जाति की हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह हरिजनों के अलावा और जातियों की हैं ।

लखनऊ में कुष्ठ औषधालय न होना

*३२--**श्रीमती राजेन्द्र कुमारी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कुष्ठ औषधालय, लखनऊ में स्त्री रोगियों के भर्ती किये जाने की सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्या वह शीघ्र उनकी भर्ती की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--लखनऊ में कोई राजकीय कुष्ठ औषधालय नहीं है ।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी--क्या माननीय मंत्री जी कुष्ठ रोगियों की बढ़ती हुई संख्या देखकर लखनऊ में एक अस्पताल खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लखनऊ में हमें ज्यादती नहीं मालूम होती ।

विधान भवन को विस्तृत करने पर व्यय

*३३--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कौंसिल हाउस के दोनों भवन बढ़ाये जा रहे हैं, उसका स्वीकृत व्यय कितना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--कौंसिल हाउस के दोनों ओर बढ़ाये जाने वाले भवनों का स्वीकृत व्यय ११.५ लाख रुपये है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस वित्तीय वर्ष में ३ लाख रुपया खर्च करने का विचार है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---यह काम सरकार स्वयं कराती है अथवा ठेकेदारों के द्वारा ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस अनुदान के मातहत अभी तक कुछ काम दोनों भवनों में से किसी में हो भी चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, काम तो हो रहा है। सभी देख रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन भवनों को विस्तृत करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जगह की कमी थी और माननीय अध्यक्ष महोदय को भी पिछले दिनों में जब कि विरोधी दल के नेताओं को कमरे नहीं मिले, कुछ दिक्कत हुई थी। साथ साथ लाइब्रेरी बनाने की आवश्यकता थी और कुछ पुस्तकालय और आफिसेज के लिए आवश्यकता थी जिनको कि जगह की कमी थी।

बेहटा थाने में पुलिस द्वारा पीटे जाने से अचौलिया निवासी रघुबर की मृत्यु

*३४---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे ७-११-५८ को एक शिकायत प्राप्त हुई है कि जिला हरदोई के ग्राम अचौलिया, थाना बेहटा गोकुल के निवासी रघुबर, पुत्र खंजन को १४-१०-५८ को थाना कोतवाली की पुलिस ने पकड़ा और थाने में लाकर इतना पीटा कि वह १५/१६ अक्तूबर की रात को थाने के अन्दर ही मर गया ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। इस मामले में मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री भीखालाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि रघुबर की मृत्यु पुलिस के पीटने से थाने के अन्दर हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---रिपोर्ट आ गई है और उस पर विचार हो रहा है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैजिस्ट्रेट की क्या रिपोर्ट आयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, ऐसा था कि एक शख्स के खिलाफ एक वारंट ३९५ और ३९७ का उसको गिरफ्तार करने के लिये था। पता चला कि वह अमुक गांव में है। उसके पीछे लोग भागे और भागने में कुछ खूंटियाँ लगी हुई थीं जिनकी वजह से वह उलझ कर गिर गया और उसके मस्तक में चोट आयी और अन्दाजा यह किया जाता है कि उस चोट की वजह से, ऐसी सख्त चोट थी कि एक घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गयी। इस संबंध में एक रिपोर्ट आ गयी है जिस पर विचार हो रहा है। उस रिपोर्ट में क्या है इस समय उसको बताना जनहित में न होगा।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस थाने में यह दुर्घटना हुई थी उसका इन्चार्ज अभी तक वहां पर तैनात है या उसे सस्पेन्ड कर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कब आई ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह वाकया १५ अक्तूबर, १९५८ को ही हुआ था इसलिये रिपोर्ट अभी हाल में ही आई है ।

श्री भीखालाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वाकये की जांच जब सरकार को शिकायत की गई, उसके बाद की गई और उसके पहले कोई जांच करने का प्रयास नहीं किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैं समझता हूं कि जांच करने के आदेश में कोई देरी नहीं हुई, वैसे शिकायत से ही अक्सर जांच का मौका पड़ता है ।

सूचना विभाग के प्रकाशन तथा फिल्में

*३५---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ में सूचना विभाग द्वारा क्रमशः कितनी लागत पर कौन-कौन से प्रकाशन प्रकाशित किये गये ?

श्री इस्तफा हुसैन---प्रकाशनों की सूची† संलग्न है इनमें पत्रिकायें सम्मिलित नहीं हैं। कुछ प्रकाशनों की लागत फिलहाल नहीं दी जा सकी, क्योंकि उनकी सूचना राजकीय मुद्रणालय से नहीं मिल सकी ।

*३६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायत राज पत्रिका के कुल कितने ग्राहक हैं और ग्राहकों पर कितना रुपया बकाया है ?

श्री इस्तफा हुसैन---उत्तर प्रदेश पंचायती राज पत्रिका का प्रकाशन फरवरी, १९५९ से बन्द कर दिया गया है । अतः ग्राहकों की संख्या देने का प्रश्न ही नहीं उठता । पंचायतों पर १० लाख ७५ हजार रुपया बकाया है ।

*३७---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सूचना विभाग द्वारा अब तक कौन-कौन सी फिल्में कितनी लागत पर बनवाई गई हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३-९४ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस कारण से १९५६-५७ में प्रकाशनों की संख्या कम थी और १९५७-५८ में ज्यादा हो गई ?

श्री इस्तफा हुसैन---जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही संख्या घटती बढ़ती रहती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अलग-अलग सनों में जो लागत लगी वह कुल लागत कितनी पड़ी प्रकाशनों पर ?

श्री इस्तफा हुसैन---इसको मैं इस समय नहीं बता सकता क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी है, किताबों वगैरह के बारे में, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो निःशुल्क प्रकाशन हैं उनको बांटने की कौन-कौन एजेन्सीज हैं और क्या उनमें राजनैतिक पार्टियां भी हैं, यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री इस्तफा हुसैन---जो सूची आपको दी गई है उसमें दिया हुआ है ।

श्री रामस्वरूप यादव---राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इनका वितरण नहीं होता है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि १९५६-५७ में जो निःशुल्क बंटने वाला प्रकाशन सूचना विभाग से प्रकाशित हुआ था वह आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर हुआ था और वह ट्रेनों में मुफ्त रूप से बांटा जा रहा था ?

श्री इस्तफा हुसैन---ऐसा नहीं है कि चुनाव को सामने रखते हुये यह किताबें छापी गई हों और उनका वितरण हुआ हो ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये सरकार ने कौन से उपाय किये ?

श्री इस्तफा हुसैन---बकाये की वसूली के वास्ते बराबर लिखा-पढ़ी की गई लेकिन उसके बावजूद भी अदायगी नहीं हो सकी ।

श्री प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पत्रिकाओं के प्रकाशन बन्द हो गये उसका क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन---कारण साफ है कि पंचायतों को यह पत्रिका भेजी जाती थी और उनके जिम्मे बहुत बकाया हो गया था, उसकी वसूली के लिये काफी कोशिश की गई लेकिन शायद पंचायतों के पास धन नहीं था इसलिये उनसे वसूल नहीं हो सका, इसीलिये बन्द किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---फिल्म बनाने के लिये कुल कितना रुपया बजट में रखा गया था और उसका उपयोग इस कमेटी ने स्वयं किया या इसका ठेका दिया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन---नोटिस चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सूचना विभाग स्वयं फिल्म बनाता है या किसी दूसरी एजेंसी द्वारा बनवाता है ?

श्री इस्तफा हुसैन---कुछ फिल्में सूचना विभाग का फोटोग्राफी सेक्शन बनाता है । बाहर से भी बनवाते हैं, क्योंकि हमारा स्टूडियो इस लायक नहीं है कि बहुत ज्यादा तादाद में फिल्में बना सके ।

श्री प्रतापसिंह---क्या फिल्म बनाने से पहले कोई कमेटी जांच करती है या नहीं कि अमुक फिल्म बनाई जाय या नहीं ?

श्री इस्तफा हुसैन---कोई कमेटी नहीं है लेकिन जगह-जगह से मांगें आती हैं कि इस तरह की फिल्म होनी चाहिये । उन सब बातों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती हैं ।

श्री प्रतापसिंह---बनी हुई फिल्मों का सेंसर कौन करता है ?

श्री इस्तफा हुसैन---सूचना विभाग द्वारा बनी हुई फिल्मों को सेंसर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे ऐसे विषयों की होती हैं जो सेंसर के लायक नहीं हैं ।

श्री राजनारायण---सम्मेलन और प्रदर्शनियों की फिल्में ली गई हैं, तो वे कौन-कौन से सम्मेलन हैं जिनकी फिल्म सूचना विभाग ने लिया है ?

श्री इस्तफा हुसैन---पंच सम्मेलन इत्यादि ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या कोई फिल्म "नटराज" नाम की संस्था को बनाने के लिये दी गई है ? यदि हां, तो कौन ?

श्री इस्तफा हुसैन---सूचना चाहिये ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि एक फिल्म की शूटिंग अल्मोड़ा या नैनीताल में हुई और उसमें ज्यादा रुपया सूचना विभाग के अफसरों ने बेकार खर्च किया और फिल्म भी खराब हो गई ?

श्री इस्तफा हुसैन—ऐसी बात नहीं है ।

*३८—श्री चन्द्रजीत यादव—[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने का विचार

*३९—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उन सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत खोले गये एलोपैथिक चिकित्सालयों में काम करते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रतिबंध दूसरे सरकारी डाक्टरों पर जैसे सिविल सर्जन, पी० एम० एस० वन और टू हैं, उनके ऊपर सरकार क्यों नहीं लगा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—धनाभाव के कारण हम उन्हें कम्पेनसेशन देने के लायक नहीं हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार उसके द्वारा सहायता प्राप्त मेडिकल कालेजों के डाक्टरों पर, जैसे कानपुर और लखनऊ हैं, भी यह प्रतिबन्ध लगाने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—विचाराधीन है ।

पुलिस के जांच के तरीकों में परिवर्तन न होना

*४०—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस समय पुलिस के जांच सम्बन्धी तरीकों तथा एफ० आई० आर० के नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

*४१—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या गृह मन्त्री कृपया स्पष्ट करेंगे कि वह संशोधन क्या है जिस पर विचार किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[५ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बलिया जिले के सूचना केन्द्र

*४३—श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले में कुल कितने सूचना केन्द्र हैं तथा चालू वर्ष में कितने नये खुलने वाले हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—बलिया जिले में इस समय केवल दो सूचना केन्द्र हैं—एक जिला मुख्यालय पर तथा दूसरा चीतबड़ा गांव में । इनके अतिरिक्त इस वर्ष इस जिले में कोई अन्य सूचना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री शिवमंगल सिंह—क्या सरकार को पता है कि बलिया जिले में ग्राम राजागांव धरौनी में सूचना केन्द्र के भवन का निर्माण हुआ जिसका शिलान्यास स्वयं माननीय सूचना मंत्री जी ने ३ वर्ष पूर्व किया था और उसका कार्य आज भी अधूरा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस वर्ष रुपया न होने से हम कोई सूचना केन्द्र नहीं खोल सकत । भवन मुमकिन है कि बन गया हो ।

श्री शिवमंगल सिंह---क्या सरकार उसकी आर्थिक सहायता करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---नियोजन विभाग द्वारा कुछ सूचना केन्द्र बनाये जाते हैं और अगर वह ब्लाक में आता है तो वह उससे निवेदन कर सकते हैं ।

*४४---**श्री रामदीन**---[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

अमिला, मझवारा तथा घोसी के चिकित्सालय

*४५---**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमिला (जिला आजमगढ़) में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी स्थापनार्थ अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अमिला (जिला आजमगढ़) में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी स्थापित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही हुई है:---

(१) आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी कायम करने के लिये शासकीय आदेश नवम्बर, १९५८ को जारी हो गया है ।

(२) उप-संचालक (आयुर्वेद) ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से भवन उपलब्धि के बारे में आख्या मांगी थी जो १७ जनवरी, १९५९ को आई है ।

(३) फरवरी में चिकित्साधिकारी तथा वितरक की नियुक्ति कर दी गई है ।

(४) चिकित्सालय के लिये साज-सज्जा आदि की व्यवस्था की जा रही है ।

(५) औषधियों के लिये अधीक्षक, औषधि निर्माणशाला को लिखा जा चुका है ।

(६) औषधियों के पहुंचते ही चिकित्सालय विधिवत् चालू हो जावेगा ।

*४६---**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि मझवारा (जिला आजमगढ़) में नवनिर्मित चिकित्सालय भवन के किस प्रकार के उपयोग का निर्णय उसने किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस भवन में एक आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किया जायगा ।

*४७---**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घोसी चिकित्सालय को अपने हाथ में वह लेने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस प्रस्ताव पर आगामी वित्तीय वर्ष में विचार किया जायगा ।

हरिजन छात्रावासों के कर्मचारी

*४८---**श्री टम्बरेश्वर प्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में हरिजन छात्रावासों में किस-किस कार्य के लिये कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं तथा उनके वेतनक्रम क्या हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---छात्रों का खाना पकाने हेतु रसोइया तथा (cum) सेवक नियुक्त किये जाते हैं । इनको २५ रु० प्रति मास का नियत (fixed) वेतन दिया जाता है ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---क्या ये नियुक्तियां हरिजनों के लिये सुरक्षित हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---केवल हरिजनों के लिये नहीं है, दूसरे भी आ सकते हैं ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---क्या मंत्री जी २५ रु० का वेतन क्रम कम देखकर कुछ अनुदान बढ़ाने की कृपा करेंगे ताकि यह वेतन बढ़ाया जा सके ?

श्री इस्तफा हुसैन---यह फिक्स्ड वेतन है और वे खाना भी खाते हैं, इसलिये बढ़ाने का सवाल नहीं है ।

*४९-५०---**श्री मुक्तिनाथ राय**---[अठारहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५-६ के अन्तर्गत तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण निर्धारित किये गये ।]

डी० एस० पी० कम्पलेंट्स, बुलन्दशहर के पास शिकायतें

*५१---**श्री छत्तरसिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले के डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) को १ जनवरी सन् १९५६ से १ अक्तूबर सन् १९५८ तक सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---३३८ ।

*५२---**श्री छत्तरसिंह** (अनुपस्थित)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में कितनों पर आरोप प्रमाणित हुआ और सम्बन्धित कर्मचारियों को क्या दन्ड दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उपरोक्त में से ९० मामलों में आरोप प्रमाणित हुए और इनसे संबंधित १७६ व्यक्तियों को निम्न प्रकार दंडित किया गया :---

(१) १७ व्यक्ति नौकरी से अलग किये गये ।
(२) ५२ व्यक्तियों का इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट रोका गया ।
(३) ३६ व्यक्तियों की आचरण पुस्तिका में दुराचरण की प्रविष्टि की गई ।
(४) ३१ के वेतन अथवा पद में कमी की गई ।
(५) ४० को चेतावनी दी गई ।

जौनपुर में हरिजन छात्रावास की मांग

*५३---**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के कुछ विधायकों की ओर से नगर में उपयुक्त स्थान पर एक हरिजन छात्रावास के निर्माण हेतु कोई मांग आई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

श्री माताप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त छात्रावास के निर्माण हेतु अब तक क्या कार्य हो चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट से विदित है कि भवन के अभाव में यह संभव नहीं है कि छात्रावास को स्थानान्तरित किया जाय ।

श्री माताप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी किसी किराये के भवन में छात्रावास के खोलने की व्यवस्था वहां करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---भवन के अभाव से मेरा मतलब किराये के मकान से ही था ।

बलिया जिला अस्पताल में पानी की व्यवस्था

*५४---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अस्पताल में मरीजों के लिये पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या उसे शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। बलिया जिला अस्पताल में मरीजों के लिये पानी की कमी नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बलिया अस्पताल में एवरेज प्रति दिन मरीजों की संख्या क्या है और वहां पानी की व्यवस्था क्या है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—तादाद तो नहीं बता सकता लेकिन वहां पाइप लगे हैं और कुआं भी है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वहां पाइप लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिविल सर्जन की रिपोर्ट आयी है कि म्युनिसिपल बोर्ड और बम्बा लगाने जा रहा है।

*५५—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[हटा दिया गया।]

जौनपुर जिले के गढ़वारा क्षेत्र में मतदान केन्द्र स्कूलों की मरम्मत

*५६—**श्री नागेश्वर प्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ के साधारण चुनाव में गढ़वारा क्षेत्र, जिला जौनपुर में किन-किन स्कूलों को मतदान केन्द्र बनाया गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सन् १९५७ के साधारण चुनाव में गढ़वारा क्षेत्र, जिला जौनपुर में ३२ स्कूलों को मतदान केन्द्र बनाया गया था। इन ३२ स्कूलों के नाम अनुसूची "अ" में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९५ पर)

*५७—**श्री नागेश्वर प्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त स्कूलों में से दरवाजे के लिये किन-किन स्कूलों की दीवारें तोड़ी गई थीं ? उनकी मरम्मत कब हुई और किसके द्वारा हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपर्युक्त स्कूलों में से १८ स्कूलों की दीवारें दरवाजा बनाने के लिये तोड़ी गई थीं। इन १८ स्कूलों के नाम अनुसूची "ब" में दिये हुए हैं।

उनकी मरम्मत साधारण चुनाव के समाप्त होते ही १४ मार्च सन् १९५७ ई० तक तहसीलदार द्वारा करा दी गई थी।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९६ पर)

*५८—**श्री नागेश्वर प्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त स्कूलों की मरम्मत पर कितना-कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपर्युक्त स्कूलों की मरम्मत पर जितना-जितना रुपया व्यय हुआ वह अनुसूची "ब" में प्रत्येक स्कूल के सामने दिया हुआ है।

श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन इमारतों की मरम्मत अमानी में करायी थी या ठेकेदार के द्वारा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी अंतरिम जिला परिषद् द्वारा इस बात की जांच करायेंगे कि इन स्कूलों की वास्तव में मरम्मत की गयी या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमको अगर स्पेसिफिक केस दिया जाय तो उसकी जांच करा ली जायगी ।

नन्दगंज थाने के अन्तर्गत अपराध

*५९---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के नन्दगंज पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत सन् १९५८ में कितने कत्ल, डकैतियां, नकबजनी तथा मवेशियों की चोरी के मामलों की रपट की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् १९५८ में गाजीपुर जिले के नन्दगंज थाने के अन्तर्गत कत्ल या डकैती की कोई घटना नहीं हुई । नकबजनी की १३ और मवेशियों की चोरी की ७ घटनाओं की रिपोर्टें उक्त थाने में दर्ज की गई है ।

*६०---**श्री यमुनासिंह**---उक्त मामलों में कितनों पर मुकदमें चले तथा कितनों पर फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त घटनाओं के मामलों में नकबजनी के ६ मामलों का चालान किया गया और ७ में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई तथा मवेशी की चोरी के ६ मामलों का चालान हुआ और १ मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है ।

श्री यमुनासिंह---क्या यह सही नहीं है कि गाजीपुर जिले में नन्दगंज थाने के करेंदा गांव में जो कत्ल हुआ है उसकी जांच सरकार कराने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यदि कोई विशेष बात होगी और माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा ली जायगी ।

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार बतायेगी कि बाकी ७ नकबजनी के मुकदमों में कौन-कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने यह निवेदन किया है कि १३ मामलों की रिपोर्ट आयी थी जिनमें से ६ मामलों में अभियुक्तों का चालान हुआ है, (एक में व्यक्ति रिहा हो गये हैं, ५ विचाराधीन हैं) और ७ में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है । इन ७ मामलों में अब कुछ और हो सकना सम्भव नहीं है ।

तकमीलुलत्तिब्ब कालेज, लखनऊ के अध्यापकों का वेतन

*६१---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तिब्बी कालेज (तकमीलुल-त्तिब्ब कालेज) लखनऊ के अध्यापकों के कितने ग्रेड हैं और प्रत्येक में वेतन-क्रम क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तिब्बी कालेज (तकमीलुलत्तिब्ब) कालेज) लखनऊ के अध्यापकों के ५ ग्रेड हैं । प्रत्येक का वेतन-क्रम इस प्रकार है :

प्रिंसिपल (१) ३००---१०---४००---ई० बी०---२०---५०० रु० ।
अध्यापक (२) १२०---८---२००---ई० बी०---१०---३०० रु० ।
अध्यापक (३) १००---५---१५०---ई० बी०---१०---२५० रु० ।
अध्यापक (४) ७५---५---१२०---ई० बी०---१०---२०० रु० ।
अध्यापक (५) ५०---४---८०---५---१०० रु० ।

नोट--- तारांकित प्रश्न ६० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आजमगढ़ जिले के थानेदारों के विरुद्ध शिकायतें

*६२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने थानेदारों के विरुद्ध जनवरी, १९५८ से नवम्बर, १९५८ तक कितने शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? उनमें से कितने आरोप सही निकले तथा क्या कार्यवाही की गई और दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२० थानेदारों के विरुद्ध ४८ शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। जांच से कोई भी प्रार्थना-पत्र सही नहीं पाया गया। अतः किसी को दंड देने का प्रश्न नहीं उठता।

*६३-६४—श्री रामस्वरूप वर्मा—[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*६५—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजकल कितने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (क) शहरी क्षेत्र में और कितने (ख) देहाती क्षेत्र में स्थापित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शहरी क्षेत्र में १११ एवं देहाती क्षेत्र में १५ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं।

आजमगढ़ जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों को प्रारम्भिक सहायता

*६६—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ में कुल कितने हायर सेकेंडरी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं तथा उनमें से कितनों को प्रारम्भिक सहायता नहीं दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४६, जिसमें से केवल १५ को प्रारम्भिक अनुपालन अनुदान नहीं मिला।

आगरा जिले में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*६७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा जिला और शहर में १९५७ और १९५८ में पुलिस के कितने कर्मचारियों (सिपाही से लेकर डी० एस० पी० तक) के खिलाफ अदालती एवं विभागीय कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आगरा जिले एवं नगर में सन् १९५७ तथा १९५८ में क्रमशः १८ व १९ तथा ७ व १२ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हुई। उक्त अवधि में आगरा जिले या नगर के किसी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध अदालती कार्यवाही नहीं की गई।

वर्णी जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा को सहायता के लिये प्रार्थना

*६८—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में श्री वर्णी जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा को मान्यता प्राप्त किये कितने साल हो गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—५ वर्ष।

*६९—श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या यह सच है कि इस स्कूल को आज तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिल सकी है ? यदि हां, तो क्यों और क्या अब इस साल सरकार कुछ सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। छात्र संख्या बहुत कम है एवं शिक्षा स्तर गिरा हुआ है। इस वर्ष भी इस संस्था को प्रारम्भिक अनुदान नहीं प्रदान किया जा सकता।

बांदा जिले में जुए के मामले

*७०—**श्री रामसनेही भारतीय** (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में माह नवम्बर, १९५८ में कितने व्यक्ति जुआ खेलते हुये किस-किस थाने में गिरफ्तार किये गये, कितने व्यक्तियों को सजायें हुईं तथा कितने छूट गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९७ पर)

*७१—**श्री रामसनेही भारतीय**—क्या सरकार बांदा जिले में अच्छे तथा मेहनत से कार्य करने वाले सब-इन्सपेक्टरों को हर वर्ष कुछ प्रोत्साहन देती है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल बांदा जिले में ही नहीं अपितु प्रदेश के प्रत्येक जिले में अच्छे तथा मेहनत से कार्य करने वाले सभी नान गजटेड पुलिस कर्मचारियों को चरित्र पुस्तिका में सुचरित्रता की प्रविष्टि अथवा आर्थिक पारितोषिक द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है।

बरेली जिले में हैजे से मौतें

*७२—**श्री बाबूराम** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में १९५८ में किन-किन ग्रामों में कालरा हुआ और हर एक में कितनी मौतें हुईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला बरेली में सन् १९५८ में कुल २२८ ग्रामों में कालरा, गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस की बीमारी हुई और प्रत्येक ग्राम में उक्त बीमारी से जितनी मौतें हुईं उनका †स्टेटमेन्ट संलग्न है।

बरेली जिले में हैजा

*७३—**श्री सुन्दरलाल** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि जिला बरेली में गत वर्ष कालरा से कितनी मौतें हुईं और कितने व्यक्ति कालरा से ग्रस्त हुए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बरेली जिला में गत वर्ष (१९५८) २,२९२ व्यक्ति हैजा—गस्ट्रोइन्ट्राइटिस से ग्रसित हुए तथा ९९८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

*७४—**श्री रामसमझावन** (जिला जौनपुर)—[१३ मार्च १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन कल्याण विभाग में सोशल वर्कर्स

*७५—**श्री रामसमझावन**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरिजन कल्याण विभाग में इस समय कितने सोशल वर्कर काम कर रहे हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—५६।

*७६—**श्री मलचन्द** (जिला सीतापुर)—[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

---

†स्टेटमेन्ट छापा नहीं गया।

सीतापुर जिले में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

*७७—श्री मूलचन्द—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १४ सितम्बर सन् १९५८ को हरिजन छात्रों के छात्रवृत्ति वितरण हेतु सीतापुर जिले की हरिजन कल्याण विभाग की उपसमिति की मीटिंग बुलाई गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने हरिजन छात्रों के प्रार्थना-पत्र मीटिंग के सामने पेश किये गये और उनमें से कितने छात्रों को कक्षावार छात्रवृत्ति दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । ७०१ हरिजन छात्रों के प्रार्थना-पत्र मीटिंग के सामने पेश किये गये और ७८ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई जिसका कक्षावार विवरण निम्नलिखित है :

कक्षा	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	वितरित की गई छात्रवृत्तियां
६	१७६	४८
७	१३६	३
८	९१	२
९	१९४	२२
१०	१०४	३
योग ..	७०१	७८

*७८—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७९-८०—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि—[१० मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या २९-३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

कसया में मुन्सफी स्थापना की मांग

*८१—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि देवरिया जिले में स्थान कसया (कुशीनगर) में मुन्सफी कोर्ट स्थापित करने के लिये सरकार के पास अब तक कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं ? और उन पर अब तक क्या काम हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कसया में मुन्सफी स्थापित करने के लिये जुलाई, १९५२ से अब तक लगभग २५ प्रार्थना-पत्र आये हैं जिन पर उच्च न्यायालय के परामर्श से विचार किया गया । निकट भविष्य में वहां मुन्सफी अदालत स्थापित करने का विचार नहीं है ।

भुडेली निवासी श्री रामचन्द्र त्रिवेदी का थाना कलां की पुलिस पर मुकदमा

*८२—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि ८ सितम्बर, १९५८ को ग्राम भुडेली, थाना कलां, जिला शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति को उपरोक्त थाने की पुलिस द्वारा पकड़ कर थान के अन्दर इतना पीटा गया कि उसका पैर खराब हो गया और पैर लखनऊ में गांधी मेमोरियल अस्पताल में कटवाना पड़ा ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

*८३—क्या गृह मन्त्री उपर्युक्त शिकायतों तथा गांधी मेमोरियल अस्पताल के डाक्टरों की तत्सम्बन्धी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस बारे में श्री रामचन्द्र त्रिवेदी, ग्राम भुडेली, थाना कलां, जिला शाहजहांपुर ने थाना कलां के थानदार व कुछ सिपाहियों पर मुकदमा चला दिया है जो इस समय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः मामले में कोई जांच करना अथवा कार्यवाही करना संभव नहीं है।

*८४-८६—**श्री मोहन लाल वर्मा** (जिला हरदोई)—[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत रामपुर ग्राम में मृत कान्स्टेबिल की लड़की को पेन्शन

*८७—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ में २५ जनवरी, १९५७ को बिहार प्रान्त के जिस कांस्टेबिल की मृत्यु घटनास्थल ही पर चोरों का मुकाबिला करने में हो गई उसकी स्त्री और अनाथ लड़कों को पेन्शन देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। मृतक की एक मात्र आश्रिता लड़की को पेंशन देने के विषय पर शासन विचार कर रहा है।

महार तथा जलालाबाद में सूचना केन्द्रों की आवश्यकता

*८८—**श्री यमुनासिंह**—क्या सरकार गाजीपुर जिले के महार स्थान (पचोतर परगना) तथा जलालाबाद पर सूचना केन्द्र खोलने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी प्रस्तावित स्थानों पर सूचना केन्द्र खोलना सम्भव न हो सकेगा।

बांगरमऊ थाने के अन्तर्गत अपराध

*८९—**श्री मुल्लाप्रसाद हंस** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना बांगरमऊ, जिला उन्नाव में सन् १९५७-५८ में कितनी डकैतियां तथा कत्ल हुए हैं और उनमें से कितनों में चालान किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५७ में २ डकैती तथा १ कत्ल की घटना हुई जिसमें एक डकैती तथा कत्ल का चालान किया गया। सन् १९५८ में १ डकैती तथा ४ कत्ल हुए जिसमें डकैती तथा ३ कत्ल का चालान किया गया।

*९०—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*९१—**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)—[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*९२-९३—**श्री रघुवीर राम** (जिला गाजीपुर)—[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन

*९४—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा मन्त्री ने सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन की असमानता को दूर करने की मांगें सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली हैं ? यदि हां, तो वह इसे कब से लागू करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मामला विचाराधीन है। शिक्षा बजट प्रस्तुत करते समय पूर्ण प्रकाश डाला जायगा।

मान्यता-प्राप्त होमियोपैथिक कालेज

*९५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने होमियोपैथिक कालेज हैं जिन्हें सरकार की ओर से मान्यता प्रदान की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---२।

*९६---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

खुदागंज अस्पताल में डाक्टर न होना

*९७---श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बतायेगी कि खुदागंज (शाहजहांपुर) सरकारी अस्पताल में कब से डाक्टर नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---खुदागंज (शाहजहांपुर) सरकारी अस्पताल में १६ मई, १९५८ से डाक्टर नहीं है।

*९८---श्री रामसुन्दर पांडेय---[१३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला सुल्तानपुर के बाल-क्रीड़ा केन्द्र

*९९---श्री काशीप्रसाद पांडेय (सुल्तानपुर)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में सन् १९५२ में कितने बाल-क्रीड़ा केन्द्र थे और इस समय कितने बाल-क्रीड़ा केन्द्र हैं तथा कहां-कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---राजकीय बोर्ड के अन्तर्गत बाल क्रीड़ा केन्द्र योजना की शुरुआत सन् १९५३-५४ में हुई। अतएव सन् १९५२ में राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड के अनुदान द्वारा सुल्तानपुर जिले में कोई भी बाल क्रीड़ा केन्द्र स्थापित नहीं हुआ।

सन् १९५३-५४ से लेकर वर्तमान समय तक राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड के अनुदान द्वारा इस जिले में ४ बाल क्रीड़ा केन्द्र खोले जा चुके हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

(१) सुल्तानपुर नगरपालिका।
(२) सुल्तानपुर जेल।
(३) ग्राम बधुवा कलां।
(४) ग्राम टिकरी।

सुल्तानपुर जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स

*१००---श्री काशीप्रसाद पांडेय---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में पहली जून, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक कितने बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेंस तहसीलवार दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना निम्न लिखित है:

तहसील	बन्दूक	रिवाल्वर
सुल्तानपुर	३०	७
कादीपुर	१५	—
मुसाफिरखाना	१५	—
अमेठी	१५	—
योग	७५	७

*१०१---श्री लक्ष्मणराव कदम---[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

पुलिस सुपरिंटेंडेंट, मिर्जापुर की जिलाधीश को रिपोर्ट

*१०२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार पुलिस रेगुलेशन्स के नियम ३३६ के अनुसार सन् १९५७ एवं जुलाई, १९५८ में देवरिया, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा बांदा जिलों के जिलाधीशों के पास उक्त जिलों के पुलिस सुपरिंटेंडेंटों द्वारा भेजी गयी रिपोर्टों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--देवरिया, गोरखपुर, बलिया, इलाहाबाद तथा बांदा जिलों के जिलाधीशों के पास पुलिस रेगुलेशन्स के नियम ३३६ के अनुसार सन् १९५७ एवं जुलाई, १९५८ में उक्त जिलों के पुलिस सुपरिंटेंडेंटों द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। मिर्जापुर में भी १९५७ में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। जुलाई, १९५८ में मिर्जापुर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट द्वारा ऐसी रिपोर्ट जिलाधीश को भेजी गई लेकिन रिपोर्ट की प्रति सदन में रखना जनहित में न होगा।

ललितपुर सब-डिवीजन में कत्ल

*१०३--श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि सन् १९५७-५८ में किन-किन डाकुओं द्वारा सब-डिवीजन, ललितपुर (झांसी) में किन-किन ग्रामवासियों की हत्यायें की गई हैं तथा किस स्थान पर और किस तिथि को की गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त अवधि में सब-डिवीजन ललितपुर में दिनांक २०-२१ जुलाई, १९५७ को ग्राम गंगासागर में एक व्यक्ति सूबे लोधी की हत्या डाकुओं द्वारा की गई थी। इस संबंध में अभियुक्तों का चालान किया गया परन्तु समस्त अभियुक्त सेशन न्यायालय से रिहा किये गये। दिनांक २ अगस्त, १९५७ को ग्राम बमौरी पठार के रामदयाल और हजारी अहीर की हत्या हो गई। इस संबंध में ८ अभियुक्तों का चालान किया गया है जो मफरूर हैं।

*१०४--श्री गज्जूराम--जो ग्रामवासी डाकुओं द्वारा मारे गये हैं उन ग्रामवासियों के आश्रितों को सरकार ने क्या-क्या सहायता दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मारे गये उपर्युक्त ग्रामवासियों के आश्रितों को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

नैनीताल में विधायकों की निवास-व्यवस्था

*१०५--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल ग्रीष्म ऋतु में विधान मण्डल सदस्यों के रहने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के कितने कमरे तथा क्वार्टर्स हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विधान मण्डल के सदस्यों के रहने के लिये बुकहिल कैम्प नैनीताल में १२ सूट्स बनाये गये हैं। इसके अलावा विधान मण्डल के सदस्यों को अन्य स्थानों पर भी आवास दिया जाता है।

*१०६--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत अप्रैल, मई तथा जून मास में किन-किन सदस्यों अथवा समितियों ने वहां आवास सुरक्षित होने के लिये किन-किन दिनांकों को राज्य सम्पत्ति विभाग को लिखा और उनमें से किन-किन को किन तिथियों के लिये स्थान दिया गया और किन को नहीं दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिन-जिन सदस्यों अथवा समितियों ने नैनीताल में आवास सुरक्षित होने के लिये जिन-जिन दिनांकों में राज्य सम्पत्ति विभाग को लिखा और उनमें से जिन-जिन को जिन तिथियों के लिये स्थान दिया गया उसकी सूची† 'अ', 'ब', 'स', 'द' पर दी गई है।

---

†सूची छापी नहीं गई।

हरिजन कल्याण विभाग, मिर्जापुर, द्वारा गृह उद्योगों के लिये सहायता

*१०७---**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस चालू वर्ष में मिर्जापुर जिले को हरिजन कल्याण विभाग द्वारा किन-किन Cottage Industries के लिये अनुदान किन्हें स्वीकृत किये गये और अब तक वह उन्हें वितरित हुये कि नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१-२---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

हरिजन कल्याण विभाग, आगरा, के अन्तर्गत सोशल वर्कर

३---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कल्याण विभाग की ओर से आगरा जिले और शहर में क्रमशः तहसील और वार्डवार कितने-कितने सोशल वर्कर काम कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आगरा जिले में केवल एक सोशल वर्कर की नियुक्ति हुई है।

४---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[१३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

लखीमपुर में चोरियां

५---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, थाना लखीमपुर, लखीमपुर नगर में सितम्बर सन् १९५७ से अब तक कितनी चोरियां हुईं जिसमें कितनी वर्कआउट हुईं, कितनी चोरियों में फाइनल रिपोर्ट लगी और कितनी चोरियों में चार्जशीट दाखिल हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२३९ चोरियां हुईं जिसमें ३२ वर्क आउट हुईं, १७९ में फाइनल रिपोर्ट लगी और ३२ में चार्जशीट दाखिल हुई।

केसर चीनी मिल, बहेरी, में अस्पताल बनाने का आयोजन

६---**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या केसर शुगर मिल, बहेरी, जिला बरेली, ने मिल एरिया में अस्पताल बनाने के लिये सरकार को दो लाख रुपया दिया है जिसको दिये एक साल हो गया ? यदि हां, तो अस्पताल कब तक बन जावेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं। मिल मालिकों ने २ लाख रुपयों की लागत से स्वयं अस्पताल बनवाने का वचन दिया है। इस भवन के नक्शे स्वीकृत कर मिल मालिकों को वापस कर दिये गये हैं तथा अक्तूबर, १९५८ में उन्हें कार्य प्रारम्भ करने के निमित्त लिखा जा चुका है।

७---**श्री नत्थूसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह इमारत जनाने व मरदाने दोनों अस्पतालों के लिये होगी और इन अस्पतालों में आम जनता को इलाज कराने की सुविधा होगी या मिल मजदूरों के लिये ही होगी ?

RA 2076
132509

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। उक्त अस्पताल में आम जनता तथा मिल मजदूरों दोनों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

जालौन की दीवानी कचहरी में परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के कर्मचारी

८--**श्री गरीबदास**--(जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन की दीवानी कचहरी में किन-किन पदों पर कितने-कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनमें कितने-कितने कर्मचारी परिगणित जाति एवं पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला जालौन की दीवानी कचहरी में कार्य करने वालों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९८ पर)

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधयक, १९५९

श्री अध्यक्ष--अब सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत एक सूचना देंगे।

सचिव, विधान सभा--मैं सूचना देता हूं कि "इंटरमीडियेट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ जो विधान सभा द्वारा १३ फरवरी, १९५९ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के २६ फरवरी, १९५९ को वापस प्राप्त हो गया है।"

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री वंशीधर शुक्ल जी ने दिया है। इसको मैं अनिश्चितता के कारण स्वीकार नहीं कर रहा हूं। अगर वे जानकारी चाहते हैं तो इस विषय में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं निश्चित करने के लिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषय की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री उग्रसेन जी ने एक अविलम्बनीय महत्व के विषय की सूचना दी है। इसकी भी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह अविलम्बनीय महत्व का विषय नहीं है। इसके लिये वे प्रश्न कर सकते हैं।

गन्ना क्रशर्स पर प्रतिबन्ध के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत श्रम उपमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--श्री गेंदा सिंह के एक प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य देने के लिये कहा था। तो वे कृपा करके इसकी सूचना सदन को दें।

***श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)**--मान्यवर, श्री गेंदा सिंह ने अपने नोटिस में नीचे लिखी बातों पर जोर दिया है--

(१) सरकार ने एक आदेश निकाल कर सारे प्रदेश में गन्ना पेरने वाले क्रशर्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
(२) नये क्रशर्स लगाने के लिये एक प्रसार से बिल्कुल मनाही कर दी गयी है।
(३) यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से बड़े मिल मालिकों के हित में है।
(४) इस आदेश से गन्ना उत्पादकों को भारी क्षति पहुंचेगी क्योंकि इस समय गन्ना उत्पादकों को क्रशर्स के मालिकों से २ रुपया प्रति मन तक कीमत मिल रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

(५) इस प्रकार सरकार खरीद बिक्री प्रतियोगिता का लाभ उठाने से किसानों को रोक रही है।

(६) सरकार इस तरह खंडसारी गृह उद्योग में लगे हुए हजारों व्यक्तियों की रोजी छीन रही है।

मान्यवर, इन बातों का अलग-अलग जवाब देने से पहले कुछ परिस्थितियों की ओर आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस परिस्थिति में यह आदेश जारी किया गया। मई, सन् १९५० में मिल की बनी हुई चीनी पर आबकारी कर बढ़ा कर दुगुना कर दिया गया। उसी वर्ष दिसम्बर में यह कर फिर बढ़ाया गया। इस कर-वृद्धि के परिणाम-स्वरूप वैकुअम पान शक्कर के उद्योग के मुकाबले में खंडसारी उद्योग को टैक्स की दृष्टि से बहुत लाभ रहा। इसका नतीजा भी यह हुआ कि इस दौरान में राब और खांडसारी बनाने के बहुत से कारखाने उठ खड़े हुए जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जिनमें से बहुत से कारखानें फैक्टरी जोन या उसके निकट लगाये गये हैं। इन कारखानों के लग जाने से बैकुअम पान मिलों की गन्ने की सप्लाई पर असर पड़ा है और भविष्य में इससे अधिक असर पड़ने की संभावना है। यदि यह परिस्थिति बनी रही तो वैकुअम पान मिलों को चलाना असम्भव हो जायगा। हमारे यहां पेराई का सीजन वैसे ही छोटा है; अगर मिल एरिया से गन्ना मिलों से हट कर पावर क्रशर्स और वेल्स में जाता रहा तो न केवल यह सीजन और कम हो जायगा बल्कि मिल चलाने में खर्चा और बढ़ जायगा और उत्पादन घट जायगा। ऐसी हालत में मिलों को बन्द होना पड़ेगा और हमारा एक बड़ा उद्योग जिस पर एक हद तक किसानों और हजारों मजदूरों की खुशहाली निर्भर है, खत्म हो जायगा।

इस खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद यह तय किया कि पावर क्रशर्स या उन बैलों पर जिनमें ७ या उनसे ज्यादा कोल्हू हों, लाइसेंस की पाबन्दी लगा दी जाय। ऐसा करने से एक ओर तो मिल के एरिया में जहां गन्ना मिल की जरूरत से अधिक नहीं है नये क्रशर्स और वेल्स लगना रुक जायगा, दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में गन्ना पेरने का कोई लाभदायक साधन नहीं है वहां क्रशर्स और वेल्स लगवाने में आसानी हो जायगी। देखा यह गया है कि जब बहुत से पावर्स क्रशर्स लगने शुरू हुए तो फैक्टरी जाने वाले गन्ने को उन्होंने अपनी ओर खींचना शुरू किया। इससे आपस में एक होड़ सी हो गयी जिसकी वजह से दोनों को नुकसान हो रहा है। काश्तकारों को भी नुकसान हो रहा है। जैसा कि हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से एक कमेटी बैठायी गयी थी उसने भी अपने सुझाव में इस तरफ ध्यान दिलाया है केन्द्रीय सरकार का और प्रदेशों की सरकार का कि इस तरह की प्रतियोगिता को देखते हुए एक खतरा यह है कि न तो गन्ना उत्पादकों का ही लाभ होगा और न मिलवालों का ही लाभ होगा। होता यह है कि जब क्रशिंग का सीजन शुरू होता है तो कमेटी की सूचना के अनुसार वे शुरू में १४ आने मन तक गन्ना लेते हैं और फिर धीरे-धीरे जैसे शुगर फैक्टरीज का सीजन जोर पकड़ता जाता है तो उसके दाम बढ़ते जाते हैं। लेकिन मुकाबले में चीनी मिलों के गन्ना उत्पादकों को जितना पैसा मिलता है उससे कम खांडसारी तथा गुड़ के जरिये गन्ना उत्पादकों को मिलता है। उनके हित में यह नहीं होता। इसलिये कि १०० मन गन्ना पेरने पर हमारे यहां औसत १० मन चीनी बनती है तो खांडसारी सिर्फ १०० मन में केवल ६, साढ़े ६ मन बनती है। इस तरह काफी हिस्सा रस का निकल जाता है बगास में खांडसारी बनाने में और इस प्रकार उसका फायदा देश को नहीं हो पाता है। इन बातों को देखते हुए ऐसा वक्त आ गया है जब खांडसारी उद्योग का ज्यादा फैलाव न हो और यह दबा रहे आपस की होड़ में। अतएव यह निर्णय किया गया कि इस बात को रोकने के लिये उचित ढंग से इसका रेशनलाइजेशन किया जाय ताकि भविष्य में देश के काश्तकारों का इस होड़ में और खांडसारी उद्योग का भी अहित न हो। इसलिये लाइसेंसिंग की बात सोची गयी। इस सम्बन्ध में सरकार ने यह आज्ञा दी है कि पावर क्रशर्स एक

दिन में एक मन से २५० मन तक ३०० रुपये लाइसेंसिंग फीस के देंगे, २५० मन से ५०० मन तक ४५० रुपये और ५०० मन के ऊपर ६०० रुपये देंगे और दूसरा नियम यह है कि उन पर ३०० रुपये पर बेल के हिसाब से लाइसेंसिंग फीस लगा दी गयी है। गेंदासिंह जी को आपत्ति थी। इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश भर में यह सारा का सारा आदेश नहीं लगाया गया। यह आदेश सूबे के ३० जिलों में लागू किया गया है जहां चीनी मिलों और केन क्रशर्स की आपसी होड़ से यह बातें पैदा हो रही हैं।

दूसरी बात जो उन्होंने इस नोटिस में कही है वह यह कि इसी प्रकार मनाही कर दी है भविष्य के लिये, इस उद्योग के लिये यह उचित नहीं मालूम होता कि जो कारखाने इस वक्त चल रहे हैं उनको लाइसेंस देने से इन्कार किया जाय। सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी को लाइसेन्स देने से इंकार करे, यद्यपि कानून की दृष्टि में वह हक हो सकता है। संभावना इस बात की जरूर है कि भविष्य में जो लाइसेंसिंग के लिये आयेंगे उनको जरूर देखेंगे कि उस क्षेत्र में गन्ना क्रशर लगाने के लिये, खांडसारी के लिये वहां गुंजायश है या नहीं है और वहां आपस की होड़ खांडसारी में तो पैदा नहीं होती, वहां गन्ने के उत्पादकों में होड़ तो नहीं होती और गन्ना उत्पादकों को कम पैसा तो नहीं मिलता है। जहां गन्ना अधिक खड़ा है और सवाल यह हो कि कैसे क्रश करें वहां गन्ना क्रशर्स को लगाने के लिये कोई रोक नहीं होगी। चीनी के मिल मालिकों के हित में यह काम नहीं किया जा रहा है। यह बात तो हमारे विचारों से बिलकुल परे है क्योंकि यह कदम हमने देश के हित में, गन्ना उत्पादकों के हित में, खुद खांडसारी उद्योग के हित में उठाया है और वह यह कि कहीं आपसी होड़ में खांडसारी उद्योग मरने के करीब न आ जाय। इसलिये यह चीज की है।

गन्ना चीनी मिलों का इसमें सवाल नहीं उठता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो उनका मुकाबला था वह गैरमौजूं था और वह गन्ना उत्पादक के हित में नहीं जा रहा था। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनको देखने से पता चलता है कि खांडसारी गन्ना उत्पादकों को सीजन भर में जो पैसा मिलता है वह कम मिलता है बमुकाबले उस पैसे के जो गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों से गेट पर मिलता है। ले जाने में तकलीफ जरूर होती है लेकिन ५२ हजार मजदूर भी चीनी मिलों में लगा हुआ है। अगर चीनी मिलें बन्द होने लगें और वे सब खांडसारी में बदल जायं तो फिर ५२ हजार मजदूरों पर क्या असर पड़ेगा? इसलिये इन बातों को देखते हुए चीनी मिल मालिकों के हित का प्रश्न नहीं उठता।

एक बात और कही गई कि शायद भविष्य में ये कारखाने बन्द करने का इरादा है, या जो कारखाने इस वक्त चल रहे हैं उनको बन्द करने का इरादा है। यह इरादा सरकार का नहीं है। यह इरादा जरूर है कि आइन्दा हमारे केन क्रशर्स और खांडसारी उद्योग ऐसे ढंग से फैलें कि जहां उनकी आवश्यकता है और जहां देश की सम्पदा को अच्छी तरह से उपयोग में लाकर उत्पादकों का फायदा हो वहां उनको जाने में हम मदद करेंगे। इसलिये सरकार का खांडसारी उद्योग को हानि पहुंचाने का कतई इरादा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ३० जिलों के लिये कन्ट्रोलिंग आर्डर निकाला गया है खांडसारी के लिये, यह किस कानून की किस धारा के अन्तर्गत निकाला गया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह एसेन्शियल शुगर कंट्रोल आर्डर गवर्नमेंट आफ इंडिया का है। एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ की एक धारा के अन्तर्गत उनको अधिकार था हमें अधिकार देने का कि गन्ने पर हम कंट्रोल लगा सकें, उसी के अनुसार हमने किया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिये और खास तौर पर गांवों में बेकारी की समस्या को हल

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

करने के लिये सरकार की नीति लघु उद्योग के संरक्षण की है। क्या सरकार इस बात पर फिर से विचार करेगी कि इस आदेश से लघु उद्योग को हानि पहुंच रही है इसलिये अपने आदेश को वापस ले ले या उसको संशोधित करे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने जैसा कहा, हम इस उद्योग को हानि पहुंचाने का कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रदेश में जहां चीनी मिलें नहीं हैं वहां इस उद्योग को फैलावें; हमारी सहायता इसके लिये सदैव रहेगी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य हमारी इस काम में सहायता करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने कोई इस प्रकार की गारन्टी भी दी है जहां उसने यह आर्डर लगाया है कि खांडसारी के लिये वहां के किसानों का सारा गन्ना चीनी मिलें वाजिब दाम पर ले लेंगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जहां कहीं हम केन क्रशर्स लगाने की इजाजत देंगे और जहां क्रशर्स लगे होंगे वहां भी सरकार गन्ना उत्पादकों को हर सहूलियत देने के लिये कटिबद्ध है, उसका पक्का इरादा है और वह इरादा हमेशा पूरा होता आया है।

***श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---मैं आपके द्वारा जरा सरकार से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में टोटल एरिया अन्डर शुगर केन ३,०१७,००० एकड़ है और मिलों के लिये रिजर्व एरिया १,९०४,००० एकड़ है। यह टोटल एरिया का ६३ प्रतिशत मिलों के लिये रिजर्व है। अब आप देखें कि मिलों के लिये जो रिजर्व है उसका भी केवल ३७ प्रतिशत ही मिलें गन्ना पेर पाती हैं। क्वान्टिटी आफ़ केन क्रश्ड बाई फैक्ट्रीज वह करीब ९४,००,००० टन है। और कुल जो गन्ना पैदा हुआ है वह ३,०५,६८,००० हजार टन, यानी जितना शुगर केन पैदा हुआ है उसका केवल ३७ प्रतिशत ही शुगर फैक्ट्रीज के जरिये पेरा गया। तो ६३ प्रतिशत सुरक्षित क्षेत्र हुआ उसमें सब नहीं पेरा गया, केवल ३७ प्रतिशत ही पेरा गया। तो क्या सरकार इस बात को समझेगी कि जितना एरिया मिलों के लिये रिजर्व है उसका भी गन्ना नहीं पेर पाती है ? तो किस नुक्तेनजर से सरकार का यह आदेश राष्ट्र और गन्ना उत्पादकों के हित में है ?

श्री अध्यक्ष---आप बहस न कीजिये, प्रश्न कीजिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैंने जैसा अभी कहा था इस प्रदेश के किसी खास गांव, किसी खास जगह के काश्तकारों की शिकायत होती कि हमारा गन्ना मिलों ने नहीं पेरा तो हम उसको देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ आश्वासन दे सकता हूं और बता सकता हूं कि अगर कोई ऐसी बात हमारी नोटिस में आयेगी तो मैं देखूंगा। राजनारायण जी की जो फिगर्स हैं उनको मैं चैलेंज भी नहीं करता हूं और न ऐक्सेप्ट करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज भी जिन हालात में उत्पादित गन्ना पेरा जा रहा है उन हालात में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाने जा रहे हैं, वह सब मौजूद रहेंगे। इस आर्डर के बावजूद भी फर्क इतना ही हो रहा है कि जो खांडसारी और चीनी में १३ रुपये ४ आने फी मन के लगभग फर्क है, उस फर्क को थोड़ा सा कम कर रहे हैं; शायद आने पाई में, रुपयों में नहीं, ताकि यह जो मशरूम ग्रोथ है वह भविष्य में खांडसारी को खतरा न पैदा कर दे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि खांडसारी रिक्वायरमेंट कितनी है सूबे की, इसकी जांच कर ली है आर्डर निकालने के पहले ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---केन्द्रीय सरकार के द्वारा एक कमेटी नियुक्त की गई थी। उस कमेटी ने कुछ पहलुओं पर विचार किया और उसने कई बातें कहीं थीं। अगर सब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बातों को मानते तो हमारे खयाल में ठीक नहीं होता। लेकिन कम से कम जो नियंत्रण किया है वह यह किया है कि मशरूम ग्रोथ नहीं होनी चाहिए।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि यह जो आज्ञा ३० जिलों में लागू की गई है, तो पूरे जिले में होगी या सिर्फ मिल के रिजर्व एरिया में ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसके लिये तुरन्त नहीं कह सकता हूं। लेकिन जहां तक इरादा है रिजर्व एरिया का ज्यादा खयाल किया जायगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---श्रीमन्, मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तो यह कहा गया है कि गन्ना मिल वालों को खांडसारी और गुड़ की वजह से गन्ना कम मिल रहा है। इसके मानी यह हुए कि गन्ने की कीमत ज्यादा मिल रही थी। तो इसका प्रभाव यह होगा या नहीं कि अब कीमत कम मिलेगी ? दूसरे यह कहा जा रहा है कि खांडसारी की तादाद बहुत बढ़ गई है। तो क्या यह वाकया है कि इस साल में कोल्हुओं की टोटल संख्या पिछले साल से कम है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस वक्त मेरे पास कोल्हू की तादाद वाले इस साल के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन गन्ने के मूल्य के बारे में इतना कह दूं कि उसके लिये तो न्यूनतम मूल्य निर्धारित है। उससे कम का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि खांडसारी उद्योग की जो प्रतियोगिता चल रही थी उसके परिणामस्वरूप खांडसारी के दाम घट रहे थे या गन्ने के दाम बढ़ रहे थे, अथवा खांडसारी के दाम बढ़ रहे थे और गन्ने के दाम घट रहे थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पिछले ४-५ सालों का खांडसारी के व्यापारियों का अनुभव और बाजार की जो हालत रही उसकी बढ़ती-घटती से अंदाजा यह हुआ कि प्रतियोगिता इसका गला घोट रही है। उसके दाम एक दूसरे के मुकाबले में आकर डटते थे।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) ५ मिनट और दे सकता हूं। इस पर काफी प्रश्न हो गये हैं। दो-चार प्रश्न और होंगे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह जानकारी है कि एक एक मिल का जो रिजर्व एरिया है, उसमें से मेरठ की एक मिल है जिसमें १ १/२ करोड़ मन गन्ना है और उस मिल की कैपेसिटी कुल ५० लाख मन क्रश करने की है। तो एक करोड़ मन जो बचेगा क्या सरकार किसान वह गन्ना नहीं पेर पाएंगे---उसको खरीदेगी और उचित दाम देगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसमें कई हाइपोथेटिकल बातें हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस मिल का जिक्र है.....

श्री अध्यक्ष---वह पूरे सूबे का जिक्र कर रहे हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अगर कहीं पर गन्ना क्रश होने में मिल की तरफ से कमी रहेगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे साधन उपलब्ध किये जायं जिससे वह क्रश हो जाय और ऐसी उपलब्धि में हम सहायता देंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर---अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ४ करोड़ टन गन्ना पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है और जो हाल में आंकड़े लिये गये हैं उनके अनुसार ३ करोड़ ५ लाख टन गन्ना इस साल पैदा हुआ है, इस हिसाब से अभी और भी पैदा होना है। तो इतना गन्ना जो पैदा होगा उसका क्या होगा क्योंकि जो मिलों की कुल कैपेसिटी क्रशिंग की है वह है १८ लाख टन ?

श्री अध्यक्ष---यह तो श्री राजनारायण...

श्री शिवप्रसाद नागर---इस तरह से वह आधा पेर पायेंगे और आधा...

श्री अध्यक्ष---यह आप बहस कर रहे हैं, आप बैठें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सरकार की नीति यह रही है कि खांड और गुड़ उद्योग के लिये थोड़ी बहुत तकावी देते रहें और भारी उद्योगों को भी जहां गन्ने का क्षेत्र हो लगाते रहें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने निवेदन किया कि हम गुड़ और खांडसारी उद्योग को बन्द नहीं कर रहे हैं, सहायता तो देंगे ही और जो उद्योगपति आ रहे हैं या जो समितियां आ रही हैं वह किसी ऐसी जगह तो नहीं आ रही हैं कि जिन जगहों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, यह खयाल रखेंगे लेकिन सहायता तो करते ही रहेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मंत्री महोदय ने जो बताया कि क्रशर्स से गन्ना उत्पादकों का अनहित हो रहा है तो क्या मंत्री महोदय कोई ऐसे आदेश जारी करेंगे कि लोग क्रशर्स कम कीमत पर न खरीदें या उनको लाइसेंस न दिये जायं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसा प्रस्ताव उस कमेटी ने भी दिया था जो केन्द्रीय सरकार ने बिठाई थी । अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि लाइसेंस कम से कम आदमियों को दिया जाय या क्या किया जाय क्योंकि खांडसारी उद्योग के लोग १४ आना मन तक गन्ना खरीदते हैं.....

श्री शिवप्रसाद नागर---२ रुपये तक खरीद रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह जो खांडसारी और चीनी के उद्योग की होड़ में नुकसान हो रहा है वह क्या नुकसान हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया कि १४ आने गन्ना खरीदा जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी को मालूम है कि खांडसारी वाले क्रशरों पर और कोल्हुओं पर भी १ रुपया १० आना और १ रुपया १२ आना कीमत गन्ने की दी जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पूरे सीजन के १०-५ जिलों में यह दाम रहे हैं बाकी १४ आने से शुरू हो कर बाजार का भाव २ रुपये तक गया है लेकिन ज्यादातर तो १४ आना और १५ आना रहा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं नियम ५३ के अनुसार चर्चा उठाना चाहता हूं....

श्री बंशीधर शुक्ल---मेरा निवेदन एक है....

श्री अध्यक्ष---मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की जांच कराने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, इधर मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से एक खास किस्म की बात कई मौकों पर सदन में सुनाई पड़ी । बजट के सामान्य विवाद में भी उसकी चर्चा हुई और अखबारों से तथा अन्य जरियों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ, जब सिंचाई विभाग के बजट पर विचार हो रहा था उस वक्त भी इसका जिक्र हुआ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, एक वैधानिक प्रश्न है। मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि क्या किसी नियम के मातहत माननीय मुख्य मंत्री सिंचाई मंत्री के अनुदान पर जो वाद-विवाद हुआ है, उस पर जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, वह एक सूचना देना चाहते हैं।

श्री राजनारायण---सिंचाई मंत्री को आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष---वह महज एक सूचना दे रहे हैं। आप कृपा करके बैठिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस बात की तरफ इशारा किया गया, अंग्रेजी लफ्जों में जिसको "इंसीनुएशन" कहते हैं, उस तरह की बात कही गयी कि किन्हीं मंत्री के लड़के या अन्य किसी रिश्तेदार को ठेके दिये गये जिसकी वजह से काफी भ्रष्टाचार हुआ और राज्य का नुकसान हुआ।

यों तो मंत्री और उनके रिश्तेदार भी मनुष्य हैं, उनको भी रोजगार, व्यापार करने का अख्तियार है, मगर किसी मंत्री के किसी संबंधी को अपनी रिश्तेदारी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिये और उसके द्वारा राज्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बुरी बात है। मैं ऐसा मानने को तैयार हूं कि जो माननीय सदस्य इस बात की तरफ इशारा करते हैं उनको भी बार-बार इस किस्म की बात का कहना अच्छा नहीं लगता होगा। इसके साथ ही इस किस्म की बात का रहना जिस किसी मंत्री की तरफ इशारा हो उसके लिए भी बुरी बात है, सारी गवर्नमेंट के लिए बुरी बात है, इस सदन के लिए बुरी बात है और इस प्रदेश के लिए बुरी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चीज की सफाई हो जानी चाहिए।

जहां तक सरकारी साधनों की बात है, चाहे सरकारी कागज हो या अहलकार हो, उनसे तो जो कुछ जानकारी हो सकती है वह हासिल की ही जायगी, लेकिन मैं इस बात के लिए निमंत्रण देता हूं कि जिन किन्हीं माननीय सदस्य को इस किस्म की किसी बात की भी जानकारी हो वह कृपा करके मुझको अवगत करें। मैं पूरी पूरी जानकारी करने के लिए तैयार हूं और उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वह किया जायगा और मैं चाहता हूं कि वह बात की जाय, चाहे कोई नतीजा हो, जिससे स्टेट का नुकसान न हो और मैं नहीं चाहता कि इस बात में कोई देर की जाय। सरकारी चीजें तो मेरे लिए उपलब्ध हैं, उसके अतिरिक्त किसी को भी कोई सूचना हो---मैं फिर दोहराता हूं---वह मुझे अवगत करें ताकि मैं जल्दी ही इस काम को अपने हाथ में बिना विलम्ब के ले सकूं।

श्री राजनारायण---जहां तक मुख्य मंत्री जी की बातों को हमने सुना, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमको और श्री रामस्वरूप जी वर्मा को संकेत करके यह स्पष्टीकरण किया है।

श्री अध्यक्ष---स्पष्टीकरण नहीं, उन्होंने निमंत्रण दिया कि.....

श्री राजनारायण---यह निमंत्रण तो उनका हमेशा से है, कोई नया नहीं है। हमने जमनियां, गाजीपुर के लिए लिखा था कि आप किसी अपने विश्वासपात्र आदमी को भेजिये, मैं स्वतः जमनियां जा रहा हूं। उन्होंने नहीं भेजा और कहा कि स्वतः जाइये। तो यहां वैधानिक प्रश्न उपस्थित होता है कि हमने इस सम्बन्ध में एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा है, उसका नियमानुसार आज या कल जवाब होना चाहिए था। वह जवाब देंगे माननीय सिंचाई मंत्री---श्री चरण सिंह, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री के इस कहने से हमारे उस जवाब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। आपने अगर आक्षेप किया...

श्री राजनारायण---हम तो स्वतः खड़े हैं, उसका सरकार जवाब दे दे।

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने सूचना दी कि अगर आपने आक्षेप किया है और आप उसकी जांच कराना चाहते हैं तो वह तैयार हैं, प्रस्तुत हैं उसकी तहकीकात करने के लिए। उसके लिए आप सूचना दें, इसके सिवा और कोई सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण---मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रार्थना करूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री और उनके कलीग्स के ऊपर आक्षेप है तो उनके लिए भी उचित है, हमारे लिए भी उचित है, प्रदेश तथा सदन के सम्मान के लिए उचित है कि वह एक जुडीशियल इंक्वायरी बैठा दें। वे भी उनके सामने पेश हों और हम भी पेश हों। ये खुद अपने ऊपर जांच करने की जिम्मेदारी लेने के लिये क्यों तैयार हो जाते हैं ? हाउस स्केन्डल का मामला रखा गया था.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें। आपका सुझाव है यह।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक प्रकार से पहली बार इस प्रकार का एलान किया है और मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य इसका स्वागत करेंगे। मैं केवल स्पष्टीकरण के लिये जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का विचार स्वयं जांच करने का है या किसी और माध्यम के द्वारा जांच करवाने का है और कब तक उनके पास सूचनायें पहुंच जानी चाहिये ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके लिये तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि एक बड़ी अच्छी परम्परा उन्होंने कायम की है। जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग तो मैं नहीं करता लेकिन जो स्पष्टीकरण तिवारी जी ने मांगा है कि वे किन सज्जन से और किस प्रकार से जांच करायेंगे और इस बात का कुछ संतोष हमको और जनता को देंगे कि वे ऐसी जांच करायेंगे जो निष्पक्ष हो और विश्वास के योग्य हो। यदि इन बातों का स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी कर दें तो सुविधा होगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब तक मैं मुख्य मंत्री हूं तब तक मैं अपनी कांस्टीटुयूशनल जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। जुडीशियल इन्क्वायरी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन हां, यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी इन्क्वायरी मैं खुद करूंगा, किसी और मिनिस्टर के सुपुर्द नहीं करूंगा। चूंकि मंत्री का मामला है इसलिये किसी अफसर द्वारा जांच कराने की बात तो हो ही नहीं सकती।

माननीय नारायणदत्त जी ने एक सवाल यह पूछा कि कब तक सूचनायें आ जानी चाहिये, तो इसका मैं क्या जवाब दूं, लेकिन जितनी जल्दी माननीय सदस्य मुझे सूचना देंगे उतनी ही जल्दी मुझे इस काम को करने में सहायता मिलेगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मैं आपके द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिस प्रकार एक बार आई० सी० एसों० के खिलाफ बंगलों के बारे में जो इन्क्वायरी हुई थी अगर उस प्रकार की इन्क्वायरी हुई तो कोई महत्व है नहीं और अगर उस प्रकार की इन्क्वायरी की गयी जैसे मथाई साहब के खिलाफ की गयी तो इस प्रदेश की जनता का भी फायदा होगा और सदन का भी फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष---इसमें तुलना का तो कोई सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण---यह तो अच्छी बात कही मुख्य मंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि चूंकि मंत्री के खिलाफ अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच किसी सरकारी कर्मचारी के जरिये कराना उचित नहीं है। उसकी इन्क्वायरी वे स्वयं करेंगे मगर यदि कोई ऐसा मामला आ जाय इन्क्वायरी के दौरान में जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी स्वतः फंसते हों तो उसकी इन्क्वायरी वे किससे करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठिये। उस वक्त आपको चाहिये कि नो-कान्डीफेन्स मोशन यहां पर टेबिल कर दें और गवर्नमेंट को खत्म करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि वह अच्छा होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि अभी आपने मुख्यमंत्री पर कोई आक्षेप नहीं किया है। अगर इस प्रकार का किसी मंत्री के ऊपर बहस में आक्षेप किया जाय तो मुख्य मंत्री का यह वैधानिक कर्त्तव्य अवश्य होता है कि उसकी जांच करे। स्वतः माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर इस वक्त कोई हमला हुआ नहीं था। जो पीछे बात कही गई थी उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परसों-नरसों इस तरह का कोई आक्षेप किसी मंत्री विशेष पर सदन में किया गया था। इस कारण उन्होंने यह अपना कर्त्तव्य समझा कि वे स्वयं जांच करें और उसका स्वागत नारायणदत्त तिवारी जी ने और पालीवाल जी ने भी किया कि यह एक अच्छी परम्परा उन्होंने कायम की वरना तो खामोशी से उसका जवाब दिया जा सकता था और संबंधित मंत्री जी भी स्वयं जवाब दे सकते थे। लेकिन इन्क्वायरी करने की जो परम्परा मुख्य मंत्री जी ने कायम की उसका स्वागत कम से कम दो पार्टियों के नेताओं ने साफतौर से किया है और मुख्य विरोधी दल ने भी किया है। मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशनल तरीका यही है। अब यदि किसी दूसरे मंत्री के ऊपर भी कोई आक्षेप हो या मुख्य मंत्री जी के ऊपर कोई आक्षेप हो तो माननीय सदस्य जो कार्यवाही करना उचित समझें वह कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि उन्होंने, ऐसे आक्षेप जो लगाये गये हैं, उनकी व्यक्तिगत जांच करने का आश्वासन दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या वह इस जांच का परिणाम पूरी एवीडेंस के साथ सदन की मेज पर पेश करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जांच का निष्कर्ष पूरे तौर से सदन के सामने आयेगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक मिनट, मैं उन तमाम सदन के सदस्यों का स्वागत कर रहा हूं कि जिन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा लीपी-पोती करने का ...

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। अब कोई सफाई नहीं दी जा सकती।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---भू-राजस्व---(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान के संबंध में चर्चा होगी। कल श्री नागेश्वर द्विवेदी भाषण कर रहे थे, वह अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं और माननीय होरीलाल जी यादव ने जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका विरोध ओर रहा हूं। मान्यवर, इस अनुदान पर जो चर्चा चली उसमें जोत की अधिकतम सीमा के बारे में और सहकारी खेती के बारे में काफी कहा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जोत की अधिकतम सीमा के बारे में कोई मतभेद नहीं दिखाई देता है और सभी दलों के लोग और आमतौर से किसान भी इसका स्वागत कर रहे हैं कि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाय। इससे जो जमीन निकलेगी वह काश्तकारों को मिल जायगी और उनको बड़ी राहत मिलेगी।

जहां तक सहकारी खेती का संबंध है इस विषय में जरूर मतभेद है। मुझे पैदल यात्रा के बीच में किसानों के बीच में जाने का मौका मिला तो मैंने उनसे चर्चा की ....

†२६ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—जरा सदन में सदस्यगण शान्ति कायम रखें। भाषण सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री नागेश्वर प्रसाद—इसमें दो बातें दिखाई देती हैं। एक तो यह कि छोटे-छोटे काश्तकार इसका स्वागत करते थे, लेकिन बड़े-बड़े किसान डरते थे कि कहीं इसके द्वारा उनका स्वामित्व ही न छीन लिया जाय। इसलिये वह घबड़ाते थे, लेकिन समझाने पर इसका समर्थन करते थे। एक और शंका करते थे कि सहकारी समितियों और सरकारी कर्मचारियों का रवैया देखते हुए इसके सफल होने में आशंका है। इस तरह से दो मत प्रकट होते थे। इसलिये सम्भव है कि प्रयोग में आने पर जब और साफ बातें होंगी तो परिणाम अच्छा दिखाई पड़े। लेकिन आम तौर से देखने में आया है कि काश्तकार इसका स्वागत ही कर रहे हैं।

एक बात सहकारी खेती के संबंध में यह है कि इसकी चर्चा व्यापक रूप में किसानों में फैली हुई है और वह उठते-बैठते आपस में इसकी चर्चा करते हैं। बहुत से लोग जो सहमत नहीं होते थे और जो चकबंदी का पहले विरोध करते थे, विकल्प में चकबन्दी का स्वागत कर रहे हैं। सहकारी खेती या चकबन्दी इन दोनों में से एक न एक चीज किसान अपनाने को तैयार हैं, और मेरा खयाल है कि दोनों में से एक न एक चीज चालू हो जायगी जिससे पैदावार बढ़ाने में लाभ होगा।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि उत्तराधिकार या हस्तांतरण वाली जमीन के इंदराज के सिलसिले, में जिनमें वादविवाद नहीं होगा, उसमें कानूनगो को अधिकार दे दिया गया है। वह गांव सभाज की मीटिंग बुला कर उसके फैसले के अनुसार कार्य करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, गांव सभाज की बैठकें बहुत कम हो पाती हैं। गांव सभाज के प्रधान लेखपालों को सूचना देते हैं, लेकिन फिर भी लेखपाल बहाना करके नहीं आते हैं। इसी तरह से जो इंदराज करने का काम दे दिया गया है, मुझे क्षमा किया जाय और अधिकारियों की बात दरकिनार है, लेकिन माल विभाग में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहा जा सकता है तो वह कानूनगोओं में है। वही पटवारियों से मिल कर इस तरह की कार्यवाही करते हैं और नाजायज फायदा उठाते हैं। यह जो अधिकार उनको दिया गया है उसका वह आमतौर से दुरुपयोग करेंगे। गांव सभाज की बैठकों की जिस प्रकार लेखपालों ने अवहेलना की है म नहीं समझता हूं कि कानूनगो इसका पालन करेंगे। इसलिए सख्ती के साथ हिदायत होनी चाहिए कि आमतौर से कानूनगो जायं और गांव सभाज की बैठक बुलाएं और उस समय की कार्यवाही में इंदराज होना चाहिए कि किस किस मामले में सदस्यों ने राय दी कि यह इंदराज बिना झगड़े का है। इस पर अगर कड़ाई की जायगी तभी इसमें सफलता मिलेगी।

माननीय मंत्री जी ने एक बात विधायकों की पड़ताल के सिलसिले में कही थी। मैं भी अपने क्षेत्र के ५ गांवों को चुनकर के पड़ताल करने गया था। यह सही है कि पड़ताल की शिकायत मौके पर बहुत कम मिली, लेकिन मैंने यह भी देखा कि चूंकि लेखपाल को पहले से इत्तला मिल गयी थी इसलिए कैफियत के खाने में काफी लाल स्याही से रंगा गया था। इससे मालूम होता है कि पहले से तैयार कर लिया था। इतना फायदा जरूर हुआ कि जिन गांवों की पड़ताल करने गये उन गांवों के कागज करीब-करीब दुरुस्त हो गये। लेकिन इसमें मुझे शक है कि जिन गांवों को पड़ताल में नहीं लिया गया है वहां पर भी शिकायतें नहीं रही होंगी या दुरुस्त हो गयी होंगी। यह नहीं कहा जा सकता है। हर जगह इस तरह की काफी शिकायत मिल सकती है और वहां गड़बड़ियां हैं। अगर इसी तरह से कोशिश की जाय तो सम्भव है कि लेखपाल सतर्क रहें और गलतियां कम हो जायं।

अब मैं एक बात की ओर और आपका ध्यान दिलाता हूं। कुछ गांव ऐसे हैं जो नालों और नदियों से कट जाते हैं। उनका लगान माफ नहीं हुआ है वह उन पर खेती नहीं करते हैं

लेकिन उनकी मालगुजारी नहीं कटती है। ऐसी जमीनें जो बेकार हो गयी हैं और उन पर खेती नहीं होती, उनकी मालगुजारी माफ होनी चाहिए। हमारे यहां सई नदी की बाढ़ से १९५५ में, काफी जमीन ऐसी है जिस पर बालू पड़ गयी है और उस पर खेती नहीं होती है, लेकिन फिर भी लगान वसूल किया जाता है। मैंने सरकार का ध्यान भी दिलाया, जांच हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन लोगों को उनकी मालगुजारी बेकार में देनी पड़ रही है। सरकार ने इस बात को पेश किया है कि जो पुराने बाग थे, अगर काश्त उन पर हो रही है तो उनका लगान लिया जाय। यह ठीक है कि जो पुराने बाग हैं और मौके पर काश्त उनमें होती है और काश्तकार उनसे फायदा उठा रहा है तो लगान लेना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि अगर मौके पर जांच में यह बात साबित हो जाय कि किसी खेत में बाग लगाये गये हैं उसमें अब काश्त नहीं होती है तो उसी पड़ताल के आधार पर उस बागों की मालगुजारी भी कम कर देनी चाहिये।

गांव समाज की बैठकों के बारे में हो सकता है कि लेखपाल कहे कि बैठकें हमने कीं और उसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन यह बात ऐसी ही है, बैठकें नहीं हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में अपनी तहसील में वह रिपोर्ट किया करे कि किस महीने में किस किस गांव समाज की बैठक उसने की और जो रिपोर्ट वह दे उसकी जरा जांच कर ली जाया करे।

एक बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी मछलीशहर तहसील में १० गुना लगान के सिलसिले में कुछ काश्तकारों ने ऐसे लगान जमा कर दिये थे जिसका उनको प्रमाण-पत्र नहीं मिला। वह रकम अमानत में पड़ी हुई थी। लेकिन कुछ दिन हुए कि काश्तकारों के लगान में वह रकम जो लगभग ५,००० रुपये होती है, दाखिल कर ली गयी जब कि कई काश्तकारों ने वह लगान पहले ही अदा कर दिया था और आज भी बराबर अदा कर रहे हैं। लेकिन न तो वह रकम उनको वापस की गयी है जब कि वह बराबर इसकी मांग कर रहे हैं और न उनके लगान में ही मुजरा किया जा रहा है। इस तरह से काश्तकार आज परेशानी में पड़ा हुआ है। मुझे यह भी निवेदन करना है कि मेरी जानकारी में तहसील से सरकार के पास इस बात की मांग की गयी है कि जिस खाते में वह रुपया जमा है उससे १० गुना में वापस करने की स्वीकृति दी जाय। लेकिन सरकार से कोई स्वीकृति नहीं दी गयी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और उन काश्तकारों का रुपया जिन्होंने १० गुना जमा किया है उसको वापस करने की व्यवस्था करे।

एक बात की तरह मैं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां एक गांव है, किठुआ। उसकी आबादी २५० से कम थी। इसलिए उसको भगवानपुर गांव समाज में सम्मिलित कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवानपुर गांव समाज के लोग, जहां का आदमी उसका सभापति है, उस किठुआ गांव में जो परती बंजर जमीन है उसको किठुआ गांव वालों को न देकर भगवानपुर गांव समाज के दूसरे लोगों के नाम लिख रहे हैं। इससे परेशान हो करके किठुआ गांव के लोगों ने बार-बार प्रयत्न किया, सरकार के पास इस बात के लिए दरख्वास्त दी कि उनको भगवानपुर गांव समाज से निकालकर खुटहनी या आशामूलपुर गांव समाज में मिला दिया जाय। लेकिन ३–४ साल की कोशिश के बाद भी उनको वहां से नहीं निकाला गया। जब मैं पैदल यात्रा पर गया था तो उन्होंने फिर मुझसे इस बात की शिकायत की। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे और किठुआ गांव को भगवानपुर गांव समाज से निकालकर खुटहनी या आशामूलपुर गांव समाज में मिला दें।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो यह प्रार्थना करूं कि २–४ मिनट समय मुझे और दिया जाय।

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

श्रीमन्, इस मालगुजारी के मामले पर कल से बहस चल रही है । पहले तो मैं अपने माल मंत्री जी को और सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कल मेरे अल्प-सूचित प्रश्न के उत्तर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण किया कि चकबन्दी का काम जैसे पहले था वैसे ही चालू रहेगा। जब से यह वातावरण सरकारी खेती का या भूमि-सुधार व्यवस्था का चल रहा है, लोगों के दिलों में अनेक भ्रम बने हुए हैं और मान्यवर, मानी हुई बात है कि खेती के सम्बन्ध में भ्रम एक बहुत भयानक बात होती है जिससे हानि हो जाने की आशंका है। मगर जो कल स्पष्टीकरण हो गया उससे काफी संतोष लोगों में फैल जायगा ।

इस पर अब अधिक न कहकर मैं अपने माल मंत्री महोदय का ध्यान एक विशेष बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने जो कल पद्धति बतायी, जो व्यवस्था है उसमें कोई शक नहीं कि कुछ उन्नति माल विभाग में हुई है। मालगुजारी वसूली में ज्यादती हो रही है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता लेकिन पहले से जरूर कम है। मगर एक कमजोरी जरूर महसूस होती है कि जो दूसरे लोगों के खेतों पर जबर्दस्ती कब्जा कर लेते हैं और दूसरे के खेत पर अपना नाम लिखवा लेते हैं, यह लिखाने का बुरा तरीका है ।

मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि दूसरे की जायदाद पर कब्जा करने की जैसे अन्य चीजें हैं उसी तरह से खेत के लिये भी बननी चाहिये । एक तारीख मुकर्रर कर दी जाय। जिसका नाम दर्ज हो वह सिवाय अदालत के जरिये से और किसी प्रकार से उसका नाम दर्ज नहीं होना चाहिये । लोग कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं कि मुद्दत से इस पर हमारा नाम दर्ज है

श्रीमन्, यहां पर झारखंडेराय जी और भीखालाल जी ने एक प्रस्ताव हदबन्दी का रखा है । मैं उसका घोर विरोध करता हूं । यह जो हदबन्दी का प्रश्न है यह मेरे विचार से बहुत ही अन्याय पूर्ण है । आप इसे सोचें कि आपने देहात में १०, १२ साल हुए भू-क्रान्ति पैदा की । वह शान्तिपूर्ण क्रान्ति हुई । एक आन्दोलन हुआ और काफी लोगों के ऊपर उसका जाकर असर पड़ा । मगर वह देश के हित में था इसलिये लोगों ने कुरबानी की। उन्होंने इस चीज को सहन किया इसलिये कि देश की तरक्की हो। उसी व्यवस्था में यह कहा गया था कि जो जमींदार अपने खेत को जोते हुए हैं वह अपने खेतों पर शान्तिपूर्वक अटल रह सकते हैं। उसी दिन से लेकर लोग अपने खेतों पर जुट गये । अपनी पूंजी, धन, जेवर, गहना लगाकर खेती की उन्नति करने लगे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, जो आजकल हमारे देश के प्रधान मन्त्री हैं, उन्होंने उस सम्बन्ध में खाद्य समस्या को सुलझाने की माँग की और इस बात की मांग की कि आदमी अपने धन और बुद्धि के अनुसार खेती पर जुट जायं ताकि खेती का उत्पादन अधिक बढ़ जाय। आप देखेंगे कि सन् १९४८ से बराबर उत्तरोत्तर खाद्यान्न में वृद्धि हुई और लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ? आज कितनी अन्यायपूर्वक बातें कही जाती हैं जब कि वे लोग स्थायी भी नहीं हो पाये हैं। लाखों आदमी पंजाब और बंगाल से आये और उन्होंने अपना धन लगाया है । आज उनमें हलचल मची हुई है कि वे असहाय हो जायेंगे, उजाड़ दिये जायंगे । यह जो सीलिंग का प्रश्न है वह दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक तो न्याय की दृष्टि से, दूसरा खाद्य उत्पादन की दृष्टि से। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि इस पर विचार किया जाय तो हमारे देश के जो महान् नेता हैं वह इस पर विचार करें कि यह कहां का सामाजिक न्याय है कि एक वर्ग के साथ एक तरह का बरताव हो और दूसरे वर्ग के साथ दूसरी तरह का बरताव हो। जब बजट के सामान्य विवाद पर माननीय मुख्य मंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहां इन्डस्ट्रीज की तरक्की होनी चाहिये । बड़े जोरदार शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा था। जब मार्टिन कम्पनी को कर्जा देने की बात थी तो उन्होंने कहा था कि उस कम्पनी को रुपये देना जरूरी है और मार्टिन कम्पनी का चलाना जरूरी है। जब उनसे यह कहा गया कि इसका राष्ट्रीयकरण

हो जाय तो उन्होंने यह कहा था कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा धन देना होगा क्योंकि जो नियम उनके बने हुए हैं वह बहुत कठिन हैं। अधिक रुपये देने के लिये उनके पास रुपया नहीं। तो एक तरफ तो यह प्रतिकर देना कठिन है, उसके लिये उनके पास साधन नहीं हैं और दूसरी तरफ खतों को लेने के लिये कोई कानून नहीं है और उनके लिये सीलिंग मुकर्रर की जाती है। शहर के लिये कितनी ही आमदनी हो लेकिन देहात के लिये कहा जाता है कि एक परिवार ३०० रुपये से अधिक का काम नहीं कर सकता। क्या यही सामाजिक न्याय है जो हमारे प्रदेश में आगे होने जा रहा है? उसका नतीजा क्या होगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं और आपके द्वारा यह सदन लगा सकता है।

श्रीमन्, जो सामाजिक न्याय की बात है उसके विषय में मैं निवेदन करूं कि खेतों को लेकर जो प्रतिकर मुकर्रर किया गया है वह लागत के २५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। देहात के लिये जो सामाजिक न्याय है वह देहात के लिये अलग है और शहर के लिये अलग है। उसकी हालत यह है कि आज प्रश्नोत्तर के समय उत्तर में बतलाया गया कि शहरों के अन्दर उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में १११ राजकीय विद्यालय हैं और देहात के अन्दर केवल १५। जिस देहात में ८५ फीसदी लोग रहते हों, उसके लिये सरकार ने यह इंतजाम किया है। भले ही चन्दा कर के सरकार चलाती है, लेकिन क्या यह सामाजिक न्याय है? श्रीमन्, सब से बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि सामाजिक न्याय का पैमाना दिल्ली के बड़े-बड़े अधिकारी बना रहे हैं जो शहर के निवासी हैं और ३, ४ हजार रुपया मासिक तनख्वाह पाते हैं। जो शेर और आदमी का किस्सा है वही यहां लागू होता है। शेर का यह कहना कि अगर हमने तस्वीर बनाई होती तो हम दिखाते, सही है। देहात के लोगों में आज बुद्धि, साहस और क्षमता नहीं है और वे एक्सप्लायट हो रहे हैं इसलिये भले ही कोई कैसा ही कानून बना ले, कुछ कह नहीं पाते।

श्रीमन्, जहां तक खाद्य उत्पादन का सवाल है, मुझे कहना है कि आज कल बड़ी भयंकर परिस्थिति हो रही है। हम लोग, जैसा मैंने पहले कहा था, कगार पर चल रहे हैं, जरा भी पैर चूका खंदक में जायंगे। आज हमारा खाद्य उत्पादन ऐसा है कि जितने रिसोर्सेज़ हमारे पास थे वे खत्म होते जा रहे हैं, सिंचाई के अन्दर करोड़ों रुपया खर्च किया गया लेकिन महसूस हो रहा है कि गाड़ी आगे नहीं चल रही है। गल्ला मंगा रहे हैं लेकिन गाड़ी चलती नहीं। ऐसे समय में परिस्थिति को एकाएक बदल देना, मैं नहीं समझता, कहां तक उचित है। खाद्य उत्पादन के लिये, उसके उत्पादन बढ़ाने के लिये आज आवश्यकता है कि बुद्धिमान और साधन संपन्न व्यक्ति आगे आयें, धन वाले आदमी इसमें जुटें, लेकिन आप सीलिंग और हदबंदी का नाम ले कर उन सबको दूर भगा रहे हैं। जो नौजवान आदमी इस काम में आये थे वे बाहर भागने की सोच रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। श्रीमन्, आप देखेंगे कि लोगों में इसलिये विश्वास हट गया है। १९४८ से १९५५ तक थोड़ी सी प्रगति हुई थी, लेकिन १९५५ के बाद जब से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एलान हुआ और जब से यह सीलिंग और कोआपरेटिव फार्मिंग का नाम आने लगा तब से इस क्षेत्र में प्रगति रुक गयी। परती भूमि १,२०,००,००० एकड़ थी जिसमें से केवल १८,००,००० एकड़ जमीन तोड़ी गयी। श्रीमन्, अगर आंकड़े देखे जायं तो सन् १९५० से निरन्तर १९५५ तक जमीन तोड़ी गयी, लेकिन उसके बाद थोड़े ही दिनों के अन्दर बिलकुल बन्द हो गयी और आज भी परती जमीन टूटना बन्द है। आज ५,००,००० एकड़ के निकलने का अनुमान लगाया जाता है। हमारे देश में १,००,००,००० एकड़ बंजर पड़ा हुआ है जो कहा जाता है खेती के योग्य है। पहले इसमें अन्न पैदा करिये, इस पर ध्यान दीजिये। आज जो आप ५,००,००० आदमियों को परेशान करके एक अनिश्चित वातावरण में डालना चाहते हैं उसकी क्या आवश्यकता है? वह जमीन आप भूमिहीनों को देंगे नहीं। उसे आप सहकारी समितियों को देंगे। उन पर आप को पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसमें कितना पैसा लगेगा इसका भी आप अंदाजा लगाइये। पैदावार तो किसान की मेहनत से बढ़ती है, जमीन के छोटे-बड़े होने से नहीं। इस बात पर आप न जायें कि एक आदमी ने कह दिया है कि होगा तो

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

होना चाहिये। यह सामन्तशाही हमारे यहां खत्म होनी चाहिये। आपके ही आसन पर बैठे राजर्षि टंडन जी ने नासिक में भाषण दिया था कि हमारे यहां विचारवाद होना चाहिये, एक आदमी या किताब के कहने पर ही कोई बात नहीं होनी चाहिये। एक हस्ती की इच्छा पर, पूज्य पंडित जी ने कह दिया कि दलीलें बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन दलील का जवाब नहीं देना चाहता हूं, यह तो होना है। आज देखना है कि अगर इस तरह के सिद्धांत चल गये तो देश कहां से कहां जायगा। हम लोग किसान हैं, पूज्य धरती माता के सेवक हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम अपने को समर्पित करने को तैयार हैं और इसलिये इस मसले पर सावधानी से विचार होना चाहिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और आपके द्वारा इस विभाग के मंत्री जी तथा विभागीय अधिकारियों को उनके प्रयत्नों के लिये बधाई देता हूं। अब तक के जो इनके प्रयत्न रहे हैं उनसे जो क्रान्ति उन्होंने और उनके विभाग ने ग्रामीण जनता में पैदा की है उसके लिये वे मेरी ओर से नहीं बल्कि ग्रामीण जनता की ओर से भी बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, कृषि उत्पादन वृद्धि के वर्तमान कार्यक्रम के सिलसिले में उधर बैठने वाले राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी ने सामाजिक न्याय की बात कही। मान्यवर, मैं आपके द्वारा उनसे मांग करता हूं, पुकार करता हूं, निवेदन करता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि यह कहां का सामाजिक न्याय है कि एक ओर जो लोग खेत पर काम करें उनकी नौजवान लड़कियां अपनी इज्जत ढांकने के लिये चिथड़े भी न पा सकें, और दूसरी ओर उनकी ही कमाई पर लोग गुलछर्रे उड़ायें। खेतिहर मजदूर, जो बड़े-बड़े फार्मों के मालिकों के यहां २४ घंटे लगातार परिश्रम करें, भूमि के मालिक न होकर ऐसे लोग रहें जो शहरों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं और आज इस क्रान्तिकारी कदम के लिये सामाजिक न्याय की आड़ लेकर इस प्रगतिशील कदम को एक गलत कदम देश और समाज के लिये बताने का साहस करें, यह कहां का न्याय है। मान्यवर मैं आपके द्वारा अपने उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इस सिलसिले में देहात और शहर की समस्या का एक उलझाव माननीय सदस्यगण के सामने पेश किया और यही नहीं बल्कि यह भी लांछन लगाया कि एक व्यक्ति के हदबन्दी व सहकारी कृषि के फैसले को हम मान बैठे हैं, यह कहां की बुद्धिमानी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, आप भी भली प्रकार जानते हैं और राजा साहब भी भली प्रकार जानते हैं कि यह एक व्यक्ति की मांग नहीं है, यह एक नेता की मांग नहीं है, यह इस समाज के बहुसंख्यक लोगों की मांग व फैसला है। इस समाज के बहुसंख्यक लोगों का हित इसमें शामिल है। यह दूसरी बात है कि आज कुछ बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि के बल पर समाज का शोषण करते हैं। यह ऐसा फैसला है जो, देश की जनता की भलाई व प्रगति के लिये, अत्यन्त आवश्यक है। आज हमारे देश में आर्थिक विषमता को मिटाने, सामाजिक समानता को पूरा करने के लिये भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना जल्द से जल्द आवश्यक है। सीमा निर्धारित करने के बाद जो दूसरा कदम अन्नोत्पादन को बढ़ाने के लिये हो सकता है वह हमारे देश के लिये सहकारी कृषि का है। यह कदम हमारे समाज व देश और हमारी आने वाली सन्तानों के लिये अत्यन्त ही आवश्यक और लाभप्रद है। अगर हम चाहते हैं कि जीवित रहें, हमारा देश तरक्की करे तो उस नेता की बात को जिसने जनता की सही आवाज को पहचान कर यह प्रोग्राम रखा है इसका स्वागत करना चाहिये और इसमें पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिये। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको, देहात और शहर की बात कहकर टाल दें और इसकी अहमियत को कम कर दें। वैसे मेरा विश्वास है कि इस तरह से इसकी अहमियत या महत्व कम होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं भी देहात का रहने वाला हूं और मैं यह कहने में जरा भी नहीं झिझकता कि मेरे हृदय में भी किसानों और गांव वालों के हित का दूसरे से कम ध्यान नहीं है मैं भी देहातों की उन्नति चाहता हूं लेकिन इस तरीके से इस बड़े प्रश्न के सामने शहर और देहात का सवाल उठाकर कोई आदमी हमें इस आवश्यकता और जरूरत के सवाल से हटाना चाहे तो यह हमारे साथ और समाज के साथ न्याय नहीं होगा।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक शिकायत अवश्य करता हूं कि अभी उन्होंने मेरठ में जो व्यक्तिगत रूप से अपना विचार दिया कि वे समझते हैं कि कम से कम ५० एकड़ की सीलिंग हमारे प्रान्त में होनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि उनका यह व्यक्तिगत विचार भले ही कितना ही उपयुक्त क्यों न हो, लेकिन उससे खेतिहर मजदूरों को जो आशायें थीं उन पर पानी फिर गया है। एक प्रश्न उन लोगों के दिमाग में पैदा हुआ है कि जो उन्नतिशील कदम उठाया जाने वाला है उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस क्रान्तिकारी कदम से उस क्रान्ति की पूर्ति होगी, इस एक अच्छे काम से समाज के पीड़ित से पीड़ित खेतिहर मजदूरों को तरक्की मिलेगी, शांति मिलेगी, उनका आर्थिक स्तर और मान ऊंचा होगा। वे उस भूमि के स्वामी होंगे, जिस भूमि पर वे काम करते हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात बड़े जोर से कही जाती है कि हदबन्दी से भूमि पर बोझ बढ़ जायगा। लेकिन क्या भूमि पर बोझ उन लोगों से बढ़ रहा है जो उस भूमि पर काम करते हैं या उन लोगों से बढ़ रहा है जो भूमि के मालिक हैं और भूमि पर काम नहीं करते? उससे भूमि उन्हीं लोगों की हो जायगी जो कि उस पर काम करते हैं। इसलिये भूमि का बोझ दूर करने के लिये आवश्यक है कि भूमि की अधिकतम सीमा जल्दी से जल्दी निर्धारित की जानी चाहिये और वह इतनी होनी चाहिये कि एक परिवार बैलों से दूसरे लोगों की मदद के बिना उस पर खेती कर सके। इसके लिये एक परिवार के पास १२ १/२ एकड़ भूमि पर्याप्त होगी लेकिन अगर सरकार इस निश्चय के विपरीत करती है तो वह अपने ही फैसले से पीछे हटेगी, क्यों कि कुछ ही दिन हुए इस सदन से इस प्रकार का एक संशोधन सरकार ने स्वीकार कराया है।

मान्यवर, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि प्रायः कहा जाता है कि हदबन्दी से अधिक भूमि नहीं मिलेगी। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लिखी हुई पुस्तिका के आधार पर ही कहता हूं कि बरेली डिवीजन, नैनीताल जिले, मेरठ डिवीजन और गोरखपुर डिवीजन में अगर ३० एकड़ की ही सीलिंग मान ली जाय तो ५,२४,१३२ एकड़ जमीन बचेगी। हम इसी स्वीकृत सिद्धान्त के आधार पर, जो इस सदन ने माना है, यदि १२ १/२ एकड़ एक परिवार को देते हैं तो ४१,९३२ परिवारों को वह जमीन दे सकेंगे। इस प्रकार से सरकार इतने लोगों को मान देगी और उनके जीवन में स्फूर्ति प्रदान करेगी। एक मानवता का अधिकार दिलायेगी। उन लोगों को एक सामाजिक न्याय प्रदान करेगी और एक सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति को पूरा करेगी। मैं आशा करता हूं कि यह मन्त्रि मंडल जितनी जल्दी हो सकेगा १२ १/२ एकड़ की सीलिंग लगा कर भू-क्रान्ति को जल्द से जल्द पूरा करेगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा एक निवेदन और करना चाहता हूं। वह है इन्ड्रस्ट्रियलाइजेशन में अब तक के कानूनों द्वारा क्रान्ति लाना। इसका मुकाबला मैं भूमि की सीलिंग वाली मांग से करना चाहता हूं। अगर हम एक इन्डस्ट्री में काम करने वाले मजदूर को देखें तो हमें मालूम होगा कि उसको कितना वेतन मिलता है और खेती पर काम करने वाले को कितनी मजदूरी मिलती है। हम देखेंगे कि इन्डस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिये कितने क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं, उनका वेतन बढ़ाया गया है, उनके रहने का प्रबंध किया गया है, अस्पताल का इन्तजाम किया गया है, रोशनी का इन्तजाम किया गया है, उसके लिये बोनस और छुट्टी का इन्तजाम किया गया है। लेकिन भूमि पर काम करने वाले मजदूरों के साथ क्या पशुओं से भी बदतर सलूक नहीं किया जाता है? क्योंकि जो जानवर कि किसानों के हल में जोते जाते हैं, उनके लिये भी चारे और पानी की परवाह होती है लेकिन जो हलवाहा सारे दिन खेतों में काम करता रहता है, न तो उसकी परवाह की जाती है और न उसके बच्चों व उसके परिवार की परवाह की जाती है। सरकार को चाहिये कि वह इन बातों की भी व्यवस्था करने का जल्दी प्रयत्न करे।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)---अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। जब एक महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है तो एक भी मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर यहां उपस्थित न हो क्या यह उचित है ?

श्री अधिष्ठाता---शर्मा जी देखेंगे कि एक सभा सचिव बैठे हुए हैं जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मेरा भी व्यवस्था का एक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि यह वांछनीय है कि जब यहां किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही हो तो यहां मंत्री जरूर उपस्थित रहा करें। सभा सचिव तो उनका प्रतिनिधित्व कर नहीं सकते हैं। ऐसी हालत में क्या यह उचित है ?

श्री अधिष्ठाता---यह सत्य है कि माननीय मंत्री जी को यहां उपस्थित रहना चाहिये, ऐसा अध्यक्ष महोदय ने कहा भी था, लेकिन लंच के लिये वे गये होंगे और उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में वे आ जायेंगे। यह सही है कि माननीय मंत्री का यहां उपस्थित रहना आवश्यक है और उन्हें जरूर रहना चाहिये।

***श्री रघुवीर सिंह** (जिला एटा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री होरी लाल यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि चौधरी साहब जैसे राजस्व मंत्री जिनकी कार्य-कुशलता, निपुणता और कर्त्तव्य-परायणता से यह सदन ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश की जनता में से अधिकांश संख्या प्रभावित है, उन्होंने कल अपने भाषण में चकबन्दी के कर्मचारियों और माल विभाग के कर्मचारियों यानी लेखपालों की भी बड़ी तारीफ की। मुझे इसमें भ्रम है क्योंकि १९ फरवरी की बात है, हमारे जिला एटा में कंसालिडेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मैं गया था। मुझे जिले के कंसालिडेशन अधिकारी से ज्ञात हुआ कि केवल ६९ ग्रामों में जो गलतियां पकड़ी गयीं वे साढ़े २३ हजार पायी गयीं। माल मंत्री जी का यह कहना कि हमारे लेखपालों का काम संतोषजनक है, यह कहां तक ठीक है? क्या ६९ ग्रामों में साढ़े २३ हजार गलतियां निकलना कुछ कम है ? और फिर भी यह खुशी की बात है कि उन्हीं के विभाग के कर्मचारियों द्वारा यानी चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा लेखपालों की गलतियां निकाली गयीं। उन्हीं के कर्मचारियों की गलतियां उन्हीं के दूसरे विभाग के कर्मचारियों ने निकाली हैं और फिर दोनों विभाग के कर्मचारियों की एकदम तारीफ कर देना यह मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरी बात यह कही गयी कि पारसाल विधायकों नें जांच में ज्यादा भाग नहीं लिया। ठीक है, इसके बहुत से कारण माननीय सदस्यों ने बतलाये। मुझे इस संबंध में एक सुझाव देना है और वह यह है कि वे अपने अधिकारियों को यह आदेश भेज दें कि जो कोई विधायक ऐसी तिथि उनके बीच निश्चय हो जाने पर उनके पास जायं तो वे सभी काम छोड़ कर उनके साथ चलने की कृपा किया करें। अधिकांश जिलों में यही गड़बड़ी हुई होगी और मेरे साथ भी ऐसी ही बाधा पड़ी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि खाद्यान्न के भाव को देखते हुए लगान की दर कुछ अधिक नहीं है फिर भी कुछ संशोधन होना आवश्यक है। वह यह कि कुछ ऐसी भूमि है जिनको भूतपूर्व जमींदारों ने गरीब काश्तकारों से बड़े-बड़े नजराने लेकर दफा १७१ के अधीन असल काश्तकारों को बेदखल करा कर उनको पट्टा कर दिये थे। इस संबंध में सरकार ने बाद में एक ऐसा कानून बनाया जिसके अनुसार असल काश्तकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी जमीन उनसे वापस ले लें जिनको जमींदारों ने नजराना लेकर बन्दोबस्त कर दिया था। चुनांचे उन्होंने दावा किया। उसमें यह बात रखी गयी कि तीन साल तक उनका दर्जा शिकमी का रहेगा और उसके बाद उनसे असल काश्तकार अपनी जमीन पर दखल कर लेंगे। उन असल काश्तकारों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में बहुत से ऐसे भी थे जो खेती करना नहीं चाहते थे या खेती से दूर रहते थे और छोटे-छोटे उद्योग करते थे । इन काश्तकारों ने नजराना लेकर जमीन छोड़ दी । ऐसे काश्तकारों ने दो बार नजराने दिये और उन दो बार नजराने देने वालों का लगान नये कानून के अन्तर्गत, जिनको शिकमी दर्ज कराया था, दूना कर दिया । उनका लगान आज भी उसी दर से है हालांकि लगान उनका उतना ही होना चाहिये था जो असली काश्तकारों का था । ऐसे काश्तकारों के संबंध में सरकार को विचार करना चाहिये और उनका लगान उतना ही रखना चाहिये जितना कि असली काश्तकारों का था ।

कुछ ऐसी जमीनें थीं जो उजाड़ बाग थे । ऐसी भूमि को, उसके बंजर को तोड़ा और खेती की । वास्तविकता तो यह है कि वे ४ , ६, १० साल से खेती कर रहे हैं । सरकारी अधिकारियों ने पिछले साल उन पर लगान तजवीज किया । पहले से उनको कोई सूचना नहीं दी गयी । किसी साल उनसे लगान नहीं मांगा गया । अब ६ साल तक का लगान उनसे मांगा जा रहा है । ऐसी जमाबन्दी मेरे जिले एटा में बहुत है । एक-एक किसान पर वहां ५,६ सौ रुपये की रकमें हैं । ६,६ सौ का लगान एक दम से मांगा जा रहा है । यह सरकार रिआया के लिये कुछ कानून बनाती है और अपने लिये कुछ कानून बनाती है । जब जमींदारी प्रथा थी तो जमीदार केवल ३ साल का लगान वसूल कर सकता था लेकिन आज यह सरकार ६ साल का लगान वसूल करने में कोई संकोच नहीं कर रही है । चौधरी साहब ने कहा कि उसे हम किस्तबन्दी से लेना चाहते हैं । किस्तबन्दी से लेना भी ठीक नहीं है क्योंकि फिलहाल का लगान दो और पिछले सालों का भी, यह कोई न्यायसंगत है ? अगर राजस्व मंत्री ठंडे दिल से विचार करें तो वे इस निर्णय पर अवश्य पहुंचेंगे कि उनसे ३ साल का लगान लिया जाय और ३ साल का छोड़ दिया जाय और जिनसे ६ साल का लगान वसूल हो चुका है उनको ३ साल का रिफंड कर दिया जाय ।

श्रीमन्, ऐसा अक्सर होता है कि दैवी प्रकोपों से खरीफ की फसल अगर नष्ट हो जाया करती है तो खरीफ का लगान मुल्तवी करके उस लगान को रबी की फसल में वसूल कर लेते हैं । मेरा ऐसा सुझाव है कि यदि एक फसल नष्ट हो गयी और किसान को कुछ नहीं मिला और कम से कम उसके परिवार का जो कुछ खर्चा था वह बराबर रहा इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि उससे वह लगान न लिया जाया करे तो ज्यादा मुनासिब होगा । पहले किसी कारणवश अगर किसान जमीदार को लगान नहीं दे पाता था तो जमीदार नालिश करता था । तहसीलदार साहबान किसान की उज्रदारी पर उसे मोहलत दे दिया करते थे लेकिन आज इस सरकार ने उस मोहलत का कोई प्राविजन नहीं रखा, जब कि उसका होना नितान्त आवश्यक था । बात यह है कि यह अक्सर देखा जाता है कि किसान के ऊपर तरह-तरह की मुसीबतें आती हैं, उसे इस तरह की परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है जिसको ध्यान में रख कर अगर राजस्व मंत्री उसे मोहलत दे दिया करें तो ज्यादा फायदेमन्द होगा ।

श्रीमन्, अक्सर सदन में चर्चा होती रहती है कुमायूं जमींदारी उन्मूलन विधेयक की । कई बार सदन में लाया गया लेकिन न मालूम क्या करण है कि उस पर कोई अमल नहीं किया जाता । इसकी चर्चा अब भी राजस्व मंत्री ने की है लेकिन मुझे ऐसा खयाल होता है कि अब की बार भी यह पास होता प्रतीत नहीं होता है । कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है और उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता । श्रीमन्, इकोनामी कमेटी की सिफारिशों पर इस विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया । पहले जब जमींदारी थी और उसके बाद भी बहुत दिनों तक तहसीलदारों द्वारा ही लगान की वसूली होती रहती थी । अब एक कलेक्शन विभाग और शुरू कर दिया गया है, मेरी समझ में यह फिजूल का खर्चा है और पहले ही की तरह लगान तहसील द्वारा वसूल किया जा सकता है, कलेक्शन विभाग को तोड़ दिया जाय ।

*श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में चकबन्दी की जो योजना चल रही है इसमें दो रायें नहीं हैं कि मंत्री जी ने भ्रष्टाचार मिटाने की काफी कोशिश की है और करीब ३,५०० सरकारी कर्मचारी बरखास्त भी हुए हैं। लेकिन अब भी इसमें काफी गड़बड़ी है। चाहे हम बुराई की तरफ आंख मींच लें लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। फिर भी मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काम में काफी कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आइन्दा और ज्यादा कोशिश की जायगी। जहां हम सरकारी कर्मचारियों पर इल्जाम लगाते हैं वहां किसान भी दोषी होते हैं क्योंकि गांव की अच्छी जमीन अपने नाम लिखाना चाहते हैं इसलिये वह भी रिश्वत देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि इसमें और ज्यादा सफलता मिलेगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे प्रदेश में जो गांव सभाओं को जमीन दे दी गयी है, जिसे भूमि प्रबन्धक कमेटी कहते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था, उसमें एक कमी यह है कि जमीन तो गांव सभा को एलाटेड है लेकिन उसके लगान की मालिक सरकार हो जाती है। जब गांव सभा की जमीन है और वही मालिक है तो उससे जो आमदनी होनी चाहिये वह भी तो गांव सभा को जानी चाहिये। लेकिन दिक्कत यह है कि उसे सीरदार बना दिया जाता है और लगान का रुपया सरकारी खजाने में जमा होता है, यह गलत है। इसमें सुधार होना चाहिये।

इसके अलावा अभी जो भूमि व्यवस्था बिल पास हुआ था उसमें एक क्लाज था कि जो आदमी मर जाता है और उसके लड़के नहीं हैं तो उसकी जमीन का हक उसकी लड़की के चाचा को मिलेगा। अब अगर तीन चार भाई हैं और २ मर गये, एक के लड़का है और दूसरे के लड़की तो वह जमीन तमाम चाचा को पहुंचेगी, भतीजों को नहीं मिलेगी। मान लें ५ भाई हैं और एक उसमें से ऐसा आदमी मर गया जिसके सिर्फ लड़की थी और तीन ऐसे मर गये जिनके लड़के हैं तो जायदाद एक आदमी को पहुंच जायगी। मेरा कहना है कि जायदाद भतीजों को भी मिलनी चाहिये। इसलिये इसमें तरमीम होनी चाहिये नहीं तो गांवों में झगड़े पैदा हो जायेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, मंत्री जी इसको नोट कर लेंगे। जहां तक एक जनरल बात का ताल्लुक है, यह ठीक है सरकार को कहना भी चाहिये कि हमारे आदमी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहन भी देना चाहिये। लेकिन श्री रघुबीर सिंह ने बताया कि २४ हजार गलतियां एक कागज में ही पायी गयीं तो इसके मानी हैं कि गलतियां हैं। १०-१० साल से आदमी काश्त कर रहे थे और वह लिखे नहीं। हमारी तहसील में, मुझे पता है, एक जमीन तहसीलदार ने बेच ली क्योंकि कह दिया कि यह बंजर जमीन है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये बल्कि इसकी सही ढंग से जांच होनी चाहिये कि आया वह काश्तकार उसमें काश्त करता है या नहीं और अगर वाकई किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है या ५९ के बाद कब्जा किया है तो वह तो बेदखल होना चाहिये। लेकन जिनकी पहले से जमीन पर काश्त है उनका हक होना चाहिये।

दूसरी बात, यह जो खाना कैफियत में कब्जा लिख दिया जाता है, यह भी गलत बात है। अक्सर ऐसा हुआ कि जमीन किसी की है और काश्त कर रहा है और, किसी ने गलत तरीके से अपना कब्जा लिखवा लिया और नया झगड़ा उसमें शुरू कर दिया। तो यह बात बिलकुल सही है कि जब इतने सुधार हो चुके हैं तो अगर किसी को अपना कब्जा दिखाना है तो अदालत में दावा करे और कब्जा साबित करे। यह नहीं कि लेखपाल को हक दिया जाय कि खाना कैफियत में दर्ज कर दिया और मालिक हो गया।

एक माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि जमीन की साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग होनी चाहिये और अगर इससे गिर जाते है तो बहुत बड़ी बदनामी होगी और मजदूरों को बहुत नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि किसानों और मजदूरों के लिये सभी लोगों के दिल में दर्द है, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे प्रान्त में एक किस्म की जमीन नहीं है। कहीं नहरी है, कहीं आबपाशी की है और कहीं कैसी है, दसियों तरह की जमीन है। अगर एक सीलिंग मुकर्रर की जाय तो ठीक नहीं होगा। बाज-बाज जगह दो-दो साल तक एक दाना भी नहीं होता। वहां पर सीलिंग कर के १०० बीघा भी जमीन दे दी जाय तो किसानों को पट्टे कर दें गे।

तीसरी बात मुझे कहनी है, सहकारी खेती की। पंडित जवाहर लाल जी ने भी एलान किया कि जबर्दस्ती न की जाय। अगर जबर्दस्ती की जाय तो वह डिक्टेटरशिप हो जायगी। जो माननीय सदस्य कहते हैं, उन्हें किसी ने मना किया है, पहले अपने घर में तो सहकारी खेती करें पहले अपनी कांस्टीटुएन्सी में वह एम० एल० ए० किसानों में प्रचार करें। बस मुझे तो यही निवेदन करना है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ११–१२ साल हुए कांग्रेस की हुकूमत हुए और किसानों और मजदूरों को तनिक भी राहत नहीं मिली, बल्कि दिक्कत बढ़ गयी। सरकार की ओर से मालगुजारी और नाना प्रकार के टैक्स लगते हैं। इससे किसानों की कमर टूटती जा रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है। किसानों की हालत इतनी गिर गयी है कि अन्न उत्पादन की भी शक्ति नहीं है। यही अन्न संकट का कारण है। ११–१२ वर्षों से सोशलिस्ट पार्टी यह सुझाव बराबर देती आयी है कि किसान और खेतिहर मजदूर की समस्या हल की जाय। परन्तु सरकार किसान की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं देती है। उन्हें भुलावे में छोड़ना चाहती है। सरकार तो बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़े बड़े जमींदारों की ओर जा रही है। अगर देश में किसान को उठाना है तो जिस भूमि से मालगुजारी वसूल करके सरकार चलती है, उस भूमि का पहले सुरक्षित इन्तजाम करना चाहिए और वह यह कि अलाभकर जोतों से लगान हटाया जाय। जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट से सिद्ध है कि माननीय चरण सिंह जी ने उसमें स्वयं कहा था कि १ एकड़ तक के किसानों को ६ आने की छूट, १ एकड़ से ४ एकड़ तक की जोतों पर २ आना की छूट, और ६ से १० एकड़ तक १ आने की छूट मिलनी चाहिये। इससे साबित है कि किसानों को अलाभकर जोतों से लाभ नहीं है, जब कि हमारी पार्टी सवा ६ एकड़ तक लगान माफ करने की बात कहती है। अगर ऐसा किया जाता है तो केवल १० करोड़ रुपया का घाटा होगा लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है। कम से कम दो ढाई करोड़ किसानों को इससे राहत मिलेगी, लेकिन सरकार पूंजीपतियों की ओर जा रही है। ८६ प्रतिशत किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है। जो सरकार बड़े बड़े सामन्तशाहों की तरफ और मिल मालिकों की तरफ ध्यान देती है, जब कि अंग्रेजी राज्य में १२ करोड़ रुपये के मुनाफे का बजट होता था। आज हमारे सूबे की आय मालगुजारी से करीब २२ करोड़ रुपया है अगर उसमें से दस बारह करोड़ कम भी हो जायगा तब भी दस बारह करोड़ के मुनाफे पर सरकार का खर्च चलाया जा सकता है। आप देखें कि हमारे यहां सन् १९४६ में सवा करोड़ मन चीनी होती थी, उस वक्त २ रुपये मन गन्ना था और ९, साढ़े ९ आने सेर चीनी बिकती थी और उस समय दस करोड़ का मुनाफा मिल मालिकों को होता था लेकिन अब जब कि गन्ने के दाम १ रुपया ७ आना और १ रुपया ९ आना मन है और चीनी के दाम १ रुपया सेर के करीब हैं तो मिल मालिकों को १९, साढ़े १९ करोड़ रुपये का मुनाफा होता है, छोई और शीरे आदि को छोड़ कर। इससे साफ सिद्ध है कि सरकार सेठ साहूकारों के साथ है। यह बात इससे भी सिद्ध है कि सन् १९३७ में जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी उस समय किसानों को ६ आना रुपये की छूट दी गयी थी और साथ ही ३ साल की जमींदारों की जो बकाया थी वह भी माफ की गयी थी। उस समय कोई जमींदारों की किसानों से दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो लगान बढ़ा दिया था और सरकार को महसूस हुआ कि लगान ज्यादा है और छूट मिलनी चाहिए, लेकिन आज क्या हो रहा है जब कि जमीन एक ही

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

किस्म की है, किसान एक ही तरह की मेहनत करता है लेकिन आज उनके कर अलग-अलग प्रकार के हैं और लगान भी सब के अलग-अलग किस्म के हैं। मान लीजिये कि मझार जमीन है तो जो भूमिधर है उस का लगान आधा, सीरदार है तो उसका लगान ज्यादा है, मेहनत वह भी उतनी ही करता है और अगर कोई शिकमी या अधिवासी है तो उसी जमीन का लगान ड्योढ़ा है। यह मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यह सब हटा कर अगर बिना मुनाफे की खेती से सरकार लगान माफ कर दे तो यह सब चीज सुधर जायगी, वह खुशहाल हो जायगा और जब खुशहाल होगा तो खेती में भी उन्नति करेगा और इस तरह से उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस तरह से हमारी अन्न की समस्या भी सुधर जायगी।

हमारी दूसरी मांग यह है कि भूमि का बटवारा किया जाय। भूमि जो अपने हल-बैल से, बगैर मशीन का सहारा लिये हुए जोतता है और ५ आदमियों का परिवार है तो सवा ६ एकड़ से अधिक जमीन किसी के पास न रहे। ज्यादा से ज्यादा वह तिगुनी से ज्यादा न रख सके, अगर इसकी हदबन्दी कर दी जाय तो करीब-करीब ३२ लाख एकड़ जमीन बड़े-बड़े सामन्तों से मिल सकती है। जब वह मिल जायगी तो मेहनतकश खेतिहर किसान देश में अन्न समस्या को हल करेंगे और देश की बेकारी दूर होगी। दोनों समस्याएं साथ-साथ हल होंगी, लेकिन सरकार इस पर हदबन्दी नहीं करना चाहती, बड़े-बड़े फार्म वालों के साथ में है।

९० लाख एकड़ परती व बंजर भूमि तोड़ने के लिये अन्न सेना भर्ती की जाय और जो लोग बेकार हैं उनको भूमि में बसा दिया जाय जो उन सामन्तों से मिले और इस प्रकार से अन्न की समस्या को हल किया जाय, जिससे विदेशों का सहारा न लेना पड़े। जिस जगह पर किसान ने अपनी मेहनत से जमीन की पैदावार को बढ़ाया है उस पर तो लगान बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन जहां पर जमीन बरबाद हो रही है उस पर कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। हैदरगढ़ तहसील और बाराबंकी जिले की ओर से कई दरख्वास्तें हमने दीं कि कितनी ही झीलें वहां हो गयी हैं, जहां पहले अन्न पैदा होता था वहां कुछ नहीं हो सकता और उधर सरकार लगान मांग रही है। गोमती नदी के किनारे तीन बार बहिया आ चुकी है और लगान उसी तरह से वसूल किया जा रहा है और मन्त्री जी कहते हैं कि लगान ज्यादा वसूल हुआ। हम बताते हैं कि जैतपुर नहर, मुरलीगंज नहर और दरियाबाद नहर के किनारे की सैकड़ों बीघा जमीन बरबाद हो गयी है और वहां लगान लिया जा रहा है। वहां सारा क्षेत्र झील बन गया है, उनसे लगान न लिया जाय और पानी के निकालने की व्यवस्था की जाय।

श्री शीतल प्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय मंत्री जी ने भूमि सम्बन्धी तरह-तरह के कानून बनाये और इस दृष्टिकोण से बनाये कि जनता का कल्याण हो। वास्तव में जमींदारी उन्मूलन के बाद हमारे यहां के किसानों का काफी भला हुआ है। हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यह आक्षेप कांग्रेस सरकार पर लगाया है कि कांग्रेस वालों ने उस जमाने में यह वायदा किया था कि स्वराज्य प्राप्त होने के बाद किसानों का लगान आधा हो जायगा। ठीक है, लेकिन माननीय सदस्य इस बात को भूल रहे हैं कि जिस जमाने में हमारे कांग्रेस वालों ने वादा किया था वह कौनसा था? उस समय २० सेर, १८ सेर का गेहूं बिक रहा था। उस हिसाब से आज लगान १/५ हो गया है। आधा वादा किया था तब भी लगान १/५ हो गया। इस हिसाब से लगान ज्यादा नहीं है, बल्कि काफी कम हुआ है।

कहा गया कि भूमि-व्यवस्था अधिनियम को सरकार ने बनाया, इससे हमारे यहां के काफी कृषक जो शिकमी थे वह तो सीरदार हो गये हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो रही है जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी है। वह यह कि जमीन के मालिक गांव वाले सभी बनना चाहते हैं और जमींदारी खत्म होने के बाद जो भी जमींदार थे उन्होंने काफी जमीन छेक रखी थी, परन्तु

वे श्रम करने के आदी नहीं हैं, खेती नहीं कर पाते हैं जिससे उत्पादन कम होता है । जमींदारी खत्म होने के बाद जमीन का उत्पादन बढ़ा, लेकिन भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद उत्पादन घटा । उसका मुख्य कारण यह है कि जिसके पास २५, ३०, ४०, ५० एकड़ जमीन है वह खेती तो कर नहीं पाता, लेकिन इस भय से कि अगर जमीन दूसरे को देंगे तो वह निकल जायगी येन-केन प्रकारेण जमीन पर कब्जा किये हुए हैं, थोड़ा बीज डाल देता है, थोड़ी जुताई कर देता है जिसके कारण पैदावार ठीक ढंग से नहीं हो पाती । इससे उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा इसके लिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उस भूमि का सही उपयोग हो सके ।

नागपुर अधिवेशन के बाद हदबन्दी की बात चली और आज कई दिन से इस सदन में माननीय सदस्य इस विषय में चर्चा कर रहे हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और होना चाहिये । आज गांव के काफी लोग बेकार हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है । अगर जमीन है तो बहुत कम है । हमारे यहां पुराने जमाने के तजुर्बेकार किसानों ने कहा है कि गांवों में ६ प्रकार के खेतिहर होते थे । उसके सम्बन्ध में एक मसल है कि "१० हर राय, २० हर राना, ८ बैल के भले किसान । दो हर खेती, एक हर बारी, एक बैल से भली कुदारी" । राणा और राय का जमाना तो उठ गया, अब किसान, खेतिहर और बारी की बात ही होनी चाहिये । केवल एक बैल पर भी किसान खेती नहीं कर सकता । सरकार को ऐसा तरीका सोचना चाहिये जिससे इन तीनों प्रकार के किसान, खेतिहर और बारी का सही तरीके से भरण-पोषण हो सके ।

आज गांव में काफी किसान ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है । उसके लालच में वे आज आधा पेट अन्न खा कर और नंगे रह कर गांवों में पड़े रहते हैं, दूसरी कोई रोजी उनके पास है नहीं । सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उन्हें भर पेट अन्न मिल सके ।

इसके साथ-साथ आजकल गांवों में एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है जिससे गांवों का वातावरण एकदम अशान्त हो गया है । वह यह है कि लोग कैफियतनामे में नाम लिखवा करके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं । वैसे तो हमारे विधान में अगर कोई आदमी बिला अनुमति के कोई चीज पर दखल कर लेता है तो उसको सजा मिलती है लेकिन जमीन पर अगर बिना अनुमति प्राप्त किये कोई कब्जा कर लेता है तो उसको अधिकार मिल जाता है । ऐसा मेरे खयाल से नहीं होना चाहिये । इससे गांवों में बहुत अशान्तमय वातावरण हो गया है और बहुत काफी मुकदमेबाजी हो रही है । मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस विषय में भी कोई सोच समझ कर कदम उठायें ।

इसके अलावा आज हमारे देश में खाद्यान्न की काफी कमी है । गांव के कई प्रतिशत लोग आज आधा पेट भोजन मुश्किल से पा रहे हैं । लोगों का कहना है कि जनवृद्धि हो गयी है, इसलिये कमी है, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं है । जनवृद्धि हुई है तो लोगों का आहार भी कम हो गया है । मेरे बचपन में गांव में जब कभी भंडारा वगैरह हुआ करता था तो हमारी तहसील में जहां ७ मन का १०० आदमियों के लिये राशन बनाया जाता था (हमारे यहां ५ सेर का मन होता है) वहां आजकल केवल साढ़े तीन मन ही बनाया जाता है । इस हिसाब से पता चलता है कि जिस अनुपात में जनवृद्धि हुई है उसी अनुपात से लोगों का आहार भी कम हो गया है । इसलिये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा उत्पादन घट रहा है आंकड़े कुछ भी कहते हों । इसके लिये सरकार को क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिये ।

गांव में किसानों के पास जो खाद होती है उसमें से अधिक मात्रा में वह कंडे बनाकर जला देते हैं । गांव समाजों के पास जमीन बेकार पड़ी हुई है इसके लिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि वहां पर गांव के किसान जंगल लगा सकें और अमूल्य खाद को खेती के उपयोग में ला सकें जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके । मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि भूमि-व्यवस्था अधिनियम में सीलिंग करने के बाद जो लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं उनको यह अधिकार दिया जाय कि वह दूसरों से भी खेती करा सकें । आज जो बड़े-बड़े किसान हैं वह

[श्री शीतला प्रसाद]

१०–१२ रुपये देकर अपनी खेती दूसरों से कराते हैं। अगर वह बटाई पर दे दें तो अधिकार चला जाता है। इस लिये वह अपनी जमीन किसी दूसरे को नहीं देते हैं। यद्यपि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, इसलिये वह ठीक ढंग से खेती नहीं करा पाते हैं। इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में क्षमा चाहता हूं।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)---श्रीमान अधिष्ठाता महोदय, आज मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आज भी हमारे देश के किसानों की वही हालत है जो पहले थी। मैं देखता हूं कि सदन में जो भाषण देते हैं न मालूम वह किसानों तक पहुंच पाते हैं या नहीं। जो पहले राजा महाराजा और जमींदार किसानों को परेशान करते थे उसी तरह से आज कांग्रेस कर रही है। आज हमारे देश में किसान बहुत गरीब है और उसी हालत में है जो पहले थी। उसकी दशा कुछ सुधरी नहीं है।

लेखपालों के बारे में मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा था कि वह बहुत ईमानदार हैं। मान्यवर, तहसील एटा में गढ़ी गांव का पटवारी लोगों को परेशान किये हुए है और वह उसी गांव का है वहां बहुत दिनों से रहता आया है और इसी गांव के हल्के में लेखपाल है। वहां के लोगों ने कलेक्टर से उसकी शिकायत की और चौधरी साहब कासगंज, तहसील एक गांव में जब गये थे तो उनसे भी शिकायत की, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। यह गांव नदी के किनारे पर है और जो नाव नदी में पड़ती है उस पर उसका कब्जा है जब कि वह जनता द्वारा डाली गयी थी। इसी तरह से फफूंद इलाके के पटवारी की तथा एक और इलाके के पटवारियों की भी शिकायतें हैं। श्रीमन्, पटवारी जो फसल भरते हैं तो वह अलग होकर भरते हैं। इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है और झगड़े की सम्भावना हो जाती है। इसलिये इस काम को प्रधान के मातहत किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य जरा बैठने की कृपा करें। माननीय तिरमल सिंह जी, जब भाषण हो रहा हो तो चेयर के और बोलने वाले सदस्य के बीच में इस तरह से न घूमा करें। आना हो तो आप पीछे से आयें।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---श्रीमन्, तकावी की बात कही गयी, लेकिन हमारे यहां ऐसा हुआ है कि ६, ६ महीने तक तकावी नहीं मिली। किसान को तहसील में अमीनों ने परेशान किया और हाकिम परगना के यहां दो-दो, तीन-तीन महीने पड़ा रहा। तीन सौ रुपया तकावी का ढाई सौ रुपया प्राप्त हुआ। बाकी उन लोगों को देने लेने में खत्म हो गया। तकावी का काम प्रधान को दे देना चाहिये। श्रीमन्, कुछ लोग हजारों बीघे जमीन जोते हुए हैं और किसी के पास दो-चार बीघे भी जमीन नहीं है। इसलिये साढ़े बारह एकड़ से ऊपर की जमीन ले कर बंटवारा कर देना चाहिये। कुछ सदस्यगण ऐसे बोले जैसे उनका जनता से कोई टच नहीं है। मान्यवर, गांव ऊंचे करने का जो ब्योरा दिया गया लखनऊ में ठाकुरगंज के पल्ली तरफ जो गांव हैं वह बिल्कुल बरबाद हो गये, लेकिन उनको कतई ऊंचा नहीं किया गया। किसानों के घर पर झोपड़ी भी नहीं है। किसान हजारों साल से सब को खाना देता आ रहा है। आज उसकी हालत इतनी खराब हो गयी है कि उसके पास झोपड़ी तक नहीं है। उसका नाम अन्नदाता है, लेकिन किसी ने यह भी देखा कि वह क्या खाता है? एक टाइम खा कर रहता है। वह आज पूंजीपतियों को खाना देता है, बैल, भैंस, बकरी, धीमर, धानुक, नाई, धोबी, लोहार---ये सब उसी के आधार पर चलते हैं। पूंजीपति तो छुरी कांटे से खाना खाता है, लेकिन किसान चलते-चलते खाता है तो उसकी रोटी कौआ भी छीन कर भाग जाता है। कहा जाता है कि प्रदेश के लोग स्वतंत्र हो गये, लेकिन किसान उसी गुलामी की जंजीरों में फंसा हुआ है। यहां पर ७५ प्रतिशत किसानों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन यहां आ कर भूल जाते हैं। स्वार्थ के लिये यहां अपना भाषण देते हैं। समाजवाद की बात करते हैं। हम भी एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, मिनिस्टर भी एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं अकेला हिन्दू महासभा से आया हुआ हूं। जो हमारी जेल है. . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि जेल से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—एक उदाहरण दे रहा हूं। जेलों में कैदियों में से नम्बरदार बना दिया जाता है और जब वह नम्बरदार हो जाता है तो वह कहता है कि साले कैदी सब बदमाश हैं, बेईमान हैं। आज इस प्रदेश में जो कोई चुन कर आ जाता है तो उसी नम्बरदार की तरह व्यवहार करता है।

***श्री रामलक्षण तिवारी** (जिला बलिया)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग के इस अनुदान पर कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जब हमारा प्रदेश क्रांति की ओर अपना कदम उठाने जा रहा है, हमारे कुछ बंधुओं को ये चीजें बहुत ही गड़बड़-सी प्रतीत हो रही हैं। खासतौर से उधर की तरफ से जो आवाजें आ रही हैं, बड़ी ही कड़ुवी आवाजें निकल कर हमारे कानों तक आ रही हैं। एक सज्जन ने खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंगित करके कहा कि जनता की राय से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की राय से इस देश में कोआपरेटिव फार्मिंग और सीलिंग की बात लादी जा रही है। अगर वह इतिहास और राजनीति के ज्ञाता होते तो उनके मुंह से ऐसी बात हरगिज नहीं निकल सकती थी। यह तो इतिहास का तकाजा है, युग का तकाजा है। कौन-सी ऐसी प्रगतिशील संस्था है जिसका यह तकाजा नहीं है कि इस देश में जिस तरीके से सामन्तवाद का विनाश किया गया, जमींदारी प्रथा का विनाश किया गया, किसानों को सैकड़ों-हजारों तरह के जुल्मों से बचाया गया, शिकमीदारों को अधिकार दिया गया और यह अधिकार दिया गया कि खेतों को जो जोते बोये खेतों का वह राजा है, जो नारा हम लगाते थे, उस नारे को कार्यान्वित किया गया और जोतने बोने वालों को पूरा-पूरा अधिकार भूमि पर दे दिया गया। उसके बाद हमारा तीसरा कदम उस ओर चला है जहां पर कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हुआ करता है, जिसका पहला कदम सामूहिक खेती से हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं और सीलिंग फिक्स करने से हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इससे इतनी परेशानी क्यों? इतनी छटपटाहट क्यों? साफ और स्पष्ट चीज है कि जिन्होंने अधिक जमीन के ऊपर अपनी सत्ता जमाकर के समाज को पदाक्रांत कर रखा था और जिन तत्वों ने इस समाज के एक एक अवयव के खंड–खंड करके, रौंद करके जिनकी सीधे खड़े होने की ताकत तोड़ दी थी और सीधे खड़ी नहीं जनता जहां की हो पा रही थी, उन लोगों को यह बुरा लग सकता है। लेकिन हिन्दुस्तान के क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण को यह नहीं बुरा लग सकता। हिन्दुस्तान के लोहिया को यह बुरा नहीं लग सकता, हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी को यह बुरा नहीं लग सकता, हिन्दुस्तान के कांग्रेसमैन, जो लोग अपने को कांग्रेसमैन कहते हैं उन लोगों को बुरा नहीं लग सकता। यह हमारे देश का एक बहुत ही उठाने वाला अध्याय प्रारम्भ होने जा रहा है। परिवर्तन हमेशा बुरा होता है। किसान को अच्छा नहीं लग सकता है। किसान भी कंजरवेटिव होता है, अनुदार प्रवृत्ति का होता है। वह परिवर्तन जल्दी नहीं पसन्द करता, लेकिन परिवर्त्तन के युग में रहते हुए उसको परिवर्त्तन की चीजों को देखना पड़ेगा, उसके लिये अपने को ठीक करना पड़ेगा कि वह इस चीज को सहन कर सके। जो चीज उत्थान की होती है, तमाम नेता, तमाम जनता जिस चीज को समझती है कि इससे हमारी प्रगति होगी उसको कोई प्रतिक्रियावादी समझे तो यह उसकी समझ का ही फेर कही जा सकती है।

लगान क्यों नहीं जमींदारी के बाद आधा हुआ? श्री शीतला प्रसाद सिंह ने अधिष्ठाता महोदय, अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि अनाज का भाव जिस समय काफी सस्ता था उस समय के रेंट की तुलना में आज जब कि अनाज का भाव इतना मंहगा हो गया है लगान केवल १/५ पड़ता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें यहां पर इस विभाग के बजट के अवसर पर कही गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

बहुत सारी बातें सही हो सकती हैं। पटवारी की बातें कही गयीं, लेखपाल की बात कही गयी, उसको मैं सही मानता हूं। लेखपालों के हाथ में जितने भी अधिकार दिये गये हैं और लेखपालों ने उन अधिकारों का प्रयोग जिस तरीके से किया है, जो एक कन्वेन्शन चला आ रहा है वह कन्वेंशन, वह प्रवृत्ति आज भी टूटी नहीं है, बल्कि उसने लेखपाल को और भी ज्यादा बल दिया है। अधिकार न होते हुए भी कुछ ऐसे अधिकार उसको प्राप्त हुए हैं जिसका प्रयोग करके वह जनता से मनमाना रुपया वसूल करता है। मुझे स्पष्ट मालूम है हमारे ही एक गांव के एक सज्जन थे। सवा सौ बीघे जमीन उनकी थी। कोई भी शिकमीदार उस पर नहीं था, दूसरे लोग जोतते थे। तीन साल तक भीतर-भीतर पटवारी नाम दर्ज करता चला आया और आखिर हाई कोर्ट तक से उन्हीं लोगों के पक्ष में फैसला हुआ जिन लोगों ने फर्जी तरीके से इन्दराज करा रखे थे और जो लोग सही में जोतने वाले थे वे बिलकुल उससे अलग हो गये। उनको बहुत काफी मुसीबत उठानी पड़ी। अभी मुझे ज्ञात हुआ था एक मुसम्मात के खेत पर नाम चढ़ाना था। नाम चढ़ाने के लिये पटवारी से कहा गया। वह गांव का अगुआ समझा जाता था। उसने १०० रुपये की मांग की नाम चढ़ाने के लिये। वह रुपया उसको नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि दूसरे की शिकमीदारी लिख दी गयी। उससे कहा गया कि नाम हम दर्ज नहीं कर रहे हैं, जब रुपया तुम्हारा आयेगा तब दर्ज होगा। जिसके मुकदमे अब चल रहे हैं। २–२ वर्ष से अधिक मुकदमे चलते हो गये। इस कानून के कारण इतनी ज्यादा मुकदमेबाजी हो गयी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज तहसील में चले जाइये, सैकड़ों, हजारों आदमी वहां पर बस्ता बांधे हुए फिरते नजर आयेंगे। तो हमारे इस कानून में कुछ ऐसा संशोधन होना चाहिये, कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिये जिससे लिटिगेशन बढ़ने के बजाय कम हो। इस मुकदमेबाजी को घटाना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है जिससे जनता को परेशानी न हो। जो उसके रोजमर्रा के काम हैं उन रोजमर्रा के कामों के लिये कुछ ऐसी सहूलियत कानूनों में मिलनी चाहिये जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और आसानी से वह अपने काम को ठीक कर सकें। गांव पंचायतों को अधिकार होना चाहिये, जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार होना चाहिये और जो सेवा करने वाली संस्थायें हैं उनको अधिकार होना चाहिये कि अगर गांव में कहीं पर कोई ज्यादती हो रही है तो उनका वह निराकरण करा सकें। आज ऐसा हो गया है कि एक एम० एल० ए० यदि सही भी जानता है तो वह कहीं भी प्रामाणिक नहीं माना जाता है लेकिन एक लेखपाल की बात बहुत काफी प्रामाणिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मानी जाती है। इतना बड़ा अधिकार उसको देना यह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता।

मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। जो दौरे होते हैं उसमें बड़ी परेशानी होती है। पहले भी दौरे होते थे लेकिन पहले तो देहात के जमीदार लोग उनकी खातिर किया करते थे। आज पटवारी की मार्फत सारा इन्तजाम किया जाता है। पटवारी का जितना दोष है उससे कम ऊपर के अधिकारियों का नहीं है। अधिकारी विन्टर में दौरा करने के लिये निकलते हैं। उनके साथ कुछ व्यक्ति भी होते हैं। पता नहीं कितना खर्च होता है, वह सब खर्चा वसूल किया जाता है। मुझे नहीं मालूम और जिलों में भी होता है या नहीं, लेकिन मेरे जिले बलिया में मुझे मालूम है कि पटवारी के जरिये से सब खर्चे का प्रबन्ध किया जाता है। पटवारी दोषी है, लेकिन जब उसके ऊपर भार लाद दिया जाता है तो उसको एक बहाना मिलता है कि वह भी जनता से कुछ खाये। सरकार को इसका मूल्यांकन करना चाहिये कि जितना हम दौरों में खर्च करते हैं वहां पर काम भी उतना होता है या नहीं। यह दौरे बिलकुल बेकार ही होते हैं। मैं समझता हूं कि जनता को उन दौरों से विशेष वास्ता नहीं हो सकता है और न उससे कुछ लाभ ही होता है। इस विषय में सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिये और सरकार को इस संबंध में कुछ सोचना चाहिये। बस इतनी बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो अनुदान सदन के समक्ष उपस्थित है और इसके संबंध में जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सीलिंग के संबंध में, हदबन्दी के संबंध में नागपुर अधिवेशन के बाद आम चर्चा प्रदेश में फैली हुई है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। अभी यहां हाउस में सुनने को आया। वह वाकई किसान नहीं थे, अगर उनकी सूरत को देखा जाय और उनकी माली हालत को देखा जाय और उनके खजाने की तरफ ध्यान दिया जाय तो उनकी सूरत किसानों से मिलती-जुलती नहीं है, लेकिन वह अपने को किसान एलान करते हैं कि वह किसान हैं। नागपुर अधिवेशन के बाद हदबन्दी का जो नारा सामने आया मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इसका स्वागत करता हूं कि कांग्रेस में एक नया मोड़ आया है। ११ साल बाद एक नया मोड़ आया, उन्होंने नये रास्ते पर चलने के लिये कदम उठाया है। इस नीति में जो खामियां हैं मैं उनका समर्थन नहीं करता। यह नहीं बताया गया कि सहकारी खेती किन-किन आकांक्षाओं को जोड़ कर की जायगी। सहकारी खेती उस समय हो सकती है कि जब जमीन की हदबन्दी हो, वह किसानों में बांटी जाय। इसके बाद ही सहकारी खेती द्वारा देश की प्रगति हो सकती है। दुनिया में जहां भी सहकारी खेती हो रही है वे देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को आप के द्वारा बतलाना चाहता हूं कि ५० एकड़ पर जमीन की हदबन्दी का जो नारा है वह उचित नहीं है। एक घर में यदि दो भाई हैं तो उन्हीं को ही १०० बीघे जमीन चाहिये। जो छोटी जोत वाले किसान हैं उनको इस से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो अलाभकर जोत वाले किसानों की जमीन है उसको बांट कर भी हम इस सीलिंग को पूरा नहीं कर सकते हैं और चौधरी साहब बराबर यह कहते हैं कि जमीन के बंटवारे से भूमि पर भार बढ़ जायगा। मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो जमीन पर भार बन कर बैठे हैं और जिनके कारण देश की प्रगति नहीं हो रही है, खाद्यान्नों की कमी हो रही है, ऐसे बड़े जमींदारों की जमीन ले कर खेतिहर मजदूरों, मध्यम किसानों और अलाभकर जोत वाले किसानों को वह भूमि दी जाय तभी देश की प्रगति हो सकती है। आज हदबन्दी के नाम पर बड़ी घबराहट मची हुई है। हमारे कुछ इधर के और उधर के साथी जो नये किस्म के जमींदार हैं उनके हृदय में एक घबराहट पैदा हो गयी है और वे बौखलाये हुये हैं। अभी तो शायद चौधरी चरण सिंह जी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिये सब से ज्यादा बौखलाहट मंत्री जी को है। तो मैं आप के द्वारा बताना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी इस कदम का स्वागत करती है और मांग करती है कि हदबन्दी हो और जल्दी से जल्दी हो और हदबन्दी के बाद सहकारी खेती होना अनिवार्य है। मैं इतना ही कहूंगा और अधिक नहीं।

***श्री तिरमल सिंह** (जिला एटा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में अब तक जो कल से भाषण हुये हैं उनको मैंने अच्छी तरह से सुना। कल श्री कुंवरपाल सिंह जी ने कहा था कि लगान में कमी नहीं हुई है बल्कि बढ़ोत्तरी हुई है। यह बात इसलिये असत्य है कि लगान जितना सन् १९३४ में लिया जाता था उतना आज नहीं है, बहुत कम है। सन् १९३६ में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उसने जिम्न ८ में आधा लगान कर दिया और जिम्न ६ में जो काश्तकार थे उनको ५ आने के हिसाब से छूट दी। सन् १९३६ में लगान में छूट आने के बाद उस समय मसलन जो लगान १६ मन गेहूं या २० मन गेहूं में चलता था वह सन् १९५२ में सिर्फ ६ मन गेहूं या १० मन बेझर में चलने लगा। यह बचत जो की गई वह कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही की और कोई पार्टी समाजवादी या प्रजा समाजवादी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि हमने किसानों का फायदा किया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—आप अपना भाषण जारी रखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तिरमल सिंह--जो कांग्रेस ने यह जो क्रांतिकारी कदम उठाये और भूमि-व्यवस्था में जो सुधार किये, जमींदारी विनाश करके किसानों को अधिकार दिये और जो दूसरा अध्याय शुरू हुआ उसमें किसानों को अधिवासी का हक दिया और उसके बाद जब तीसरा अध्याय शुरू हुआ तो किसानों को लैंड रिकार्ड्स में १५-सी के द्वारा मुतवातिर अधिकार दिये। तो यह उसूल माना कि जो जोते वह मालिक और दूसरा उसूल यह कि बिना कमाये कोई खायेगा नहीं।

कुछ भाइयों का कहना है कि रिकार्ड गलत किये जाते हैं और खाना खसरा कैफियत में यह लिख दिया जाता है कि "ब कब्जे फलां", तो मेरा कहना यह है कि अगर "ब कब्जे फलां" न लिखा जायेगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन जोतता है। तो एक तरफ यह शिकायत है कि जो काश्तकार जोतता नहीं है वह गलत इन्दराज करा लेता है और जब जोतता नहीं तो एक बात यह तय हो गई कि जो जोतेगा उसी का नाम कब्जे में लिखा जायेगा, । तो जब यह हो गया तो फिर बेकार की यह शिकायत मेरे भाई क्यों करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। कुछ सज्जन ऐसे हैं जिनके पास आराजी ज्यादा है और वह जोतते नहीं हैं और जब वह जोतने वालों के नाम शिकमी लिख दिया जाता है तो गलत शिकायत इस सदन में करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पूर्वी यू० पी० में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हल नहीं चलाते बल्कि हलवाहों से जुतवाते हैं और अगर हलवाहे के नाम पटवारी लिख देते हैं तो कहा जाता है कि बड़ा अत्याचार हो गया। कब्जे के आधार पर जब आप अधिवासी को अच्छा मानते हैं और इतने अधिकार जब किसानों को मिले हैं तो फिर आप इसको क्यों बुराई मानते हैं?

कुछ भाइयों ने यह शिकायत की कि खसरे की दुरुस्ती में विरासत का मामला अदालत में जाता है और बड़ा खर्चा होता है और बड़ी परेशानी होती है। एक तरफ आप यह कहते हैं कि पटवारी गलत करता है, तो क्या यह अधिकार पटवारी को दे दिया जाय? आज यह अधिकार तहसीलदार के पास है और खसरे की दुरुस्ती के लिये किसान तहसीलदार के पास जाकर दरख्वास्त दे सकता है कि इसमें यह गलती हो गई है, इसको दुरुस्त कर दिया जाय और तहसीलदार उसको दुरुस्त कर सकता है। पांडेय जी ने कल कहा कि पैदावार कम हुई, लेकिन अफसोस है कि पैदावार कम होने के आंकड़े तो यहां पेश किये जाते हैं, परन्तु दैवी प्रकोप से वर्षा होने के आंकड़े उधर से कोई सज्जन पेश नहीं करते कि कैसे वर्षा से फसल की तबाही हुई।

कुछ भाइयों ने शिकायत की कि शहरी जमींदारी खत्म नहीं की गई। यह कोई ठीक-सी बात नहीं है कि शहर और गांव का डिवीजन यहां किया जाय। यह सरकार शहरी जमींदारी को भी खत्म करना चाहती है और उस तरफ भी कदम उठा रही है। श्री रघुवीरसिंह ने कहा कि कुमायूं जमींदारी विनाश बिल को सरकार कार्यान्वित नहीं कर रही है। वह प्रवर समिति के सुपुर्द है और पास होकर कार्यान्वित होगा।

यह कहा गया कि परताल में बहुत से काम ठीक नहीं किये गये, यानी गलतियां रह गईं। मैं अपनी बात कह सकता हूं कि मेरे यहां भरौली, भीमपुर कलां, सुजावली और करसना में केवल १० गलतियां पाई गईं और अकेले नवाबगंज में १० पाई गईं। मेरे साथ तहसीलदार और डिप्टी साहब गये और फौरन उन्हें ठीक कर दिया गया। हो सकता है कि कुछ जगह अफसरों ने उसमें कोई दिलचस्पी न ली हो।

कल कुंवर श्रीपाल सिंह ने कहा कि ५ हजार से ६५ हजार हो गया। यह इसलिये मेरी समझ में नहीं आया कि जब ७५ रुपये एकड़ के वेल्यूएशन का कानून यहां बना हुआ है तो उसका हिसाब किसान लगा सकता है या पटवारी लगा सकता है। उसमें कोई पेचीदा बात नहीं है।

नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव में सीलिंग और सहकारिता की बड़ी चर्चा हो रही है। अभी एक कम्युनिस्ट भाई इतना ही कह कर बैठ गये कि वे किसान मजदूर को चाहते हैं, लेकिन यह नहीं बतलाया कि बंटवारा कैसे चाहते हैं। बराबर बांटेंगे या ज्यादा वालों को कम करेंगे, कोई सुझाव उन्होंने नहीं दिया।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी-अभी सदन में यह बताया गया कि तरह-तरह के कानूनों से जनता का कल्याण हुआ है। लेकिन उन कानूनों के द्वारा जनता क्या सोचती है, मैं यह आपके सामने दो ही शब्दों में कह दूं। आज जनता या मुकदमेबाज लोग यह चाहते हैं कि मेरा मुकदमा कुछ दिन और टल जाय तो न जाने क्या तरमीम आ जाय और मुझे फायदा हो जाय। सन् १९३७ का कानून बनाने वाला सत्तारूढ़ दल ही था और सन् १९३९ में भी संशोधन इसने किया और अब २,३ बार संशोधन किया है। तो आज जनता की मनोभावना यह हो गई है कि न जाने निकट भविष्य में कब कोई तरमीम आ जाय और मुझे फायदा हो जाय, इसलिये मुकदमे को टालो।

जनसंघ पार्टी कभी-कभी मांग करती है कि किसान का लगान आधा हो। इसके मैं कुछ तर्क पेश करता हूं। १९३७ में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने चुनाव-घोषणा द्वारा यह कहा था कि राज्य और किसान के बीच में जमींदार जो मुनाफा खाता है उसे हम खत्म करना चाहते हैं और जमींदारी का खात्मा होने से निश्चय ही बचत होगी। उस समय जनता ने यह समझा कि यह बचत हमको मिलेगी और चलो इसलिये कांग्रेस को वोट दो। सन् १९३७ में मिनिस्ट्री बन गई थी। १९३७ का वायदा कांग्रेस ने सन् १९५२ में पूरा किया और जमीदारों को बीच से निकाल कर जमींदारी का खात्मा कर दिया। सन् १९३७ की चुनाव घोषणा का एक अंश तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरा अंश कि बचत काश्तकार को मिलेगी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि उसे पूरा करने के दिन भी आ जावेंगे, वरना दूसरा कोई दल उसे पूरा करेगा। दूसरी बात है कि लगान आधा हो। जब अंग्रेज था तो वह चाहता था कि काश्तकार में जो राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो रही है उसे जमींदार के द्वारा दबाया जाय। वह जमींदारों को खुली छूट दे रहा था लगान को सरकिल रेट के चौगुने तक करने की। कोई उसकी परवाह नहीं करता था। सन् १९३७ में कांग्रेस के द्वारा कुछ स्टैबीलीटी काश्तकार को मिली। लेकिन जो जमीदारों ने बढ़ाया उसमें कोई कमी नहीं हुई। इसलिये यह आधा होना चाहिये। जब हम अन्य सूबों को देखते हैं तो हमारे सूबे में प्रति एकड़ चौगुनी रेवेन्यू जमा होती है। यह सोच लें कि हमारे यहां लगान है और उनके यहां लैंड रेवैन्यू है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि लैंड रेवेन्यू और रेन्ट की परिभाषा बनाने के लिये भगवान की ओर से कोई नहीं आया। जमींदार रेन्ट वसूल करता था तो उसके निकल जाने से रेन्ट निकल जाना चाहिये। वह लैंड रेवेन्यू कहां चली गई? सवाल यह है कि सरकार के खजाने में दूसरे सूबों से प्रति एकड़ चार गुना ज्यादा जमा हो रहा है। टैक्सेशन इन्क्वायरी रिपोर्ट कहती है कि जहां जमीदारी खत्म अभी नहीं हुई है वहां कम है। सन् १९५२ में हमारे यहां रेवेन्यू के नाम से दाखिल होता है, रेन्ट के नाम से नहीं होता है। अगर रेन्ट के नाम से है तो उसे सुधार कर लैंड रेवेन्यू पर आ जाइये। अब मेरा एक निवेदन और है। हमारे यहां मंत्रिगण जब यह कहते हैं कि उन्नतिशील बीज हम प्रत्येक किसान को दे नहीं सकते, प्रत्येक किसान को आधुनिक ढंग से मकान नहीं बनवा सकते, बैल नहीं दे सकते, हर एक को खेती के लिये पानी नहीं दे सकते, लेकिन उस सूरत में भी ७ करोड़ से इस सरकार ने २२ करोड़ लैंड रेवेन्यू को कर लिया है तो निश्चय ही कुछ न कुछ राहत तो किसानों को मिलनी ही चाहिये। जैसा कि अभी कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे थे कि वह फटे तन रहता है, १८–१८ घंटे माता और बहनें काम करती हैं और उसका उनको मुआवजा नहीं मिलता है, तो उनको उनकी मेहनत का मुआवजा देने की एक तरकीब यह भी है कि उनको लगान में राहत दे दी जाय।

हमारे सामने अभी-अभी यह उदाहरण दिया गया कि १० गुना लेकर आधा लगान कर तो दिया गया है। इसमें आपका क्या अहसान हुआ? आपने १० रुपया जिसका लगान है उससे १०० रुपया ले लिये। देहात में १०० रुपया का ब्याज कम से कम १२ रुपया होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

है। ५-६ सरकार के यहां भी होता है और उसको जोड़ा जाय तो ११ रुपया होता है। इस प्रकार से उनको कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिये मेरा कहना यह है कि काश्तकार के साथ अन्याय न किया जाय, न्याय किया जाय। हमारी मांग है कि उनका १० गुना वापस कर दिया जाय और उनका लगान भी आधा कर दिया जाय।

हमारे सामने नागपुर अधिवेशन की बड़ी भारी दुहाई दी जा रही है कि कोआपरेटिव फार्मिंग लागू की जाय। जनसंघ बिलकुल इसके विरुद्ध है। इसी सदन में बताया गया कि समझौते से सहकारी खेती की जायगी। हम सात साल से देख रहे हैं कि किसानों ने इस सहकारी खेती को बिलकुल नहीं अपनाया है। जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में सहकारी खेती के लिये एक चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन उसका किसी ने भी लाभ नहीं उठाया और मैं समझता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में कोई समूचा गांव ऐसा नहीं है जिसने इस प्रकार की खेती को अपनाया हो। इसलिये जनता की भावना तो आपके सामने ही है। हो सकता है कि डंडे के जोर से आप कुछ चला लें, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि सहकारी खेती उपयुक्त न होगी। सर्विस कोआपरेटिब्स हो सकती हैं, ऐसा जनसंघ का मत है।

सीलिंग के बारे में भी हमारे सामने कहा गया। इस बारे में जनसंघ का मत यह है कि कम से कम ३० एकड़ भूमि होनी चाहिये या कम से कम उससे ६ हजार वार्षिक की आमदनी होनी चाहिये। कुछ ऐसे भी जिले होंगे जहां ३० एकड़ जमीन कम होगी वहां ६ हजार की आमदनी जिस जमीन से हो उतनी जमीन लोगों को दी जाय।

लेखपालों के बारे में कहा गया कि वह हजारों गलतियां करता है, लेकिन कब करता है? आज हमारे यहां कोर्ट्स में इस्तकरार हक और तकसीम खाते के बहुत से मुकदमे चला करते हैं और उनमें वकीलों को कुछ सबूत की आवश्यकता होती है। वकील पूछता है, कुछ है? वह कहता है, कुछ है तो नहीं, लेकिन मुहैया किया जायगा। इस प्रकार से ५६ फसली का खसरा और आबपाशी की रसीदें आदि ढूंढ़ता है और अगर कुछ मिल जाता है तो उसको लेकर भागता है। इस प्रकार से आज वकील साहबान उससे इस भ्रष्टाचार को कराते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, आपने बड़ी कृपा मेरे ऊपर की जो मुझे बोलने का मौका दिया। आज जो अनुदान माननीय मंत्री जी की ओर से मांगा जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं और मेरी ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि जितना भी रुपया इस अनुदान में मांगा जा रहा है, वह सब किसानों पर जुल्म करने के लिये मांगा जा रहा है। सरकार ने किसानों की जहां व्याख्या की है वहां उसने बतलाया है कि किसान वह है जो खेती मजदूरों से करावे। उसको तो आपने किसान माना ही नहीं है जो अपने आप खेती करे। फिर भी मैं आपके सामने किसान का रूप बतला देना चाहता हूं। एक किसान की कल्पना कर लीजिये जो ६ महीने की मेहनत के बाद जब रोटी पैदा करता है और उसे खाना चाहता है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स का बोझ तो लादती है ही, इसके अलावा उसके गले में एक कानूनी फंदा डाल कर उसके पेट से भी वह रोटी निकाल लेने की कोशिश करती है। जब वह गल्ला पैदा करके खाने की तैयारी करता है तो उसी मौके पर उसे लूटने के लिये बड़े-बड़े व्यापारी पहुंच जाते हैं। उससे जब वह किसी तरह से बचता है तो फिर वकील आते हैं, डाक्टर आते हैं और इस तरह से सभी मुफ्त खोर उस बेचारे की रोटी पर झपट्टा मारा करते हैं। मैं तो यही समझता हूं कि उस किसान पर जुल्म करने के लिये ही यह रुपया मांगा जा रहा है .....

श्री अधिष्ठाता---शुक्ल जी जरा आप बैठ जायं। यह आवश्यक है कि जब कोई माननीय सदस्य अपना भाषण दे चुकें तो वे यहां दूसरे माननीय सदस्यों का भाषण भी सुनने के लिये बैठें। देखने में यह आ रहा है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल लेते हैं तो वे तुरन्त बाहर चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि वे दूसरे का भाषण सुनने को तैयार नहीं हैं। यह ठीक

बात नहीं है । माननीय सदस्यों को चाहिये कि अपना भाषण देने के बाद वे दूसरे माननीय सदस्यों का भाषण भी सुनने की कृपा करें ।

श्री बंशीधर शुक्ल—तो मैं सरकार को बतला देना चाहता हूं कि आज खेतों की कमी नहीं है । लाखों और करोड़ों एकड़ जमीन हमारे देश में अभी परती पड़ी हुई है ।

अगर कोई कहे कि खेती कम है और आबादी बढ़ गयी है तो यह बात जरा सुनने में अच्छी नहीं लगती क्योंकि ईश्वर स्वयं इस बात का निर्णायक है । "प्रारब्ध पहले रच्यो, पीछे रच्यो शरीर" । जब वह मनुष्य को पैदा करता है तो उसका इन्तजाम पहले ही से कर देता है । आज जमीन की कमी नहीं है, बल्कि कमी यह है कि दिन प्रति दिन जो कानून बनते जा रहे हैं, वे कभी मुस्तकिल नहीं होते । वे मुस्तकिल तभी हो सकते हैं जब कि इस गद्दी पर किसान बैठेगा । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार तीन गांवों की एक पंचायत बना दे तो वही पंचायत ही खेती का इन्तजाम करेगी और जितनी भी जरूरी चीजें हैं उन सब का इन्तजाम करेगी । १०, १२ तरह के नौकर—पतरौल, सेक्रेटरी, कुर्क अमीन, गिरदावर, पटवारी, कामदार, इन्सपेक्टर, नायब तहसीलदार आदि रखे गये हैं इनको हटा कर तीन-तीन गांवों की एक पंचायत ही बना दी जाय और उसका एक सेक्रेटरी बना दिया जाय । वही सेक्रेटरी इन सब कामों की देखभाल बहुत अच्छी तरह कर सकता है और लिखा-पढ़ी कर सकता है । इन तमाम कागजात को व्यर्थ रखने की जरूरत नहीं है । आज जिन्सवार लिखने की जरूरत नहीं है कि किस खेत में कौन गल्ला कितना पैदा हुआ । कब्जा लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है । जब कोई जमीन किसी दूसरे के हाथ में जाय तो उसका कब्जा भले ही लिख दिया जाय, लेकिन सब का जिन्सवार और कब्जा लिखना व्यर्थ है । पटवारी के हाथ में खसरा और खतौनी का कागज रहता है, ग्राम सेक्रेटरी के पास मरने-जीने का फैमली रजिस्टर रहता है, कुर्क अमीन के पास लगान वसूली का रजिस्टर रहता है और पतरौल के पास सिंचाई सम्बन्धी रजिस्टर रहता है और इसके अलावा इंस्पेक्टर, गिरदावर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि कर्मचारी होते हैं जिनका किसी कागज से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । इस प्रकार से यह व्यर्थ के खर्चे का बोझ किसानों के ऊपर ही पड़ता है जिसको दूर करने की आवश्यकता है ।

जहां तक पैदावार बढ़ने की बात है, औसतन प्रति एकड़ १५, २० मन तक पैदावार होती है, लेकिन जितनी पैदावार बढ़ेगी उसकी लागत भी उतनी ही बढ़ती जायगी इस तरह से ले दे कर हम वहीं रह जाते हैं । मैं बराबर कहता हूं कि हमारे यहां जमीन की कमी नहीं है । आपने १२,९८८ मुरब्बा मील में जंगल लगा रखा है । जोड़िये कितनी एकड़ जमीन हुई उसका कोई लगान नहीं दिया । अपना जंगल लगाया, सरकार उससे फायदा उठा रही है, लेकिन कोई लगान नहीं दे रही है । किसान खेती करता है तो उसको लगान देना पड़ता है । वह अन्न पैदा करता है, दूसरों को रोजी देता है तो लगान दो लेकिन अपने आप लगान मत दो । अपने आप मालदार बनते चले जा रहे हैं और जनता सूखी चली जा रही है । १, २ एकड़ जमीन जिसके पास हो उसका लगान माफ कर दिया जाय अगर आप यह चाहते हैं कि किसान हमारे साथ रहे ।

एक बात यह भी है कि बड़े-बड़े फार्म्स पर लगान का रेट बहुत कम है, लेकिन छोटे किसानों पर लगान का रेट बहुत अधिक है । अगर फार्म वालों पर भी सर्किल रेट ६ रुपया एकड़ कर दें तो कोई फार्म वाला टिक नहीं सकता । १०, १२ हजार फार्म हैं और ५० हजार एकड़ की जमीन सरकारी फार्म्स ने घेर रखी है, लेकिन कोई लगान नहीं देते हैं । अन्देशनगर फार्म में १,१०० एकड़ जमीन है और १० वर्ष में उसमें १४ लाख का घाटा हुआ है । मझरा फार्म में ३,००० एकड़ जमीन है और १० वर्ष में १८ लाख का घाटा हुआ है । वहां मुर्गे पाले जाते हैं, गायें, भैंसें पाली जाती हैं । बोलो भारत माता की जय ।

मेरा कहना है कि अधिवासी प्रथा खत्म कीजिये और सरकारी फार्म्स व वन विभाग को खत्म करके जमीन किसानों को बांट दी जाय और वृहत जोत-कर भी खत्म कीजिये । जो हमारे

[श्री बंशीधर शुक्ल]

यहां वृहत् जोत-कर लगाने वाले क्लर्क हैं उनको ४००, ५०० रुपये रोज की आमदनी है ; जो किसान १००, २०० रुपये दे जाता है उसके ऊपर वृहत् जोत-कर नहीं लगाया जाता । तहसील निघासन में १००, २०० रुपये पटवारी नम्बर देने के वसूल करता है और इस प्रकार एक, एक रोज में एक पटवारी की ५०० रुपये आमदनी होती है । ४,००० मुकदमे अकेले तहसील लखीमपुर में जमीन के सम्बन्ध में पड़े हुए हैं । आप भ्रष्टाचार कैसे रोक सकते हैं ?

मेरा कहना यह है कि बागों पर लगान न लगा कर आप सरकारी जंगलों पर लगान लगाइये । चकबन्दी के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि एदलपुर में २ एकड़ जमीन पर ७ चक बनाये गये और इसी तरह से एक किसान की ४० बीघा जमीन थी उसके १० चक बनाये गये । यह रूपरेखा है चकबन्दी की । १ किसान के ६ लड़के हैं । १० एकड़ जमीन है । जब बटवारा करेंगे तब चक अलग-अलग हो गये । अगर कोई उनमें खेत दूसरे को बेचता है तो चक अलग अलग हो गये । इस तरह से चकबन्दी व्यर्थ की चीज है, इससे न पैदावार बढ़ती है और न देश की तरक्की होती है । रही सहकारी खेती, तो यह तो सरकारी होली अच्छी होती है जिसको सब ताप लेते हैं । सहकारी खेती चल नहीं सकती । जो मंत्री हैं वे आगे देखेंगे हम और वे दोनों जिन्दा रहेंगे कि चकबन्दी की जो दुदर्शा हो रही है वही सहकारी का तमाशा सामने आयेगा ।

गांव समाज और गांव सभा ये दो अलग रखे हैं कृपा कर एक ही रखिये । कम आमदनी होती है । गांव समाज में और गांव सभा कानूनन कोई खर्चा नहीं कर सकती । हम तो सभापति हैं आज के सभापति दिलावें रिश्वत या पटवारी के पीछे बस्ता ले कर घूमें या खुशामद करते फिरें पर गरीबों को जमीन उठाने की बात भी कही जाती है । कोई गरीब जमीन कैसे पायेगा, १० गुना उसके पास कहां है ? मेरा कहना है कि इस प्रकार की बातें आप मत रखिये । पलिया का एक उदाहरण देता हूं । ७,३३५ एकड़ जमीन सरकार ने ६२५ किसानों को खेती के लिये दी है । उसमें खर्च हुआ है सरकार का ६१,२०,७८६ रुपया । यह देखिये सरकार का उत्तर हमारे पास है और जब जमीन तुड़वाई गई ७,३३५ एकड़ तो अगर जमीन की तुड़वाई ५५ रुपया फी एकड़ भी रख लें तो ४,००,००० रुपया लगेगा और सरकार का खर्च हुआ १८,२५,७७६ रुपया । आप जो काम करते हैं वह खर्चीले ढंग से करते हैं और किसान के लिये कहते हैं कि उसको आमदनी है । एक किसान की दिन भर मेहनत करने के बाद क्या दशा होती है जरा उसका ख्याल करिये । उसकी दशा पर ध्यान दीजिये और व्यर्थ के कानून बना कर खेतिहर का और भी सत्यानाश न कीजिये । अंग्रेजी राज्य में जब जमींदार के हाथ में जमीन थी तो किसान की सीधी चोट जमींदार पर पड़ती थी और अब आपके उपर पड़ेगी । किसान देख रहा है कि असेम्बली के अन्दर हमारे लिये क्या बात हो रही है । मैं कहता हूं आप इस नौकरशाही को ठीक कीजिये नहीं तो यह आपके और हमारे ऊपर राज्य करेंगे । हम समझते थे कि जब किसानों को स्वतन्त्रता मिलेगी उस दिन नौकरशाही को गोली मार दी जायेगी, लेकिन हो उसका उल्टा रहा है । आज डी० सी० के पास जाते हैं राजनीतिक पीड़ित होने का सर्टिफिकेट लेने, वह जब सर्टिफिकेट दे तब पेंशन मिले । तो इस तरह की बातें हमारे सामने की जाती हैं । आज एक एम० एल० ए० जिसके सामने बड़े-बड़े को झुकना चाहिये उसके सामने अफसर उठ कर अदब भी नहीं करता, फोन पर भी बात नहीं करता है । मैं कहता हूं हमारा जिला वह है जहां अफसर मार दिया जाता है और अगर सरकारी नौकर इसी तरह का अन्याय करेंगे तो मार दिये जायेंगे । हमारे यहां कत्ल होते हैं और अफसर महोदय फोन पर बात भी नहीं करते हैं ।

श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने माननीय भुवनेश भूषण शर्मा द्वारा यह सुना कि जमींदारी समाप्ति के बाद किसान अपनी जमीन का मालिक भी नहीं बना । उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति स्पष्ट नहीं है, किसान को किसी प्रकार की सहायता इस राज्य में नहीं दी जाती है । तो मैं कहना चाहता हूं कि उनका ऐसा कहना नितांत

भ्रामक है। वास्तविकता तो यह है कि जमींदारी समाप्ति के बाद चाहे किसान ने १० गुना लगान दिया है या नहीं, हर किसान अपनी भूमि का मालिक है, परन्तु जिस किसान ने १० गुना लगान दे दिया है उसको कुछ अपनी जमीन के ऊपर अधिक हकूक हासिल हैं। वास्तव में जितने भी किसान हैं, और जो भी किसान जिस जमीन पर हल चलाता है आज वह किसान उस जमीन का मालिक है। ऐसा पिछले जमाने में नहीं था। जहां तक सरकारी नीति का ताल्लुक है इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो किसान जिस जमीन पर हल चलाता है वह जमीन उसकी है। यह भी कहना भ्रामक है कि किसान को किसी प्रकार की राज्य द्वारा सहायता नहीं दी जाती है। किसान के लिये पानी की आवश्यकता होती है। किसान के लिये अच्छे बीज की आवश्यकता है। किसान के लिये उन्नतशील हल और आलात की आवश्यकता होती है। सदन जानता है कि करोड़ों रुपया सरकार का किसानों के लिये, पानी के लिये खर्च किया जाता है, नहरों के ऊपर, नलकूपों के ऊपर और छोटी-मोटी योजनाओं के ऊपर। किसानों को लाखों मन उन्नत बीज हर साल बांटा जाता है। इस पर भी यह कहना कि किसान को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है, भ्रामक है, गलत है। इसमें दो रायें नहीं हैं कि माल विभाग के अधिकतर कागजात गलत हैं। खेत कोई जोतता है, लगान किसी पर पड़ता है। हमने देखा है कि जो किसान बीस-बीस और तीस-तीस साल से खेत जोतते हैं उनका कहीं नाम ही नहीं है। इस प्रकार से किसानों में आपस में झगड़े होते हैं, और इन सब झगड़ों की जड़ आजकल के लेखपाल हैं। लेखपाल को पचास रुपया दे दीजिये और चाहे जिस जमीन पर कब्जा दर्ज करवा लीजिये। इस प्रकार से आज के लेखपाल किसानों को लड़ाते हैं और पैसा कमाते हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि इस वर्ष खाद्य समस्या बड़ी जटिल है। जो जिले खाद्य में हमेशा सरप्लस रहे जहां पहले देहातों से कस्बों और शहरों में गल्ला आया करता था, आज वहां खाद्य की समस्या की जटिलता के कारण शहरों से गल्ला देहातों में बिकने के लिये जाता है। नौबत यह है कि बहुत से किसान एक वक्त ही खाना पाते हैं और बहुत से गन्ने का रस पी कर दिन बिताते हैं। ऐसी दशा में हमने अपने क्षेत्र में पदयात्रा के समय में देखा है कि लगान वसूलयाबी में किसानों के साथ बड़ी जोर-जबर्दस्ती होती है। किसानों को मार-मार कर कुर्क अमीन लगान वसूल करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिये। कल मैं सुन रहा था कि लगान प्रधानों के जरिये वसूल कराया जाय। मैं इसका विरोध करता हूं। प्रधान पंचायत का कर वसूल नहीं कर पाते हैं तो वह लगान कैसे वसूल कर सकेंगे। इसलिये हमारा सुझाव है कि लगान जिस प्रकार से कुर्क अमीन द्वारा वसूल होता आया है उसी तरह उन्हीं से वसूल कराया जाय।

मैं एक सुझाव आपके द्वारा सरकार को देना चाहता हूं। आजकल बहुत से जिलों में वाटर लागिंग की समस्या उग्रतर होती जा रही है। अधिकतर वहां जमीन में पानी भरा रहता है। उन खेतों से एक भी फसल साल में किसान नहीं ले पाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसी जिस जमीन से एक फसल होती है उस जमीन पर वाटर लागिंग एरिया में आधा लगान किया जाय और जिस जमीन में वाटर लागिंग के कारण एक फसल भी किसान नहीं ले पाता है उस जमीन का लगान बिलकुल माफ कर देना चाहिये।

आजकल, अधिष्ठाता महोदय, यह देखा जा रहा है, कि गांव में जितनी बंजर भूमि है वह जबर्दस्त किसानों ने जबर्दस्ती जोत ली है। रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी और अफसरान गांव का दौरा करते हैं, लेकिन वह यह नहीं देखते कि कितने लोगों ने और क्यों जबर्दस्ती गांव समाज की जमीन जोत ली है? प्रधान लोग शिकायत करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि ग्राम समाज की जितनी बंजर भूमि है चाहे वह स्मशान के लिये हो, चाहे जानवरों के चरने के लिये छोड़ी गई हो, चाहे खलिहान डालने के लिये हो और चाहे किसी और काम के लिये हो, वह सब जमीन जबर्दस्त किसानों द्वारा जोती जा रही है। मेरा सुझाव है कि इसकी फौरन जांच कराई जाय और ऐसी जमीन जो गांव

[श्री बुलाकी राम]

समाज की है और उसको जबर्दस्त लोगों ने जोत लिया है तो उन्हें उससे फौरन बेदखल कर दिया जाय। गांव समाज की बहुत-सी ऐसी जमीन है जो कानूनन उन लोगों को दी जानी चाहिए थी, जिनके पास भूमि नहीं थी। यानी भूमिहीन किसानों को मिलनी चाहिये थी, लेकिन कानून की अवहेलना कर के वह जमीनें उनको दी गई हैं कि जिन के पास पहले से जमीनें मौजूद थीं। मेरा सुझाव है कि इसकी जांच कराई जाय और जिनके पास पहले से जमीनें थीं फिर भी यदि उन्हीं को बंजर भूमि दी गई हैं तो वह उनसे वापस कर के भूमिहीनों को दिलाई जायं। जब से हदबन्दी की बात शुरू हुई है बहुत से बड़े-बड़े किसानों ने हदबन्दी की चर्चा सुन कर अपनी अपनी जमीनें ट्रान्सफर कर दी हैं और बहुत से लोगों ने बटवारा किया है। इस लिये जहां बटवारा हो चुका है और जहां-जहां जमीनें ट्रान्सफर की जा चुकी हैं या की जा रही हैं उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि एक आर्डिनेन्स फौरन निकाला जाय कि जमीनों के इस तरह के बटवारे और ट्रान्सफर फौरन रोक दिये जायं वरना जमीनों की हदबन्दी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लोगों ने यह भी कहा कि पहले हदबन्दी की जाय और बाद में चकबन्दी की जाय और अगर हदबन्दी बाद में की जायगी तो उसका चकबन्दी पर बुरा असर पड़ेगा और जमीन दोबारा टुकड़ों में विभाजित हो जायगी। मेरे खयाल में इतनी जमीन दुबारा बाटने को नहीं है कि हदबन्दी का असर चकबन्दी पर पड़े। इसलिये चकबन्दी जैसे चल रही है वह ज्यादा से ज्यादा तहसीलों में लागू होनी चाहिये, हदबन्दी का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मैं एक सुझाव और दूंगा कि माल विभाग के अफसरों को यथाशीघ्र ऐसे आदेश दिये जाने चाहिये कि जब वह दौरे पर जायं तो कम से कम उन केसेज को जो अनडिसप्यूटेड होते हैं मौके पर ही दुरुस्त करा दिया करें। अकसर देखा यह जाता है कि दौरे पर जा कर वह लोग उतना भी काम नहीं करते जितना कि रुपया उनके दौरे पर खर्च होता है। जब अफसर लोग दौरे पर जाते हैं तो उनके पहुंचने के पहले से ही उनके छोटे कर्मचारी, कानूनगो और लेखपाल आदि उनकी दावतों के इंतजाम में दिन भर लगे रहते हैं, और अफसरान गांवों में गये, दावत खाई और लौट कर कैम्प में आ गये। इस तरह से किसानों का नुकसान होता है और जितना रुपया दौरे पर खर्च होता है और उतने खर्च से जो आवश्यकता दौरे से पूरी होनी चाहिये वह पूरी नहीं होती।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राजनारायण तथा श्री रामस्वरूप जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उस तरफ के एक माननीय सदस्य ने यह कहा था. . .

श्री अधिष्ठाता---आप एक प्रस्ताव के अलावा और किसी का समर्थन नहीं करेंगे, आप केवल एक का ही समर्थन करेंगे।

श्री भजन लाल---मैं केवल राजनारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जमींदारी खत्म होने के बाद किसानों को इंच भर भी लाभ नहीं हुआ। यदि जमींदारी की प्रथा खत्म हो गई तो जिस हिसाब से जमींदार और सरकार का ४५-५५ का सम्बन्ध था उसी हिसाब से किसान से सरकार को लेना चाहिये था और आधा लगान किसान को छोड़ना चाहिये था। जहां तक जमीन का सम्बन्ध है सरकार ने किसानों से दसगुना लेकर उनको मौरूसी किया है .....

श्री अधिष्ठाता---आप जिस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं उसका विषय है "अलाभकर जोतों की माफी न करना"।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भजनलाल—मैं उसी पर आ रहा हूं। यह दसगुना लेकर सरकार ने नजराने का दूसरा रूप, नजराना रूपी दसगुना वसूल किया है और उन को जमीन से बेदखल कर के शिकमी काश्तकार बनाने के बाद ऐसा किया गया है। यह मौरूसी का हक देना इस तरह से गलत है।

दूसरे जहां तक अलाभकर जोतों का सम्बन्ध है मैं आप के सामने ३० जून, १९४५ के आंकड़े जमींदारी उन्मूलन कमेटी के रखना चाहता हूं। उस समय पर हमारे प्रदेश में करीब ८८,४०,०४८ एकड़ जमीन ऐसी थी जिसको ६ एकड़ तक की जमीन तक सीमित रखा जा सकता था। मेरी राय है कि जितने भी छोटे-छोटे काश्तकार हैं उन अलाभकर जोत वालों का लगान माफ कर दिया जाय। उसकी वजह है। सरकार की भी नीति है कि एक तरफ तो सरकार ३,६०० और ४,२०० रुपये की आमदनी वालों पर टैक्स लगा रही है और दूसरी तरफ सवा ६ एकड़ जो जमीन जोतते हैं उनकी अगर आमदनी का तखमीना लगाया जाय तो १,५०० या १,८०० से ज्यादा सालाना आमदनी नहीं है। तो यह दो नीति कैसे हैं? वह, उसकी बीबी, लड़के-बच्चे सब अपना श्रम वहां देते हैं। खेती में वे हल चलाते हैं, आबपाशी देते हैं, इतना सब होने पर उन पर लगान का पैसा वसूल किया जाता है। तो सरकार इन सवा ६ एकड़ वालों का लगान माफ कर दे।

सवाल आता है कि इतना पैसा कहां से आयेगा जो कम हो जायगा? अधिष्ठाता महोदय, जमींदारी विनाश के पूर्व जो मालगुजारी का पैसा था वह करीब ७ करोड़ के था और आज २२ करोड़ क करीब है। अगर सवा ६ एकड़ की भूमि वालों का लगान माफ कर दिया जाय तो वह करीब १०,१३,३२,००० रुपये के करीब आता है। यह माफ कर दिया जाय तब भी आधा लगान करीब ११ करोड़ के बच जाता है।

उधर शक्कर के कारखाने खुले हुए हैं। शक्कर का भाव रुपया सेर है और गन्ने का भाव १ रुपया ५ आने है। इतनी विषमता है। पूंजीपतियों की आमदनी पिछले सालों से दूनी होती चली जा रही है, तो उन पर जरा भी टैक्स और बढ़ा दिया जाय तो उससे इतना पैसा निकल सकता है जिससे हम सवा ६ एकड़ तक की जमीन का लगान आसानी से माफ कर सकते हैं।

दूसरे, हमारी सरकार समाजवाद की बात कहती है। एक तरफ तो ८–८ और १०–१० घंटे मजदूर मिलों में काम करते हैं और उनको पैसा दिया जाता है २ रुपये रोज के हिसाब से और शक्कर के पूंजीपति उनके श्रम का लाखों, अरबों रुपया अपनी तिजोरियों में भरते हैं। जब कहा जाता है कि हमारे गन्ने का भाव अधिक किया जाय या जब जनता धरना करती है, आन्दोलन चलाती है तो उसके ऊपर गोली बरसाई जाती है, जेल के अन्दर उनको बन्द किया जाता है और यदि पूंजीपति अपनी मिल में ताला डाल देता है तो सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। आज के प्रजातंत्र के युग में समाजवाद का यह ढोंग नहीं है तो क्या है? मैं कहूंगा कि आज की सरकार जो समाजवाद की परिभाषा पढ़ रही है उसकी धारा बिलकुल उल्टी है। आज का समाजवाद कितनी विषमता की खाई है। एक तरफ लोगों को ८ आने, १ रुपया, दो-ढाई और तीन रुपया मिलता है और दूसरी तरफ ३० लाख रुपये तक की आमदनी इस उत्तर प्रदेश और देश में हो रही है। यह है हमारे समाजवाद की परिभाषा। इस प्रजातंत्र के युग में समाजवाद की इस कल्पना से क्या हम देश का उद्धार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, मुझे एक बात और कहनी है कि आज जमीन के सम्बन्ध में जो बात कही जा रही है उस सिलसिले में चकबन्दी का जिक्र कर देना मैं मुनासिब समझता हूं। मेरे इटावा जिले में और खास कर अस्सू में जो चकबन्दी हो रही है वहां की कम से कम एक हजार दरख्वास्तें हमारे पास आयीं। उनको हमने सम्बन्धित जिला अधिकारियों के पास और माननीय मंत्री चरण सिंह जी के पास कई-कई गांवों में जांच कर के कागजात मय सबूत के रजिस्ट्री द्वारा भेजे, लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अस्सू के सहायक चकबन्दी अधिकारी ने वहां की एक मुसम्मात रामकुंवर से अपने एजेन्टों द्वारा कहलाया कि ५०० रुपये अगर

[श्री भजनलाल]

तुम हमें दो तो हम तुम्हारा चक बढ़िया बना देंगे। लेकिन उसने कहा कि हम गरीब हैं, कहां से इतना रुपया दे सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि रात में एक वहां पूंजीपति हैं उनकी छत पर गैस की बत्ती जला कर चक बनाया गया जिसमें उन मुसम्मात को बम्बे के पास की बहुत खराब जमीन चक में दी गयी और उस पूंजीपति को सारी बढ़िया जमीन दी गयी।

श्री अधिष्ठाता--यह आप की जानकारी में है ?

श्री भजनलाल--बिलकुल। मैंने जांच की और जांच कर के माननीय चरण सिंह जी के पास भेज दिया लेकिन आज तक उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर, उसी सहायक चकबन्दी अधिकारी ने सेऊपुर ग्राम में दो धोबियों को आपस में लड़ाया और अपने चौकीदार को भेज कर मजम्मत का मुकदमा दायर किया। सेशन अदालत से वे छोड़ दिये गये और मुकदमा जीते। वहां के ए० डी० एम० (सी०) से मेरी बातें हुई हैं। वे ईमानदारी से काम करते हैं। उनसे मैंने कहा कि आप मौके पर जा कर चकों को देखिये। वे गये और बहुत से गलत तरीके से बनाये हुये चकों को उन्होंने दुरुस्त भी किया। हमारे जिले में ए० डी० एम० (सी०) ही ठीक से काम कर रहे हैं। उनकी अदालत से वे लोग जो जबर्दस्ती फंसा दिये गये थे मुकदमा जीते।

माननीय माल मंत्री ने कहा था कि वहां मुकदमों की भरमार नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी और सी० ओ० क दफ्तरों में कम से कम ३०० मुकदमे एक-एक दिन में पेश किये गये हैं। इस बात का मैं स्वयं सबूत हूं और अगर मंत्री जी न मानें तो मुझे बतायें, अब की दफा मैं कैमरा ले कर जाऊं और फोटो खींच कर रख दूं।

एक बात और निवेदन कर दूं। बाबरपुर में सहायक चकबन्दी अधिकारी ने ९० फीसदी चक गलत बनाये लेकिन ए० डी० एम० (सी०) ने मुझे आश्वासन दिया और दोबारा चकबन्दी करने की स्कीम बनायी.....।

श्री अधिष्ठाता--आप का समय समाप्त हो गया।

श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं कि आप ने राजस्व के अनुदान पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मान्यवर, राजस्व विभाग पर बहस के दौरान में सहकारी खेती और सीलिंग के बारे में कहा गया कि यह समाजवादी ढांचे की बात नहीं है। वैसे तो करीब-करीब प्रदेश भर में, लेकिन मैं अपने जिले का तजुर्बा रखता हूं, अधिकतर सहकारिता के आधार पर ही आज की खेती है। नीचे से अगर देखा जाय तो जो बड़े-बड़े फार्म वाले हैं वे तो इसका विरोध कर सकते हैं। अगर देखा जाय तो जिनके पास जमीन नहीं है वह निम्न वर्ग क और छोटे-छोटे किसान ह, वह लोग बटाई पर जमीन लेकर खेती करते हैं। सभी देहातों में यह प्रथा प्रचलित है। लेकिन इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जिसके पास जमीन नहीं है वह यदि बंटाई पर लेकर खेती करता है तो उसको मेहनत का ही फल मिलता है और दूसरे साल उसको अलग कर दिया जाता है। जो खेती करने वाले हैं उनके पास जमीन नहीं है और जिनके पास जमीन है वह खेती करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार का भेदभाव, ना-बराबरी या असमानता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ती है और इसी कारण से हमारे यहां खाद्यान्नों की कमी है। किसी एक व्यक्ति के कहन स या किसी एक पार्टी के कहने से सहकारी खेती निषिद्ध साबित नहीं हो सकती है।

नागपुर सेशन में पंडित जवाहर लाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह एक क्रांतिकारी कदम है और देश भर में उसका स्वागत हुआ है और देश की प्रमुख राजनैतिक पार्टियों ने भी उसका स्वागत किया है। एक यही तरीका ऐसा हो सकता है कि.....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, निवेदन है कि कोरम पूरा नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री वासुदेव दीक्षित—वैसे तो प्रदेश भर में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सहकारी समितियां कायम हैं और उनके जरिये किसानों को बोआई का बीज तथा खेती के सम्बन्ध में कर्जा दिया जाता है लेकिन अगर हम इसको सहकारी खेती में परिणत कर देंगे तो किसी को कोई हानि नहीं होगी। हां, जिन्होंने बड़े-बड़े १,०००/२,००० बीघे के फार्म बना रखे हैं उनको हानि हो सकती है। आज भी देहात में साझे की खेती का प्रचलन है। जो खेती नहीं कर सकते हैं वह बंटाई पर दे देते हैं और उसको मेहनत का फल मिलता है, दूसरे साल उन्हें खारिज कर दिया जाता है। जनसंघ के सदस्यों ने इस बात को उठाया है, गो उनके यहां ही यह प्रथा चालू है और उन्हीं की ओर से इसका विरोध किया जाता है। कहा जाता है कि पंडित जी ने व्यक्तिगत राय से यह बात कह दी। यह वह व्यक्ति हैं जिनको देश के निवासी जानते हैं कि जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के आंदोलन का सर्व प्रथम समर्थन किया था, रावी के तट पर कांटेदार और विषैला ताज अपने मस्तक पर पहना था। आज हम भले ही विश्वास न करें लेकिन एक आधार को मानकर उसे करना चाहिये।

भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें लेखपालों के बारे में कही गयी हैं। यह तो मैं भी मानता हूं कि वह दूध का धोया नहीं है लेकिन उसके जिम्मे बहुत बड़ा काम कर दिया गया है। वर्ष भर में ६ महीने उसकी हाजिरी तहसील के दफ्तर में रहती है और जमा बंदी उसको बनानी पड़ती है। लेकिन उसकी गलतियां भी होती हैं। अभी एक ताजी मिसाल सदन के सम्मुख रखूं कि फतेहपुर जिले में एक हथगांव ऐसा कस्बा है जहां पर महाराज जयचन्द के किले के खंडहर थे। उसमें कोई खेती लायक जमीन ही नहीं थी। उसको पटवारी महोदय ने एक व्यक्ति के नाम लिख दिया। उस खंडहर पर कोई काश्त नहीं लेकिन उस व्यक्ति की काश्त लिख दी। कुछ दिनों के बाद ही उसके लड़के ने, उसके एक ही लड़का था नामवाला नालिश कर दी कि मेरी काश्त उस जमीन पर है और वह हाजिर नहीं हुआ परन्तु उसका नाम उस पर हो गया। इधर हथगांव ब्लाक में प्रसार सेवा खंड में जब इमारत बनने की नौबत आयी तो स्थान चुना गया। लेकिन जब कागज में देखा गया तो एक काश्तकार के नाम काश्त दर्ज है। बड़ी परेशानी के बाद तहसीलदार ने उसको बेदखल किया। गांव समाज ने लिखा नहीं था सिर्फ पटवारी ने दर्ज किया था। वह पटवारी अब भी उसी स्थान पर विद्यमान है। न तबादला हुआ, न वह वहां से हटाया गया। तो कुछ ऐसे अंश जरूर हैं जिनमें नितांत सुधार की आवश्यकता है।

फतेहपुर जिले में कम से कम एक प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि वह कम हो गयी है कि पटवारी अपनी एक महीने की तनख्वाह काननूगो को देता था। वैसे उसके बहुत अंश कम हो गये हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रथा अब भी कायम है। एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। जो ग्रामों में तालाब हैं, उनमें बहुत से पट कर समतल हो गये हैं लेकिन फिर भी तालाब ही दर्ज हैं। उन पर खेती हो रही है। लेकिन कोई लगान नहीं है। ११५-डी में मुकदमा चलाने की बात है। अगर प्रधान ने किया तो ठीक है नहीं तो वह भी नहीं। या तो उन पर लगान लगाया जाय या उनको तालाब के रूप में ही रखा जाय।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, आज जो अनुदान भू-राजस्व का सदन के सामने विचारार्थ पेश है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका सम्बन्ध इस प्रदेश की लगभग ५ करोड़ जनता से है। इस विभाग के बारे में मैं अपने कुछ सुझाव माननीय माल मंत्री को देना चाहता हूं इस आशय से कि उनके ऊपर ध्यानपूर्वक विचार होगा और यदि वह ठीक होंगे तो उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्रीमन्, कागजातदेही को ठीक कराने का प्रयत्न इस सरकार ने काफी किया लेकिन आज भी काफी मात्रा में गलतियां कागजात सरकारी में मौजूद हैं जिनका कारण यह है कि लेखपाल, जो कि कागजात सरकारी तैयार करता है उसको और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। जमींदारी विनाश के बाद एक पटवारी के हल्के में करीब दूने गांव हो गये हैं। सिर्फ कमी यह हुई कि

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

खतौनी जो प्रति वर्ष बनती थी अब तीन साल के बाद बनती है, लेकिन उसके स्थान पर जमाबन्दी नयी बनने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका दूना काम हो गया है। मेरा सुझाव यह है कि लेखपाल से इस मुहकमे के अलावा और काम न लिये जायं जिससे वह अपनी पूरी दिलचस्पी कागजात सरकारी तैयार करने में लगाये। आज ब्लाक्स और दूसरे विभागों का बहुत-सा काम लेखपाल को करना पड़ता है। श्रीमन्, इस समय केवल नये कागजात आराजी के इन्दराजात की सूचना सभापति को और सम्बन्धित व्यक्ति को दी जाती है। मेरा सुझाव यह है कि जितने भी नये इन्दराजात हों कागजात सरकारी में चाहे वह कब्जे के हों चाहे विरासत के हों सम्बन्धित व्यक्ति को उनकी सूचना अवश्य दे दी जाय।

दूसरा सुझाव यह है कि रेवेन्यू कोड मैनुअल में यह दिया हुआ है कि जितनी अदालत माल हैं जब कोई फैसला करें तो उनका परवाना अमलदरामद इन डुप्लीकेट जारी हो और कागजात सरकारी में उसका अमलदरामद हो जाय। लेकिन देखने में यह आता है कि इस प्रदेश के प्रत्येक जिले में लगभग सब-डिवीजनल आफिसर की इजलास से जो फैसले होते हैं उनका परवाना अमलदरामद नहीं जारी होता और किसान को कागजात सरकारी में अमलदरामद करने के लिये दुबारा दरख्वास्त देनी पड़ती है। इस प्रकार उसको काफी खर्चा और परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच कराये और उसके बाद में एक जी० ओ० हो जाय कि सभी अदालत माल अपने आदेश की प्रतिलिपि और परवाना अमलदरामद जारी करें जिससे कि काश्तकार की परेशानी दुबारा दरख्वास्त देकर के अमलदरामद कराने की दूर हो जाय।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जिन जिलों में ज्यादातर बाढ़ आया करती है, जहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनके किनारे के गांवों में पंचसाला बन्दोबस्त हो। यह कुछ जिलों में है लेकिन तमाम जिलों में नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अपने जिले लखीमपुर-खीरी की बात करना चाहता हूं। वहां लगभग प्रति वर्ष बाढ़ आती है। शारदा, घाघरा और कौड़ियाला नदियां वहां बहती हैं। उन गांवों में बीस-पच्चीस प्रतिशत के करीब गलतियां अब भी बाकी हैं। मैंने माल मन्त्री महोदय के पास एक रिपोर्ट भी भेजी थी कि परगना फिरोजाबाद, थौरहरा, निघासन में मंडवा, जसवन्त नगर, लोथोनी, डाबर, मिलिक, गौढ़ी, बेलागढ़ी, परसा, सरयूनगर, बिन्जहा, मटेरा, जंगल मटेरा, गुलरिया, सुजानपुर, जंगल सुजानपुर ये ऐसे गांव हैं जिनमें पांच साला बन्दोबस्त की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि सरकार इनके ऊपर ध्यान दे और पांच साला बन्दोबस्त की व्यवस्था करावे जिससे कि कागजात सरकारी दुरुस्त हो सकें।

श्रीमन्, एक और इस सम्बन्ध में जरूरी निवेदन करना है कि प्रत्येक काश्तकार को तीन साल बाद सरकार की तरफ से उसके जो खेत हों उनके इन्तखाब बिला किसी फीस के दे दिये जायं। इससे सुविधा यह होगी कि देखने में यह आया है कि नये लेखपालों ने कहीं-कहीं खाते के खाते गायब कर दिये हैं। दो-चार गांवों के बारे में मैं स्वयं जानता हूं और माल मन्त्री महोदय ने वहां उनकी दुरुस्ती भी करा दी है। तो अगर तीन साल या पांच साल के बाद किसान को इन्तखाब सरकार की तरफ से मुफ्त दे दिये जायेंगे तो वह खतरा खाते गायब होने का नहीं रहेगा।

यह माल विभाग बहुत पुराना विभाग है और इसके कर्मचारी जितनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं और जितना ज्यादा काम उनको करना पड़ता है मैं समझता हूं कि दूसरे विभाग के कर्मचारियों को उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन इनका वेतन कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है। माल मन्त्री महोदय ने वासिल बाकीनवीस और रजिस्ट्रार कानूनगो के वेतन में कुछ वृद्धि की है लेकिन पुराना मुहकमा जो ४ सौ साल से है सुपरवाइजर कानूनगोयान का और जिनकी वेतन वृद्धि के लिये माल मन्त्री ने सिफारिश भी की थी, लेकिन वह बाद में मानी नहीं गई, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे और उनकी वेतन-वृद्धि करने की कृपा करे।

एक और निवेदन करना है कि गांव समाजों की तमाम जमीन वन विभाग ने ले रखी है। एक नोटिफिकेशन हुआ था सन् १९४८ में जिसके द्वारा गांव समाज की तमाम भूमि वन विभाग में चली गयी है, हालांकि उस जमीन में न तो कोई पेड़ है, न कोई झाड़ है जिससे कि वह वन की तारीफ में आ सके। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जितने एरियाज हैं उत्तर प्रदेश में वह वन विभाग से निकाल कर गांव समाज को दे दिये जायं और ३७ लाख खेतिहर मजदूर, जिनके पास आज भी जमीन नहीं है उनको जमीन देने की व्यवस्था की जाय।

श्रीमन्, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि माल मन्त्री महोदय ने जितना जबरदस्त काम भ्रष्टाचार को दूर करने का किया है वह अन्य विभागों के लिये अनुकरणीय है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सब दूर हो गया लेकिन जो भी शिकायत उनके पास आई उस पर उन्होंने एक्शन लिया। मुझे अपना निजी अनुभव है कि जितनी शिकायतें मैंने उनके पास भेजी सब के ऊपर कुछ न कुछ हुआ। यह कोई प्रसंशा की बात नहीं है लेकिन यह बात सही है और मैंने देखी है इसलिये इसके कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जिले खीरी में महेवा और छाउछ दो स्टेट हैं। वहां के लिये सरकार का एक आर्डर निकला है नम्बर ३४२९ का, उसके जरिये जिलाधीश को रिसीवर रहने का अख्तियार नहीं रहा। हमारे यहां से यह लिखा गया है २२ जनवरी को कि जिलाधीश को ही हमारे यहां का रिसीवर रखा जाय वरना बड़ी गड़बड़ हो जायगी क्योंकि वहां पर सब नाबालिग हैं। अब उसकी कल आखिरी तारीख आ गई है। तो मैं माननीय माल मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके लिये टेलीग्राम से सूचना देने की कृपा करें जिससे जब तक कोई फाइनल आर्डर न हो तब तक इन्टरिम आदेश अगर पहुंच जाय तो जिलाधीश रिसीवर बने रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव माल मन्त्री महोदय के सामने रखे हैं, मुझे आशा है कि उनके ऊपर वह ध्यान देंगे और अवश्य वह कार्यान्वित किये जायेंगे।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं कि इस प्रदेश में भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में जो कानूनसाजी हुई है उसका आयतन (Volume) इस देश के दूसरे प्रदेशों से कहीं ज्यादा है। साथ ही मेरा यह अनुमान है कि इस प्रदेश में कानूनसाजी का बेश्तर हिस्सा भूमि-व्यवस्था की कानूनसाजी का है। यह बात काफी से ज्यादा सबूत है कि आदरणीय माल मंत्री मेहनत से, जफाकशी से इस प्रदेश की भूमि-व्यवस्था को एक अन्तिम रूप देना चाहते हैं। इस बात की तारीफ केवल मैं ही नहीं करता हूं बल्कि आज प्रदेश के लाखों गांवों में बसने वाले किसान भी करते हैं।

कानूनसाजी के सम्बन्ध में मुझे दो रायें अपनी यहां रखनी है। मुझे यह उलझन की बात दिखाई पड़ती है कि इस प्रदेश का कृषकवर्ग, जो वर्ग सब से ज्यादा अशिक्षित है, उस वर्ग के मुताल्लिक हम ज्यादा कानूनसाजी करें। मेरा अपना अन्दाजा है कि अगर हम अपने प्रदेश में भूमि-व्यवस्था को अन्तिम शक्ल देने के लिये काफी सोच-विचार कर चलते और आखिरी शक्ल तय करके उस पर चले होते तो बहुत से कानून जो इस बीच में हमने बनाये उनके बनाने की जरूरत न पड़ती। दुनिया के दूसरे देशों में जो तरक्की हुई है वह इस बात की साक्षी है कि भूमि-व्यवस्था सम्बन्धित कानूनसाजी उन मुल्कों में ज्यादा हुई है लेकिन साथ ही साथ काश्तकारी के व्यवसाय से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में भी कानूनसाजी हुई है, काश्तकारों की पैदावार के उचित मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में कानूनसाजी हुई है, काश्तकारों की फसल को आग, अतिवृष्टि और अनावृष्टि से बचाने के लिये क्राप इन्श्योरेन्स के बारे में कानूनसाजी हुई है। काश्तकारी की उपज के दाम गिरने पर उचित दाम दिलाने के सम्बन्ध में कानूनसाजी हुई है। मुझे खेद है कि इस प्रदेश में जितनी कानूनसाजी काश्तकारी पेशे के मुताल्लिक हुई है वह करीब-करीब सारी भूमि-व्यवस्था को बदलने के सम्बन्ध में हुई है और उन दीगर क्षेत्रों में जिनसे कि काश्तकार की अर्थ व्यवस्था का भारी सम्बन्ध है, कानूनसाजी बहुत कम हुई है। सरकार से मेरा अनुरोध

[श्री शिवराजसिंह यादव]

है कि जहां वह भूमि-व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिये क्रियाशील हैं वहां काश्तकारों की अर्थ व्यवस्था के जितने भी पहलू हैं, उनमें भी कानूनसाजी की ओर ध्यान दिया जाय ।

श्रीमन्, मैं चकबन्दी और सहकारी खेती दोनों का हामी हूं, लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि इन दोनों योजनाओं में जहां कहीं आपस में तालमेल नहीं है वह जल्द से जल्द कर दिया जाय । सहकारी खेती जब हम करना चाहते हैं तो चकबन्दी का वह अंग जो सहकारी खेती के ढंग में बाधक है उसको हमें समाप्त कर देना चाहिये । आज प्रदेश की लगभग २/३ जमीन अलाभकर जोत वाले किसानों के पास है । उनके पास साधन नहीं हैं कि वह ज्यादा पैदावार कर सकें और इस आशय से कि लोग मिल कर खेती के साधन इकट्ठा कर पायें और उन जोतों से जो अलाभकर जोतों की शक्ल में हैं अधिक से अधिक लाभ उठा पायें आज सहकारी मूवमेंट को बढ़ावा देना चाहिये । मेरा अनुरोध है कि चकबन्दी की तहत में उन अलाभकर जोत वाले किसानों को गांव के एक ब्लाक में जमीन दी जानी चाहिये ताकि उनके बीच में जा कर हम सहकारिता की भावना जगा सकें और उनको सहकारी ढंग से खेती करने में सुविधा रहे । यदि वह उसके लिये तैयार हो जायं तो उनके खेत बिखरे न रह कर एक जगह हो जायं । ऐसा होने पर ही हमारे सहकारी ढंग से खेती करने वाले आन्दोलन को बल मिलेगा ।

श्रीमन्, सरकार की हर स्कीम में तालमेल और continuity होना आवश्यक है । मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि चकबन्दी योजना में जिस चीज़ को आज बदलने की जरूरत है वह यह भी है कि जिस खेत पर किसान को भूमिधरी का हक मिला हुआ है चकबन्दी के बाद उसी खेत पर उसका भूमिधरी का राइट रहना चाहिये यदि वह खेत उसके चक में रह जावे । किसान ने दस गुना काफी सोच समझ कर जमा किया था और वह अपने खेत को खेती के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिये भी इस्तेमाल करने की नियत से किया गया था । आज चकबन्दी के बाद भूमिधरी और सीरदारी का राइट बदल जाता है । जिस खेत पर उसको भूमिधरी का राइट था उस पर उसे भूमिधरी के राइट न रह कर दूसरे खेत पर उसका वह राइट ट्रान्सफर हो जाता है । मेरा अनुरोध है कि यदि चकबन्दी के अन्दर उसका भूमिधरी के राइट वाला खेत उसी के पास रह जाय तो उसी पर भूमिधरी राइट रखने की व्यवस्था हो सके तो ज्यादा अच्छा होगा ।

लगान वसूली का काम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है । मुझे तो याद पड़ता है कि आदरणीय माल मन्त्री जी ने गत वर्षों में कभी घोषणा की थी कि जो किसान अच्छे नागरिक होने का परिचय देंगे और समय पर लगान दे देंगे उनको वह कुछ रिबेट देंगे । मेरा अनुरोध है कि इस योजना को जल्द लागू किया जाय । जो किसान नवम्बर के महीने में लगान दे दें वह जरूर ही सरकार को खर्च से बचाते हैं और वह कुछ रिबेट के मुस्तहक हैं । जो किसान देर से लगान देते हैं वह जरूर अच्छे नागरिक नहीं हैं, वह सरकार का पैसा खर्च कराते हैं और उनसे अगर कुछ प्रतिशत ज्यादा भी ले लिया जाय तो कोई गलत बात न होगी । साथ ही मैं फिर इस बात पर जोर दूंगा कि आज प्रदेश की १/३ भूमि जो अलाभकर जोत वाले किसानों के कब्जे में है उससे जितनी पैदावार हम ले सकते हैं वह केवल इसलिये नहीं ले पाते कि उन पर कमजोर बैल चलते हैं, उनके किसानों के पास खेती-बारी के यंत्र नहीं हैं । इसलिये आवश्यक है कि उनको पूरा मौका दिया जाय । संक्षेप में अनुरोध यह है कि अलाभकर जोत के किसानों का लगान कुल्लियतन माफ कर दिया जाय । सरकार जब कोई योजना लाती है तो उसका एलान पहले से कर दिया जाता है । लोकतंत्र ढांचे में यह जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही जो नुकसानात इससे होते हैं उनसे भी सरकार को पूरी तरह से सबक लेना चाहिये । सरकार ने गल्ले की भंसारी पर कब्जा करना शुरू किया लेकिन उसका एलान पहले से हो गया और उसका नतीजा यह हुआ आज सरकार के पास नहीं के बराबर गल्ला आ पाया । उसी तरह से सरकार उच्चतम भूमि सम्बन्धी सीमा कायम करने जा रही है और मुझे डर है कि जिस समय तक यह सीमा कायम की जायगी उस वक्त तक न मालूम यह जमीन किस-किस दामों पर किसानों के पास पहुंच जाय । और अगर रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से इसका अमलदरामद कराया गया तो छोटे-छोटे किसानों का नुकसान हो जायेगा ।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि जब हमने निश्चय कर लिया है कि भूमि पर सीमा बांधनी है तो जितनी जल्दी हो सके इसको सरकार कार्यान्वित करे जिससे किसानों का हित हो सके ।

श्री अमर नाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने कटौतियों के प्रस्ताव रखे हैं, उनके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । जहां तक जमीन की हदबन्दी का सवाल है, हदबन्दी होनी चाहिये । इसके बिना हमारे यहां कृषि में उन्नति नहीं हो सकती है । जब एक तरफ मंहगाई बढ़ती चली जा रही है, हर तरफ किसानों के सामने परेशानी आ रही है तो उसका एक मात्र हल यही हो सकता है कि सहकारी खेती होनी चाहिये और साथ ही साथ हदबन्दी होनी चाहिये, तभी पैदावार में वृद्धि हो सकती है और बढ़े हुए मूल्यों का जहां तक सम्बन्ध है, वह गिरेंगे । इसके साथ ही मुझे यह भी कहना है कि हदबन्दी करके जमीन के अधिकारों में एक आमूल परिवर्तन करना होगा और तब सब लोग यह समझेंगे कि किसान जमीन का मालिक है और जो भूमिहीन हैं, इस हदबन्दी के बाद जो जमीन बचे, उनमें बंटनी चाहिये ।

दूसरी तरफ, श्रीमन्, जो सीलिंग पहले जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में की गयी थी उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है और माननीय माल मन्त्री जी उस पर गौर करें । जो भूमिधरी की बिक्री के सिलसिले में जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में था कि भूमिधरी की जमीन उन्हीं को खरीदने अथवा दान लेने का अधिकार होगा जो ३० एकड़ तक जमीन न रखते हों, उससे ऊपर वालों को यह अधिकार नहीं था लेकिन इस ३० एकड़ की सीमा से बहुत से भाइयों ने नाजायज फायदा उठाया । साढ़े १२ एकड़ का कानून बनाने का हम स्वागत करते हैं लेकिन साथ ही साथ हमें इसमें कुछ कमी महसूस हो रही है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आज जो बहुत से लोग जोरों से अदालतों में जमीन की बिक्री कर रहे हैं उनको रोका जाय । जो लोग जमीन ले रहे हैं वह कहते हैं कि हमारा कब्जा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के पहले से है । आज जो लोग जमीन को खरीद रहे हैं और अपने नाम कर रहे हैं उनको रोकने की कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । अगर ऐसा नहीं होगा तो उस सीलिंग का कोई मकसद नहीं निकलेगा ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो बहुत-सा रुपया भूमिधरी के सिलसिले में बहुत से जिलों में, खासकर हमारे जिले में जमा किया गया है उसकी सनदें अभी तक बहुत से किसानों को नहीं मिली हैं । अभी बहुत से किसानों का पैसा जमा है, बहुत से किसानों ने पूरा रुपया भी जमा नहीं किया है, बहुत से किसान चाहते हैं कि उनका रुपया वापस मिल जाय लेकिन उसकी वापसी में बहुत मुश्किल पड़ रही है । दूसरी तरफ गन्ने के दामों में दो आना रुपया की कटौती की गयी थी । न तो वह रुपया भूमिधरी में जमा हुआ है और न उनको मालगुजारी में मुजरा ही किया गया है और न उनको वापिस ही किया गया है ।

जहांतक पुनर्वासन अनुदान का प्रश्न है बहुत से भाई अनुदान के लिये तहसील जाते हैं । वहां उनको नक्शा नं० २७ की जरूरत पड़ती है लेकिन उसको लेने में बड़ी दिक्कत होती है, इसके साथ ही साथ उनको पैसा भी खर्च करना पड़ता है । आशा है माननीय मंत्री जी इस गड़बड़ी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

यह सब जानते हैं कि लगान की वसूली का जो तरीका है वह ठीक नहीं है । किसी का वारंट कुर्की जारी किया जाता है, किसी के बैल खोले जाते हैं, किसी को मुर्गा बनाया जाता है । बस्ती जिले की एक बात को सुनकर माननीय मन्त्री जी को ताज्जुब होगा । बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में एक अमीन साहब ने चपरासी को हुक्म दिया कि एक किसान के गले में साफा लगाकर घसीट लाओ । इस प्रकार घसीटने में उस किसान की मृत्यु हो गयी । यह सब माननीय मन्त्री जी जानते होंगे । यह ठीक है कि मालगुजारी वसूल की जाय लेकिन उस तरीके से न करायी जाय जैसी कि आजकल होती है । बहुत से सदस्यों ने कहा कि मालगुजारी की वसूली पंचायतों के द्वारा होनी चाहिये । हम भी इसका समर्थन करते हैं । अगर पंचायतों

[श्री अमरनाथ]

से मालगुजारी वसूल करायी जायगी तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। जब उनकी आय बढ़ेगी तभी उनका काम भी ढंग से चलने लगेगा।

एक तरफ कागजात की दुरुस्ती की बात है। माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा था कि कागजात की दुरुस्ती का अधिकार गांव पंचायतों को दिया जाय। बजाय लेखपाल के कागजात पंचायतें रखें और इसके साथ ही साथ उनमें तरमीम का काम भी पंचायतों के माध्यम से कराया जाय। दूसरी तरफ कैफियत के इन्दराज का सवाल है। आज भी किसान यह जानता है कि अगर कैफियत में इन्दराज हो जायगा तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ३-३, ४-४ साल तक उसको अदालतों में मुकदमा लड़ना पड़ता है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे कोर्ट फीस अदा कर सकें और अपने खेत को बेदखल करा सकें। तो जहां तक कागजात की दुरुस्ती का सवाल है वह तो होना चाहिये और जहां तक कैफियत के खाने के इन्दराज का सवाल है वह बन्द हो जाना चाहिये। यह सही है कि वह अवैध व्यवहार को प्रोत्साहन नहीं देता है लेकिन उससे किसानों में भ्रम फैला हुआ है, वह समझता है कि अगर दूसरे के नाम का इन्दराज हो जायगा तो उसकी जमीन निकल जायगी।

अधिवासियों को सीरदारी के हक दिये गये। लेकिन बहुत से ऐसे अधिवासी थे जिनके फर्जी नाम लिखे हुए थे। इससे असली काश्तकार के सामने बड़ी परेशानी हो गयी है कि किस प्रकार से उसको बेदखल करायें। वास्तव में असली काश्तकार ही उसको जोत रहा था और दूसरे का नाम फर्जी तौर पर दर्ज कर दिया गया था। अदालत में ३-३, ४-४ साल तक मुकदमा चलता है लेकिन फिर भी फैसला नहीं हो पाता है। इससे किसान को मामूली परेशानी नहीं हो रही है।

दूसरी बात मेरी तहसील की बैलों की खरीद में तकावी न देने के संबंध में है। इस साल वहां बैल खरीदने की तकावी किसानों को बिलकुल नहीं दी गयी और वह पैसा दूसरे कामों में लगा दिया गया, जिससे किसानों को तकावी नहीं मिली, वे बैल नहीं खरीद सके जिससे उनकी खेती को बड़ा नुकसान हुआ। सरकार को चाहिये कि वह इस तरफ भी ध्यान दे।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान सदन के सम्मुख माननीय राजस्व मंत्री जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। हमारे राजस्व मंत्री जी स्वयं काश्तकार हैं और सदैव ही उनके हृदय में काश्तकारों के प्रति बहुत बड़ा प्रेम है और उनके हित के वास्ते जो कुछ भी वह कर सकते हैं उसे सदैव करने के लिये तैयार रहते हैं। हमारे देश को स्वतंत्र हुए अभी केवल ११ वर्ष हुए हैं और १२वां चल रहा है। अपने प्रदेश में भूमि व्यवस्था के प्रति माननीय माल मंत्री जी ने जो कुछ किया है, मैं समझता हूं कि वह कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। उनका केवल एक ही मन्तव्य है और वह यह है कि भूमि काश्तकारों के पास पहुंचे और उसके लिये जो कुछ भी तरकीब वह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अध्ययन के द्वारा जो कुछ उन्होंने निकाला है, वह सिर्फ यही है कि काश्तकारों के पास जो जमीन को जोतते हैं, उन्हीं के पास जमीन पहुंचायी जाय। जमींदारी उन्मूलन का भी अर्थ यही था, अधिवासी का अर्थ भी यही है और चकबन्दी का अर्थ भी यही है कि जो जमीन उसके पास है वह इकट्ठी हो जाय। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लोगों को समझना चाहिये और सोचना चाहिये कि अंतिम रूप जो उनके विचार में है वह यही है कि काश्तकारों के पास जमीन पहुंच जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उनके हृदय में किसानों के लिये जो प्रेम है उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। मेरा इलाका एक बाढ़ क्षेत्र है...

एक सदस्य—आप अनुदान पर बोल रह ह या माननीय राजस्व मंत्री की तारीफ कर रहे हैं?

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—जो मैं कहने जा रहा हूं उसे आप पहले सुन लें, फिर उसका नतीजा निकाल लेंगे। तो, श्रीमन्, मेरा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था और उसमें बाढ़ से हमेशा ही बड़ी तकलीफ रहती थी, वहां के लोग काश्त नहीं कर सकते थे। वहां टांट और झाऊ आदि घास खड़े रहते थे। मैंने माननीय माल मंत्री जी से कहा कि आप जरा उस क्षेत्र को देख लीजिये। बड़ी मुश्किल से वे तैयार हुए। मैं उनको वहां लिवा ले गया और वहां की जो हालत थी उसको उन्होंने देखा। वहां पर एक किस्म की कसां घास होती है, कसां जिससे अनाज पैदा होता है, उस अनाज को खाकर लोग बीमार हो जाते हैं, इस संबंध में यहां प्रश्न भी कई बार पूछे गये थे। उस अनाज को खाकर सैकड़ों आदमी पंगु हो गये। जब मैं चौधरी साहब को वहां ले गया तो उनको ले जाने में मुझे और उनको जितना कष्ट हुआ उसके लिये मैंने उस दिन उनस क्षमा मांगी थी। लेकिन वहां की हालत देख कर चौधरी साहब ने वहां के लिये जो कुछ किया है उसको इस सदन के माननीय सदस्य और जिन्होंने उनकी तारीफ पर आब्जेक्शन किया था, चल कर देख लें तो उनको पता चल जायगा कि वहां की हालत क्या है। वहां पर जो टांट और झाऊ के जंगल थे उनको कटवा कर जनता के आने जाने के लिये ४० हजार रुपये के खर्चे से रास्ता और पुलियां बनवा दिया है और अगर आज माननीय मंत्री जी वहां पहुंचने की कोशिश करें और वहां की हालत जानने की कोशिश करें तो उनको जान कर खुशी होगी कि उस जगह पर जहां चार–चार गज और पांच–पांच गज के टांट और झाऊ के घास खड़े थे वहां अब कम से कम दो–दो गज के गेहूं खड़े हैं। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जब भी चौधरी साहब उन १४,१५ गांवों को देखेंगे तो पायेंगे कि जैसा वे उनको पहले देख आये थे वैसे गांव अब वे नहीं हैं। बल्कि ऐसी ४–६ पाकेट्स (pockets) और हैं जहां पर भी इस तरह के टांट और झाऊ पैदा होती है और वहां के लोगों के लिये मैं आशा करता हूं कि चौधरी साहब उतनी ही लिबरल हेल्प (liberal help) करेंगे और उनको तकावी दे कर घास के बजाय अन्न पैदा करवायेंगे।

हमारा देश इस समय इतना गल्ला बाहर से मंगवा रहा है जिसकी वजह से उसमें बड़ा फारेन एक्सचेंज (foreign exchange) खर्च किया जा रहा है। १,४०० करोड़ का गल्ला बाहर से आया है। मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है वहां पैदावार पानी की कमी की वजह से रुक रही है, वहां पर वह कुयें बनवाने की कोशिश करें। हमारे इलाके में ३०० से ज्यादा गांव हैं और उनमें केवल ८ या १० गांवों में कुवें बने हुये हैं और बाकी में कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। इस इलाके के वास्ते कुछ ट्यूबवेल्स (tube-wells) और मेसनरी वेल्स मंजूर किये जायें और उनके लिये तकावी पर रुपया दिया जाय और इस प्रकार काश्तकारों को गल्ला पैदा करने का प्रोत्साहन दिया जाय।

हमारे यहां कैश क्राप्स (cash crops) का एरिया बढ़ रहा है। जो नया टूटा हुआ रकबा है उसकी वजह से परसेंटेज में कमी पड़ रही है क्योंकि उसे गल्ले की पैदावार में शामिल कर दिया गया है लेकिन जो आज अच्छी भूमि है वह ज्यादातर कैश क्राप्स में बदल रही है। ऐसी जमीनें कैश क्राप्स में देने से नतीजा यह हुआ है कि अन्न का उत्पादन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और गन्ने का उत्पादन बढ़ता जा रहा है।

मैं एक प्रार्थना और सरकार से करना चाहता हूं। जैसे गन्ने की कीमत पहले से निर्धारित कर दी जाती है उसी तरह से अनाज की कीमतें पहले से निर्धारित कर दी जायं जिससे काश्तकार को गल्ले के पैदा करने में प्रोत्साहन मिल सके और उसके गल्ले की मारकेटिंग का जैसा इन्तजाम हो रहा है उसको शीघ्र से शीघ्र करने की जरूरत है।

अगहन के महीने में गेहूं की फसल जम कर तैयार हो जाती है। उस समय काश्तकारों के पास लागत की कमी होने के कारण पानी देने में दिक्कत होती है, वे निरवा नहीं पाते।

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिससे अगहन के महीने में कुछ तकावी के रूप में २,४ रुपये बीघा दिला दिया करें तो इससे काश्तकारों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वे गल्ला ज्यादा पैदा करेंगे। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व मंत्री के अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके संबंध में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश की मालगुजारी, जैसा कि माल मंत्री जी ने बतलाया, २० करोड़ ६७ लाख रुपये हो गयी है और जमींदारी टूटने से पहले यह मालगुजारी ७ करोड़ रुपये ही मिलती थी। लेकिन अब, अगर १,००,००,००० रुपये गांव समाजों की आमदनी जोड़ दी जाय, तो भी २२,००,००,००० रुपये के करीब प्रदेश के राजस्व में मालगुजारी का योग हो गया है। यानी १३,००,००,००० रुपये, १४,००,००,००० रुपये की आमदनी बढ़ गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मालगुजारी में आमदनी बढ़ी है क्या उससे खेती के अन्दर जितनी जमीन है उसमें भी कोई वृद्धि हुई उपज में, जो फसल है उसमें कोई वृद्धि हुई। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। श्रीमन्, जहां तक खेती के क्षेत्रफल का प्रश्न है, १९५५-५६ में ४०१ लाख एकड़ जमीन खेती के अन्दर थी वह १९५७-५८ में ४०८ लाख एकड़ ही रह गई। अब जहां तक उपज का सवाल है, गेहूं, चावल, चना, जौ, मक्का, ज्वार सब में कुछ कमी हुई है। जहां १९५५-५६ में ३०.४१ हजार मन गेहूं पैदा हुआ था वहां २७.६ हजार मन ही रह गया। उपज भी कम हुई, खेती के अन्दर जमीन भी कम हुई लेकिन मालगुजारी ७,००,००,००० रुपये की जगह २०,६७,००,००० रुपये हो गई। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मंत्री जी इसके विशेषज्ञ भी हैं। जरा सोचें कि मालगुजारी आखिर किस आधार पर ली जाय? इस लोकतंत्र में मालगुजारी का आधार जो लिया जा रहा है वह मेरे खयाल से गलत है। मालगुजारी जो लगान की प्रथा पर असेस की जा रही है वह मालगुजारी कृषि आय-कर की प्रथा पर लगनी चाहिये। यह सोशलिस्ट पार्टी की बराबर मांग रही है और मैंने अखबारों में भी पढ़ा था कि श्री टी० टी० कृष्णामाचारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे उन्होंने एक मीटिंग में दक्षिण में कहा कि हम लोगों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था कि जो प्राफिट लेस ऐग्रीकल्चर है उस खेत पर से मालगुजारी बिलकुल हटा देनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने स्वयं जमींदारी अबालीशन कमेटी के सामने अपने बयान में कहा है कि सवा ६ एकड़ से ऊपर की खेती लाभकर है बकिया उससे कम अलाभकर है। इस हिसाब से ८४ प्रतिशत खेती अलाभकर है जिससे कोई आमदनी नहीं होती।

पहले राजा टोडरमल के जमाने में यह प्रथा थी कि मालगुजारी १० वर्ष की उपज के औसत पर ली जाती थी। मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जमींदारी अबालीशन कमेटी में इसका विवरण आया हुआ है और रेगूलेशन १८२२ नम्बर ७ के अनुसार यह कहा गया था कि मालगुजारी की रकम खेती करने में जो खर्च हो उसे काटकर खालिस मुनाफा या अतिरिक्त उपज के आधार पर तय हो सकती है। मगर आज मालगुजारी, जो अधिवासियों का लगान है, ४ गुना बढ़ गया है, और इस हालत में जो आधारभूत सिद्धांत है वह खत्म हो गया, वह कैश और काइंड का सिद्धांत चला गया। यही नहीं, बैकवर्ड क्लास कमीशन ने यह लिखा है कि जिसके पास देने की क्षमता हो उसके अनुसार ही मालगुजारी ली जाय। आखिर मालगुजारी की प्रथा जो प्रदेश में है, मंत्री जी कहते हैं हम कम ले रहे हैं, मगर ली क्या जा रही है? ७,००,००,००० की जगह पर २०,००,००,००० रुपये; यह क्या कम है? तो सोशलिस्ट पार्टी की मांग है, मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं, कि लगान प्रथा को हटा कर कृषि आय-कर प्रथा चलायी जाय ताकि किसानों का लगान कम हो जाय और अलाभकर खेती की मालगुजारी न देनी पड़े।

इसी सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा मालगुजारी इस अकाल और भुखमरी के जमाने में कैसे वसूल की जाती है। मंत्री जी ध्यान देंगे, मेरे पास २१

फरवरी की एक घटना की सूचना है, मेरे क्षेत्र के धौला गांव के एक चंद्रिका पंडित की चाची मर गई थी। वह कफन लेने जा रहे थे, कुर्क अमीन आया और बिना वारन्ट के बांध कर ले गया और काफी पिटाई के बाद जमानत पर छोड़ा गया और फिर भी चंद्रिका पांडे की चाची की लाश नहीं फूंकी जा सकी जिसके लिये वह कफन लेने जा रहे थे।

एक बात और मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां लंगड़ी गांव में, माननीय शिव प्रसाद जी के क्षेत्र में, दरोगा जी से मिलकर तहसीलदार ने हमला करवाया। दरख्वास्त मेरे पास मौजूद है वहां पर बीसों आदमियों को खूंटे से बांध कर मारा गया। आज इस सरकार के यहां देवरिया जैसे भुखमरी के क्षेत्र में इस तरह से मालगुजारी वसूल की जाती है।

इस के बाद तकावी की भी चर्चा है। हमारी सरकार को ३ करोड़ से ज्यादा तकावी लेना है, उसमें से एक करोड़ से अधिक वसूल हो चुकी है। अकाल के समय में जिस को मंत्री जी डिस्ट्रेस की तकावी कहते हैं, उस में जो ५ रुपया, १० रुपया तकावी में सहायता के रूप में दिया गया था उस को मंत्री जी ३ साल के बाद अब वसूल करा रहे हैं और मुझे मालूम हुआ है कि उस पर ५ और सवा ५ प्रतिशत का सूद भी लिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मुसीबत के समय में जो सहायता दी गई थी अकाल की तकावी में भी कहीं सूद लिया जाता है? उस की क्यों नहीं छूट कर दी जाती? वह तो अगर कुल छोड़ दी जाती तो मुनासिब होता। हम चाहते हैं कि सन् ५७ तक की डिस्ट्रेस तकावी में छूट की जाय वह पूंजीपतियों का खाया हुआ रुपया दूसरे तरीकों से वसूल कर सकते हैं लेकिन देवरिया जिले के भूखों मरते लोगों से अकाल की हालत में दी हुई तकावी माफ नहीं कर सकते और उस पर सूद लेना कहां तक जायज है? हमें मालूम है कि बिहार सरकार ने कोई सूद नहीं लिया है और यहां की सरकार ५ प्रतिशत का सूद लेती है। जगह-जगह फरजी तकावी की लिस्टें लोगों के नाम में तैयार की गईं। मेरे पास ऐसे लोगों की सूची है कि जिन को कोई तकावी नहीं दी गई लेकिन उन के नाम रकम निकाल दी गई। सलेमपुर गांव में ७५ ऐसे आदमियों के नाम तकावी की वसूली आई जिन को तकावी नहीं मिली थी और उन से जबरदस्ती वसूली की रही है।

एक बात माननीय मंत्री जी ने कही थी कि हमारी जो वसूली की मशीनरी है वह निहायत ईमानदारी से काम कर रही है लेकिन हम जैसा देख रहे हैं और भुगत रहे हैं वह बात कुछ और है। मंत्री जी ने परताल के संबंध में भी बताया लेकिन हमने जो पड़ताल की, देवरिया के जो पूरे आंकड़े हैं उनमें १६० और ९४ खसरे और खतौनी में गलतियां हैं, तीनों में इससे ज्यादा गलतियां निकलीं और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह १०० प्रतिशत सही है कि उनके पास रिपोर्ट गलत आई और उसकी कोई कापी किसी को नहीं दी गई। मैं मांग करता हूं कि उसकी कापी तहसीलदार हमको दिया करें।

कन्सालिडेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि चकबन्दी के संबंध में सबसे बड़ी दिक्कत इसलिये होती है कि लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और निरक्षर भट्टाचार्य हैं और उनको कोई जानकारी नहीं कराई जाती है कि चकबन्दी के क्या लाभ हैं। मैं जानना चाहूंगा कि चकबन्दी विभाग ने लोगों की चकबन्दी के प्रति जागरूक बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं, कोई विशेष योजना या कोई फिल्म उनके लिये इस तरह के तैयार किये गये हैं। मंत्री जी के उद्घाटनों के फिल्म बनते हैं लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वह नहीं की जाती हैं। कौन सा प्रबन्ध उनको इस प्रकार की शिक्षा देने का किया गया? ऐसे फिल्म बनने चाहिये जिनसे चकबन्दी के लाभ की जानकारी किसानों को हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)--मैं बहुत दिनों से ख्वाहिशमंद था कि मुझे बोलने का मौका मिले। आज कुछ नजरें मेरे ऊपर पड़ गयीं जो यह अवसर मिला कि मैं कुछ कह सकूं। इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं।

अब भी यह सिलसिला जारी है और अमूमन यह कहा जा रहा है कि पहला इंगलिश पीरियड अच्छा था, वह किसानों के लिए लाभदायक था। कहने का मंशा यह है कि जो लोग एक चेन में बंधे हुये थे; नम्बरदार, जमींदार की सिफारिश से बनता था; लेखपाल, पटवारी, जमींदार की सिफारिश से बनता था और उसका तबादला भी बड़े-बड़े जमींदारों की सिफारिश से होता था; नम्बरदार जो रेवेन्यू वसूल करता था वह बाज औकात अगर उन्हें मालगुजारी वसूल नहीं होती थी तो साहूकारों से पैसा ले लेता था और जो काश्तकार था उससे कहता कि थोड़ा-सा पैसा दे दो, हम तुम्हारी मालगुजारी में लगा लेंगे। तो कहने का मंशा यह है कि उधर काश्तकारों से थोड़ा-सा पैसा ले लिया, उसमें से भी बचाया और उधर गवर्नमेंट को दे दिया, कमीशन बचाया। तो नम्बरदार महज़ कमीशन और सूद से फायदा उठाकर बसर करता था और नम्बरदार निर्भर करता था बड़े-बड़े जमींदारों पर। बड़े जमींदारों के यहां और भी लोग रहते थे। पहले यह हुआ करता था कि जिलेदार और उसके सिपाही जो आते थे उन्हें हक मिलता था। अब ये सब चीजें खत्म हो गयीं, महज़ उनकी याद रह गयी।

इसमें शक नहीं कि सब चीजें जो अब हो रही हैं वह ठीक ही नहीं होतीं, गलतियां भी होती हैं। तो गलतियां भी जरूर वाक़ै हो रही हैं। बाज़ जगहों में ऐसा होता है कि फ्लड आता है या फसल को रोग लग जाता है जिससे फसल की पैदावार इतनी नहीं होती जिससे कि वह किसान बेचारा अपना पूरा लगान देकर अपनी जिन्दगी को गुजारने के लिये पैसा बचा सके, लेकिन उससे लगान पूरा वसूल किया जाता है। इस सिलसिले में मेरी दरख्वास्त है आपके द्वारा मंत्री जी से कि ऐसे मवाजे, मौकों या जगहों पर जिस जगह रोग लग जावे और सैलाब आ जाय और आधे से कम फसल हो तो मालगुजारी में कुछ कमी कर दी जाय। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूं कि बहादुराबाद से मुहम्मदपुर तक नहर गंग का पानी ऊंचा उठा दिया गया है। मुहम्मदपुर पावर हाउस के कुर्ब व जवार की जमीन में चोया आ गया, लेकिन आबियाना और मालगुजारी वही है। जाहिर है कि चोया आने से फसल हलकी पैदा होती है और उससे इतनी आय नहीं होती जिससे मालगुजारी अदा कर के कुछ बचा सकें या बच्चों की परवरिश कर सकें। तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि उनके लिये भी कुछ रिआयत दे। गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों साथ-साथ एक दूसरे की हमदर्दी के लिये हैं। जनता का फर्ज है गवर्नमेंट को ऊंचा उठाने का।

दूसरी अर्ज यह है कि फ्लड एरिया में जो तकावी तकसीम की जाती है उसका सूद लिया जाता है। वह बतौर इमदाद के दी जाती है। इसमें मैं दरख्वास्त करता हूं कि जो मुसीबत-जदा होते हैं उनसे सूद न लेकर तकावी दी जाय और वह बिला किसी मुनाफे के वसूल की जाय।

जहां तक लेखपाल का सवाल है, अमूमन ऐसा होता है कि जो पुराने पटवारी हैं वह तहसीलों में रहते हैं और अगर किसी जगह गड़बड़ी करानी होती है तो वह पुराना पटवारी पहुंच जाता है और उस खाते में गड़बड़ कर देता है। लेखपाल का तो मंशा होता है कि वह लेख का पालन करे, तो वह कह देता है कि मैं तो लेख का पालन कर रहा हूं और इस तरह से पुराने पटवारी से इन्दराज करा कर मुकदमें खड़े कर दिये जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिये कि जहां ज्यादा मुकदमात लड़ाये जावें, उसका जिम्मेदार लेखपाल को करार देना चाहिए। अगर जमीनों के ऊपर झगड़े होते हैं तो जाहिर है कि रेकार्ड में कुछ कमी होती है। अगर रेकार्ड सही होता है तो किसी किस्म के कोई मुकदमात तहसीलों में या दूसरी जगह न जायं। वसूलयाबी के लिये जो अमीन मुकर्रर किये गये ह उनके लिये यह हिदायतें जारी होनी चाहिये कि बाज़ औकात फ्लड आने से या रोग लग जाने से जो फसल खराब

हो जाती है तो उनको इतना अधिकार होना चाहिये कि वे अपनी रिपोर्ट अफसरान आला के पास भेजें और उन्हें कुछ रिआयत दी जाय जिससे कि वे आइन्दा मालगुजारी दे सकें। यही सब बातें मुझे अर्ज करनी थीं।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)––मान्यवर, मैं अनुदान संख्या २ पर लाये गये कटौती के सभी प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में किसानों से लगभग २०–२२ करोड़ रुपये मालगुजारी वसूल की जाती है, और इसके अलावा हर वर्ष बजट में, इसमें सन्देह नहीं है कि तीन-चौथाई रकम उन लोगों से आती है जो देहात में रहते हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इतनी रकम जब किसानों से वसूल की जाती है तो उनको खुशहाल बनाने के लिये, उनकी उन्नति के लिये क्या किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से, दो-तीन बार इस सदन में मैंने प्रश्न किये कि हमारे प्रदेश में काफी जमीन रेह से मारी गयी है और मारी जा रही है और इसके अलावा वाटर लागिंग की परिस्थिति कई साल से लगातार पैदा हो गयी है, तो यह एक स्थायी बीमारी प्रदेश में बन गयी है। इसके जवाब में मुझे यह बताया गया कि भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम २९२ के अन्तर्गत किसानों को दरख्वास्तें देनी चाहिये। मेरे पास "मैनुअल आफ आर्डर्स आफ गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश इन दि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वाल्यूम १" है जिसे मैं थोड़ा-सा आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

पैरा १५९––

"The Collector is directly responsible for bringing such deterioration to the notice of Government at an early stage and for taking timely action to recommend a reduction of the demand."

आगे है––पैरा १५८ में है––

"Calamities of this class or those in which the fertility of the soil has become so seriously affected by over-saturation, deposits of sand, the growth of *kans* or noxious weeds or other similar causes that the land revenue cannot be paid without undue hardship the essence of such calamity should be that it is not of a purely temporary nature likely to affect only one or two harvests."

श्री अधिष्ठाता––हिन्दी में बता दीजिये।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द––इसका मतलब यह है कि जो फसल को नुक्सान पहुंचता है और जमीन का उत्पादन इन कारणों से घट जाता है कि जैसे रेत पैदा हो जाय या जमीन में कांस हो जाय या और दूसरे कारणों से जमीन का उत्पादन घट जाय और इसकी वजह से किसानों को मुश्किल हो जाय मालगुजारी देना तो उसके लिये परमानेंट कमी मालगुजारी में लाजिमी है और कलेक्टर का यह फर्ज है कि अगर इस तरह की स्थिति आ जाय तो वह राज्य सरकार को रिपोर्ट करे। श्रीमन्, पैरा १६० में यह है कि:––

"The Collector's chief duty in this most important matter is to carry out adequate touring of his district himself, and to see that his Sub-Divisional Officers, Tahsildars and subordinate revenue staff also tour adequately, so that a constant watch is kept over the agricultural condition of every part of his district, particularly that of the poorer and more precarious areas. On the first sign of serious deterioration, the Collector must make a personal inspection of the locality, and institute such further inquiries as may be necessary."

इसका मतलब यह है, श्रीमन्, कि जब जमीन खराब हो रही है तो कलेक्टर का और उसके स्टाफ का यह फर्ज है कि मौके पर जा कर जांच करे और रिपोर्ट करे। श्रीमन्, एक मिसाल

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

देना चाहता हूं कि एक बार मैंने आगरा के कलक्टर से पूछा कि हमारे यहां कितनी जमीन रेह से मारी गई है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई नुक्सान नहीं है। लेकिन यहां सदन में मेरे एक प्रश्न का जवाब मिला कि १,८०० एकड़ जमीन आगरा जिले की किरावली तहसील में प्रभावित है। मैंने राजस्व मंत्री महोदय से पूछा कि जब कलेक्टर ने मना कर दिया था तो यह आंकड़े कहां से आये। जवाब दिया गया कि लेखपाल द्वारा इकट्ठे कराये गये। मैं उदाहरण के लिये बताता हूं कि जवाब में कहा गया था कि कागजातदेही में रेह से प्रभावित भूमि के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं लेकिन अनुमान यह है कि किरावली तहसील में रेह से १,८०० एकड़ भूमि प्रभावित हुई है।

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। यह समझ में नहीं आता है कि किसानों की तरफ तवज्जह क्यों नहीं दी जाती है। एक तरफ तो कहते हैं कि किसान दरख्वास्त दे दूसरी तरफ आपके आर्डर्स कहते हैं कि आफिसर्स की ड्यूटी है कि वह खुद जा कर जांच करे और जहां पैदा न होता हो वहां परमानेंट मालगुजारी में कमी की जाय। वह इधर ध्यान देंगे तो कसानों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून में जो ग्राम सभाओं द्वारा मालगुजारी वसूल करने की व्यवस्था है तो उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं जानता हूं कि मंत्री जी को यह खतरा हो सकता है कि गांव सभायें इसमें सफल नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक या दो बार असफल होंगी और आग चलकर उन्हें तजुर्बा होगा और बहुत कम गलती करेंगे। इसलिये उन्हें मालगुजारी वसूल करने का मौका दिया जाय ताकि जो कमीशन मिले उससे अपनी ग्रामों की हालत सुधार सकें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वाटर लागिंग के लिये मन्त्री जी ने रैवेन्यू से केवल ८ लाख ३५ हजार रुपया रखा जब हमारे यहां प्रदेश में गर्की से Water logging से बहुत बुरी हालत है। जब २०, २२ करोड़ मालगुजारी में वसूल करते हैं और कुल बजट का ८० प्रतिशत देहाती जनता देती है तो उनकी समस्या के लिये यह बहुत कम रुपया रखा गया है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि पंजाब सरकार की तरह इसको टाप प्रायोरिटी दी जाय ताकि किसानों की हालत सुधरे। लाखों एकड़ में पानी भरा हुआ है और उस क्षेत्र में त्राहि त्राहि मची हुई है। जहां गर्की है वहां उन्हें न खरीफ मिलती है और न रबी ही मिलती है तो इस तरफ माननीय मंत्री जी जल्दी से जल्दी तवज्जह देने की कृपा करें।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया।)

कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में इतना ही कहूंगा कि हमारे प्रदेश में लगभग पौने दो सौ फार्मिंग सोसाइटियां हैं, बेटर फार्मिंग सोसाइटीज, सामुहिक कृषि समितियां और दूसरी भी समितियां हैं लेकिन आज तक उनकी रिपोर्ट हमें सदन में नहीं दी गयी कि उन्होंने कितनी तरक्की की है। हालांकि सहकारी खेती का समर्थन कर रहे हैं लेकिन मैं कहूंगा कि सब से पहले, जब कि देश का उत्पादन घट रहा है, उसको बढ़ाने के लिये सहकारिता के आधार पर खेती कराना चाहते हैं तो इस वक्त जो मौजूदा सहकारी समितियां हैं उनकी दशा क्या है, इस पर जरा विचार कर लें। इसके बाद सहकारिता की तरफ कदम उठाने की कोशिश करें।

एक चीज मैं और कहूंगा, इंदराजों के बारे में। यहां गलत इन्दराजों के बारे में बहुत-सी बातें मैंने सुनीं। मैं एक ही मिसाल आगरा जिले की देना चाहता हूं। तहसील किरावली में एक जमींदार है जिसके पास जमींदारी खत्म होने के बाद अब तक ५ सौ बीघे जमीन मौजूद है; न उसके पास एक बैल है, न ट्रेक्टर है। उस जमींदार का नाम है शिवनारायण। वह वकील भी है। उसकी सारी जमीन किसान जोतते है लेकिन उनका कोई अधिकार जमीन पर नहीं है। अधिकारी जमींदार की पूरी मदद कर रहे हैं।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। बहुत से लोगों ने तरह-तरह की बातें कहीं लेकिन गरीब किसान की बात किसी ने नहीं कही। उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है तो न कोई चीज बचती है और न कोई सामान बचता है। उसके लिये कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके लिये बजट में एक पैसा नहीं है, जो ८०, ८२ फीसदी किसान हैं। जब किसान के घर में आग लगती है तो कुछ नहीं रहता है। बर्तन भी [. . . . .] जलकर खाक हो जाते हैं। उस किसान के घर में माननीय मंत्री जी ने जन्म लिया है। वह किसान हैं। मैं भी किसान हूं। कोआपरेटिव की बात कही गयी, सारी चीजें बतायीं लेकिन यह कोई बात नहीं बतायी कि किसान के लिये कोई ऐसा बजट रखा जाय जिससे उनके मकानात पुख्ता बनाये जायं। उन किसानों की उन्नति करायी जाय। जो किसान रोजगार नहीं करते हैं उनको रोटी नहीं मिलती है।

अगर कोई और कारबार करता है तो रोटी ढंग से मिलती है लेकिन किसान को रोटी नहीं है क्योंकि दिन भर बेचारा मेहनत करता है और नौकरों को नौकरी दे देता है, उस किसान को कुछ नहीं बचता। अतः हमारे मंत्री जी को इसका तो ध्यान रखना चाहिये और हमारे साथियों को ध्यान रखना चाहिये जिनको इस ८० फीसदी जनता ने चुना है। सीलिंग और कोआपरेटिव जरूर करें, इससे हरगिज इनकार नहीं करता हूं लेकिन उस ८० फीसदी किसान जनता के पहले मकान पुख्ता बना दिये जायं। आज हम इस मकान में इस जनता की बदौलत हैं। अगर २२ साल की उम्र वालों को वोट का अधिकार न होता तो हमें इस हाउस में आने का अधिकार नहीं होता। यहां राजे महाराजे आते थे और कहीं ऐसा न हो कि वही राजे महाराजे फिर आना शुरू हो जायं। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसी बातें हम लोग यहां लायें जिससे कि ८०, ८२ फीसदी जनता नाखुश न हो। यह १८, २० फीसदी क्या है? पहले ये राजे महाराजे, नवाब खत्म किये। ऐसे ही जो शहर के हैं मिल मालिक डालमिया वगैरह, इनको खत्म करना चाहिये। उसके बाद मैं तो दस्तखत करके देने को तैयार हूं कि कोआपरेटिव फार्म वगैरह बनें। लेकिन गरीब जनता का खयाल जरूर करना चाहिए क्योंकि वही हमें चुनेगी, फिर चुनेगी, फिर चुनेगी। इसलिये उसका हमें बहुत खयाल करना चाहिए। हम तो अपने माननीय माल मंत्री महोदय से यही अनुरोध करेंगे कि वह किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान की बात करते हैं और करेंगे क्योंकि किसान ही वह यहां हैं। इसलिये किसान की बात को न भूलें।

एक बात तो चौधरी साहब ने बहुत ही अच्छी कर दी क्योंकि पेड़ों के काटने का अख्तियार रामपुर में नहीं था। लकिन अब पेड़ की इजाजत हो गई है और कलक्टर साहब के पास आर्डर भी पहुंच गया है। परन्तु अभी एक और समस्या रह गयी है कि वहां लगान दूना है हर जगह से, सर्किल रेट से। चौधरी साहब से मेरी बातचीत हुई। वह कह रहे थे कि २५ फीसदी ज्यादा है दूना नहीं है। अब मैं उसकी फिर से जानकारी कर लूंगा। लेकिन काश्तकार यही कहते हैं कि उनका सर्किल रेट बहुत ज्यादा है। मैं तो कहूंगा कि बरेली की सरहद के जो गांव हैं उनका सर्किल रेट बरेली जिले के सर्किल रेट से मिला दिया जाय, इसी तरह जो बदायूं की सरहद पर है उनको बदायूं से मिला दिया जाय, जो मुरादाबाद की सरहद पर हैं उनको मुरादाबाद से मिला दिया जाय और बाकी जो नैनीताल जिले की हद पर गांव हैं वह उधर से मिला दिया जाय। तब तो हम जनता के सामने कुछ कह सकेंगे। वरना आज तो जनता ने हमें चुनकर भेजा, कल को जनता कहेगी कि हमारा किया क्या, हमारी बात क्या कही। इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि इस जनता के लिए कुछ न कुछ लाना चाहिए।

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

[श्री कल्याणराय]

एक समस्या और है कि गन्ना तो बिके १ रुपया ७ आने मन और अंगौला बिके २ रुपया ४ आने मन और गन्ने की खोई जो निकल जाय वह बिके २ रुपये मन। इन बातों को देखना चाहिए क्योंकि हम किसान के घर रहते हैं, किसान के घर पलते हैं। तो इनका बहुत खयाल करना चाहिये। नहीं तो आज हम चुन के आ गए हैं, कल को नहीं आ सकते। हालांकि मैं एक किसान हूं लेकिन लोग समझते हैं कि कल्याण राय बहुत बड़ा रईस है। मैं कहता हूं कि मुझसे ज्यादा काम करने वाला यहां कोई नहीं निकलेगा। मैं अब भी मुकाबिला करने के लिये तैयार हूं, हल जोतने को तैयार हूं, फावड़ा चलाने को तैयार हूं, हर तरह का काम करने को तैयार हूं। लोग कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं। मैं बड़ा आदमी हूं लेकिन अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से बड़ा आदमी हूं। गरीब किसान के बल पर हूं। बहुत छोटे घर में पैदा हुआ हूं मैं। कोई बड़े घर में नहीं पैदा हुआ। मगर मैं यह कह सकता हूं कि हमारे भाइयों को सब को यह चाहिये कि गरीब किसान की बात को जरूर यहां रखें। अगर वह बात हम भूल गये तो फिर किसान हमें नहीं चुनेगा। आज तो हम चुन गए लेकिन हमेशा नहीं चुने जा सकते। इसलिये बहुत नम्रतापूर्वक मैं यही कहूंगा कि पहले तो किसान के लिये कोई कानून ऐसा लाना चाहिए जिससे कि उनके मकान बहुत पोख्ता बना दिये जायं चाहे इसके लिए जिधर से भी रुपया लाना पड़े। बड़े-बड़े राजा महाराजाओं को जैसे खत्म किया वैसे ही इन सेठ साहूकारों को भी खत्म करना चाहिये नहीं तो फिर किसान हमको नहीं चुनेगा। इन शब्दों के साथ, मैं सब से माफी चाहता हूं और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं उससे भी माफी चाहता हूं।

(श्री होरीलाल यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न है। अभी आपके सामने प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया लेकिन उसके पहले ही आपने मूवर का नाम पुकार दिया।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये समय निश्चित है। आज यह समाप्त हो जायगा।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव अनुदान संख्या २ के सिलसिले में मैंने पेश किया है, उसका जिन माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है, मैं उनका आभारी हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने विरोध किया है वे भी सहानुभूति के पात्र हैं।

मान्यवर, जैसा कि कल इसी सदन में किसी माननीय सदस्य ने कहा था, सरकार ने आधे लगान का वादा किया था। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह वादा कब किया था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे भी उस जमात में, जो आज सत्ताधारी हैं, रहने का सौभाग्य मिल चुका है। मैं सन् १९३० में शामिल हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि जो बातें इस वक्त कही जा रही हैं अगर उनकी दस्तावेज न लिखाई गई तो कल को वह झूठी साबित हो जायेंगी। उस वक्त हम देहात के किसानों को इकट्ठा कर रहे थे इस मुल्क को आजाद करने के लिये और अंग्रेजों की गोलियों को ठंडा करने के लिये। उस समय मैं एक अदना सिपाही था और माननीय मंत्री जी जैसे नेता हमारे रहनुमा थे। वह भी यह कहते थे कि किसानों, तुम एक जगह इकट्ठा हो जाओ तुम्हारा लगान आधा होगा और जमीन के तुम मालिक बना दिये जाओगे १० गुना देकर नहीं। आज माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह हमने कब कहा था। इस बात को हजारों और लाखों लोगों की मीटिंग में कहा गया था। मैंने कहा था और माननीय मंत्री जी ने भी कहा होगा। मेरी मौजूदगी में जिन मंत्रियों ने इस बात को कहा था, उसको मैंने सुना था लेकिन आज हम उससे मुकर रहे हैं। लगान आधा तब किया जा रहा है जब किसानों से १० गुना ले लिया जाता है।

कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यह चकबन्दी का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी मानते हैं कि चकबन्दी के जरिये नया परिवर्तन आ रहा है। किसान सैकड़ों वर्षों से जिन

खेतों को पकड़े था, चिपटे हुये था, उसको अन्य टुकड़ों के साथ जोड़ा जा रहा है। इस चकबन्दी के काम को जितनी तेजी के साथ माननीय माल मंत्री जी कराना चाहते हैं—यह मैं मानता हूं कि वह चकबन्दी करने पर तुले हुये हैं और वह होगी—परन्तु वह इस काम को इतनी तेजी से न करायें। इस चकबन्दी के काम के दो प्रमुख अंग हैं और वे बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। एक तो कागजों की दुरुस्ती और दूसरे जमीन का वर्गीकरण। ये दोनों काम अगर सहूलियत के साथ और इत्मीनान के साथ कर लिये जायं तो इसके आगे आने वाली जो स्टेज है, चकों का काटना, उसके खिलाफ अपील होना, ये जो दिक्कतें पड़ती हैं, मेरा खयाल है कि यह बहुत कम हो जायंगी। कागजों के इंदराजात की दुरुस्ती के सिलसिले में अभी माननीय रघुबीर सिंह जी ने कहा था कि ५९ गांवों में हजारों गल्तियां निकलीं। उनको ठीक करने के लिये मौके पर जाना पड़ेगा लेकिन उसके लिये कोई ऐसा परसेन्टेज मुकर्रर नहीं होना चाहिये कि इस परसेंटेज के अन्दर अगर काम नहीं होगा तो काम करने वाले अधिकारी निकालकर बाहर कर दिये जायेंगे और इतने नम्बर के चक न काटे गये तो निकाल कर बाहर कर दिये जायेंगे। इस कन्सालिडेशन प्रोग्राम के सिलसिले में हर एक काश्तकार की प्रत्येक जमीन को मौके पर जाकर देखा जाय जैसा कि मुझे मालूम है कि आगे से जा कर इस तरह से काम किया जायगा, तो मेरा सुझाव है कि चूंकि किसान निरक्षर भट्टाचार्य है, उसे खेत से कोई वाकफियत नहीं, वह अपने खेत को नम्बर से या नाम से ही जानते हैं इसलिये पर्चियों में खेत के नम्बर के साथ उस खेत का नाम भी डाल दिया जाय। इस प्रदेश के हर गांव में हर किसान के खेत का एक नाम होता है चाहे किसान छोटा हो या बड़ा। जैसे किसान के खेत का नम्बर २५ है तो वह उसको पचविघिया कहता है, दूसरे अपने खेत को चौबिघिया कहते हैं। इस तरह से नम्बर के साथ उसका नाम भी दर्ज होना चाहिये। ऐसा करने से किसान को आसानी हो जायगी और वह फौरन समझ जायगा कि किस का खेत उसको मिला है और वह अच्छा है या खराब। उसकी जानकारी विस्तृत हो जायगी और वह धोखे में नहीं रहेगा। इस मामले में मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी पर्चियों में एक कालम और बढ़वा दें। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

दूसरे यह कि जो वर्गीकरण जमीन का किया जायगा उस समय अगर किसी का खेत बंजर है, उसमें रेह पड़ गयी है या वह ऊसर हो गया है तो उसे गांव समाज के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये और उसके लगान में उसी हिसाब से कमी कर दी जानी चाहिये। ऐसा होने पर इस बात का अवसर नहीं रहेगा कि वह किसी दूसरे किसान को मिले जिससे कि उसका नुकसान हो।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह महकमा अस्थायी है। इसमें जो सर्विसेज हैं उनका कुछ पुष्टीकरण होना चाहिये। यह मैं मानता हूं लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि इस मुहकमे में जो डिपार्टमेंटल तरक्कियां दी जाती हैं उनका आधार ज्यादा चक बनाने पर नहीं होना चाहिये। ४,००० चक बना दिये तो तरक्की हो गयी, यह नहीं होना चाहिये। ४,००० चक कैसे बन जाते हैं इसकी भी एक कहानी है। लेखपाल बैठ गया, कंसालिडेटर बैठ गये और चक बना कर खानापूरी कर दी और ठीक तरह के चक बन नहीं पाये, ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर, मैं अपने जिले की मिसाल देना चाहता हूं। वहां के अधिकारियों को तरक्की दी गयी और जब वह तरक्की पाकर दूसरे जिले में चले गये उसके बाद जब अपीलें हुई और फिर से छानबीन हुई तो कई गांवों की चकबन्दी रोक दी गई और कई गांवों की चकबन्दी फिर से उलट दी गयी। चार साल उन पर काम हुआ और वह उसके बाद उलट दी गयी तो मैं यह चाहता हूं कि यह तरक्की का आधार काम न रख कर यह रखा जाय कि जिसकी कम शिकायतें हों, जिसके काम के बाद कम अपीलें हों, उनको तरक्की दी जाय। जब यह देख लिया जाय कि काम अच्छी तरह से हो रहा है तो तरक्की दी जाय। हमें खाद्य की समस्या को हल करना है। बड़ी विकट

[श्री होरीलाल यादव]

समस्या है। मैं चाहता हूं कि अलाभकर जोतों का लगान माफ कर दिया जाय और वह लगान इस शर्त पर माफ किया जाय कि वह लगान खेती की तरक्की के लिये, छोटी सिंचाई की योजनाओं को बनाने के लिये अच्छे बीज के प्रबन्ध के लिये ही काम में लाया जायगा। इससे मेरा खयाल है कि ज्यादा पैदावार हो सकेगी और काश्तकारों को भी ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी।

सीलिंग के सिलसिले में भी माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें कहीं। इसके विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जमींदारी के खात्मे की तरह से इस मामले में ज्यादा ढील न दी जाय। अगर आपको सीलिंग करना है तो मंत्री जी को तुरन्त एक हुक्म निकाल देना चाहिये कि अमुक तारीख तक सीलिंग का कानून पास कर दिया जायगा और आज की तारीख से कोई भी अपनी जमीनों को ट्रांस्फर नहीं कर सकता है, न अपनी जमीन किसी को दे सकता है।

*राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, इस राजस्व विभाग की मांग पर बहस चल रही थी। उसको मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा हूं। अगर मैं हाउस में नहीं भी रहा हूं तो मेरे सहयोगी धर्मसिंह जी उन बातों को नोट करते रहे हैं। उन सब बातों को ध्यान में रख कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हर साल जो बातें कही जाती थीं, इस साल भी वही बातें दुहराई गयी हैं। उन बातों को कहने का रिवाज सा पड़ गया है और बराबर वही बातें कही जाती हैं।

मसलन्, लेखपालों को ही ले लीजिये। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है, मैं इससे इंकार नहीं करता अगरचे कि मुझे संदेह है कि हमारे समाज का कोई अंग ऐसा है जहां भ्रष्टाचार न हो। मुल्क गरीब है और हमारे किसान अशिक्षित हैं और हमारे कर्मचारी, विशेषकर लेखपाल गांव में ही रहता है और हजारों की तादाद में किसानों से उसका वास्ता रहता है, जो कि बेपढ़े-लिखे और गरीब हैं। अब लेखपालों को कुछ न कुछ अधिकार तो देने ही पड़ते हैं। जब किसी आदमी को अधिकार दिया जाता है तो उसका वह दुरुपयोग कर सकता है। मैं इससे भी इंकार नहीं करता कि कोई लेखपाल उसका दुरुपयोग नहीं करता है। मुझे जो इंकार है वह इससे है कि सब लेखपाल दुरुपयोग करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। अब, जितने बड़े अधिकार होंगे उतना ही बड़ा उनका दुरुपयोग होगा। पटवारी को जितने अधिकार थे उसके दसवें भाग लेखपाल को अधिकार हैं। अगर उसको बिलकुल अधिकार न दिये जायं तो उसको रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर उसको रखने की कोई आवश्यकता है तो उसके कोई कर्त्तव्य होंगे उन्हीं को हम अधिकार कह सकते हैं, अगर वह उनका पालन नहीं करता है तो वही उसका दुरुपयोग है। अब हमें देखना यह है कि उसको जो अधिकार दिये हुये हैं क्या वे बहुत ज्यादा हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक किताब है भू-क्रान्ति उसमें एक चैप्टर ही इस बात पर है कि पहले पटवारी को क्या अधिकार थे और अब लेखपाल को क्या है। राजस्व विभाग से एक पैम्फलेट पंचायत राज पत्रिका में अक्सर निकाला गया था "देन एन्ड नाऊ' वह माननीय सदन के माननीय सदस्यों को भी दिया गया था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा अगर मैं यह कहूं कि उसको पढ़ने की तकलीफ बहुत कम लोगों ने की। अगर उन को पढ़ लिया जाता और गांव वालों को समझा दिया जाता तो लेखपालों को जो थोड़े बहुत अधिकार दिये गये हैं उनका दुरुपयोग नहीं होता। अब गांव वालों का क्या कर्त्तव्य है या पटवारी के अधिकार कितने कम हुये हैं इसको कौन समझाये गांव वालों को ? क्या मैं समझाऊं ? मैं तो गांव-गांव जा नहीं सकता। क्या यह तहसीलदार का काम है ? तहसीलदार भी गांव-गांव नहीं जा सकता। गांव समाज मैनुअल हर पंचायत के पास है, हर सभापति के पास पहुंच गई है और उसमें यह लिखा हुआ है। अब अगर गांव वाले लुटते हैं या रिश्वत देते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका इलाज क्या है ? राज कर्मचारियों का यह काम नहीं है कि प्रचार करते फिरें। एक तहसील में साढ़े चार सौ गांव पड़ते हैं और बस्ती के जिले में ७,६४६ गांव हैं और ६ तहसीलें हैं, करीब साढ़े १२ सौ गांव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तहसील में हो गये। एक तहसील में एक तहसीलदार के पास २ नायब तहसीलदार हैं तो क्या यह तीन कर्मचारी गांवों में प्रचार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्र गंगाप्रसाद जी शायद इस समय यहां पर नहीं हैं। एक और मेरे दोस्त श्री राजकुमार जी मिर्जापुर से तशरीफ लाते हैं उनसे और जो और मेरे मित्र उस तरफ बैठते हैं उनके सामने में रखना चाहता हूं कि हमने यह नियम बना दिया है कितने वर्षों से कि अगर लेखपाल किसान को उसके खेतों की फर्द नहीं देता है जिसके लिये उसे पहले तहसील में जाना पड़ता था और जब पटवारी तनख्वाह लेने के लिये आता था तभी वह फर्द भी लाता था जिसके लिये उसे दोबारा तहसील जाना पड़ता था–जिसके लिये कि सभापति को हक हासिल है कि वह लेखपाल को बुलाये और उससे कहे कि यह तुम्हारी ८ आना कानूनी उजरत मौजूद है, उसको बना दो, फिर भी अगर वह फर्द नहीं देता है तो सभापति को हक हासिल है कि वह उसकी शिकायत तहसीलदार से करदे, इसके अलावा सभापति को यह अधिकार तो दिया नहीं जा सकता कि वह लेखपाल को बरख्वास्त कर दे, और सभापति की शिकायत पर लेखपाल को सजा मिलेगी। अब अगर किसान गांव के सभापति के पास न जाय या सभापति अपने अधिकार को न समझे और लेखपाल को कोई २५ रुपये फर्द हासिल करने के लिये दे दे तो मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसमें क्या करे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—यह भी जांच लीजिये कि कितनी दरख्वास्तें सभापतियों के पास पड़ी हैं और सभापतियों ने कितने लेखपालों की शिकायतें की हैं।

श्री चरणसिंह—मैं जानना चाहूंगा कि कौन–कौन से प्रधानों ने तहसीलदार के पास शिकायत की जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझको लिखकर बताया जाय तो मैं फौरन कार्यवाही करूंगा। अकेले आप ही ऐसी बात आज कर रहे हैं कि पटवारियों के खिलाफ नकल न देने पर शिकायत की गई और उसकी सजा नहीं हुई। गांव वालों का फर्ज है कि उसकी शिकायत करें और अगर उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता तो उसके लिये बन्दा यहां पर हाजिर है। लेकिन सिवा इसके कि यहां लेक्चर में कहा जाय और बीच बीच में न बोलें तो मुझे टोक कर यहां यह हवा पैदा करने की कोशिश की जाय। मैं जानना चाहता हूं कि किसी ने मुझको लिख कर दिया है कि एस०डी०ओ० से लेखपाल की शिकायत की गयी, लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की। आखिर १८ हजार लेखपाल हैं और ६७ हजार गांव सभापति हैं, तो क्या यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो ६७ हजार गांव सभापति हैं उनमें से सब के सब अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं? नहीं, ९५ परसैंट नहीं कर रहे हैं और मैं यह भी नहीं कहता कि १८ हजार जो लेखपाल हैं वे सब के सब ईमानदार हैं। मैं तो केवल यही कहता हूं कि गल्ती वे करते हैं। लेकिन उसके ऊपर हमने गांव सभापति को अधिकार दिया है और वे आमतौर पर अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं करते हैं। अगर उनकी शिकायत करनी हो तो उनके ऊपर तहसीलदार और एस०डी०ओ० मौजूद हैं और अगर वे भी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो आखिर कलेक्टर मौजूद हैं और उसके ऊपर भी यहां गवर्नमेंट मौजूद है। वाकया यह है कि जितने अधिकार हमने गांव वालों को दे रखे हैं उनको वे सम्भाल नहीं पा रहे हैं। हमारे गांव वालों का सोशल कांशसनेस अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। लेखपालों की बात तो छोड़ दीजिये, उसके पास तो बस्ता है और उसको हमने कुछ अधिकार दे रखे हैं। अगर अधिकार न होगा तो उसे रखने की जरूरत ही नहीं समझेंगे लेकिन गांव वालों के पास तो बस्ता नहीं है वे बे पढ़े लिखे हैं, अगर उनको कोई एक्सप्लाइट करना चाहे और उसे हम रोकना चाहें तो उनका एक्सप्लाइटेशन तब तक नहीं रुक सकता है जब तक कि उनमें जागृति न हो और जागृति रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आर्डर से नहीं आयेगी। लेखपाल तो रिश्वत लेते रहेंगे, पतरौल तो रिश्वत लेते रहेंगे, रेवेन्यू राज्य कर्मचारी रिश्वत लेते रहेंगे जब तक कि जनता में जागृति नहीं हो जायगी।

[श्री चरणसिंह]

श्री गंगाप्रसाद जी ने कहा कि फर्द के लिये २५ रुपये मांगे गये। वह मुझसे बतलावें कि फलां पटवारी ने फलां आदमी से इतना रुपया लिया और उ होंने उसकी तहकीकात कर ली है। फिर वह देखें कि मैं यहां से सस्पेंशन आर्डर देता हूं या नहीं।

अब रही रिमावर्स कालम में अधिकार दिये जाने की बात। अगर लेखपाल उस कालम में किसी की ऐंट्री करता है तो पहले वह दोनों फरीक को इत्तिला देता है और दोनों के दस्तखत हासिल करता है, गांव समाज के प्रधान को इसकी इत्तिला देता है और उसका दस्तखत हासिल करता है, उस हल्के के कानूनगो को इसकी इत्तिला देता है और उसका दस्तखत हासिल करता है और अगर इस तरह की इनफार्मेलिटी वह नहीं बरतता और कहीं पर गफलत कर देता है तो लैन्ड रेवेन्यू मैनुअल में दिया हुआ है कि उस हालत में वह अदालत में जाय। अब क्या किया जाय? कई और सुझाव हैं, मैं नहीं कहता कि जो हमारी स्कीम है वह परफेक्ट है। आदमी की कोई स्कीम परफेक्ट नहीं होती। ऐडमिनिस्ट्रेशन के सामने तो "च्वायस बिट्वीन टू ईविल्स" होती है कि लेसर क्या है। तो जो हमारा नियम है उसमें कहीं गलती करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो सुझाव आते हैं उनका मैं वेलकम करता हूं और मैं हजार बार कह चुका हूं लेकिन बजाय सुझाव देने के कोई नुक्ताचीनी ही करना चाहे तो ठीक है वह नुक्ताचीनी कर सकता है। उससे किसी को कोई सहायता नहीं मिलती।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मालगुजारी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। श्रीमन्, माननीय मोतीलाल अवस्थी जी से मैं कहना चाहता हूं कि बीच-बीच में बोलने की आखिर क्या आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं कह रहा था कि कलेक्टर से भी मैंने शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---जब तक वह बैठ न जायं तब तक मैं इस तरह से आपको बीच-बीच में बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चरणसिंह---अब केवल १० मिनट रह गये हैं.....

एक सदस्य---समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समय बढ़ाने वाला नहीं हूं।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, मैं भी समय बढ़ाने की दरख्वास्त नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी अभी ही बरेली जाना है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, समय बढ़ाने के लिये तो कहा ही जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसकी तो प्रार्थना मैं कर ही सकता हूं कि माननीय मंत्री जी बरेली न जायं।

श्री अध्यक्ष---यह तरीका ठीक नहीं है। आप उनको बोलने दें।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मालगुजारी के मुताल्लिक तीन-चार बातें कही गयी हैं जो पहले भी कही जा चुकी हैं। एक माननीय मित्र कल कह रहे थे कि मालगुजारी दूसरे सूबों में कम है और हमारे यहां ज्यादा है। मैं उसका जवाब कई बार दे चुका हूं कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से जो आंकड़े दिये गये हैं वे दूसरे सूबों के मुताल्लिक उस जमाने के हैं जब वहां जमींदारी खत्म नहीं हुई थी और हमारे यहां उस साल के हैं जब जमींदारी खत्म हो चुकी थी। हम किसानों से रेंट ले रहे हैं और वह रेवेन्यू ले रहे थे। वैसे रेंट ज्यादा नहीं

है। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि प्रोड्यूस का १/६ रेंट हो तो जायज है, हमारे यहां तो १/२० है। केरल एग्रेरियन बिल में १/४ से १/८ और १/६ से १/१२ किया है उसके मुकाबले में हमारे यहां रेट कहिये या मालगुजारी कहिये ज्यादा नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि साढ़े ६ एकड़ तक अनएक्नामिक होल्डिंग्स की मालगुजारी खत्म कर दी जाय तो १५ करोड़ रुपये का नुक्सान होगा। बड़ी खुशी की बात है खत्म कर दीजिये। मैं कहता हूं कि साढ़े १२ एकड़ तक खत्म कर दीजिये। किसान हमारा बड़ा गरीब है। चारों तरफ से यही आवाज है और मैं भी उससे सहमत हूं कि किसान हमारा बहुत गरीब है। तो फिर अमीर कौन सा तबका रह गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि कि जब सारे ही यहां किसान बसे हुए हैं ८६·४ प्रतिशत लोग देहातों में बसे हुए हैं उनमें ७४ फीसदी किसान और मजदूर हैं और १२ फीसदी उनकी सेवा करने वाले गरीब जैसे तेली, धोबी वगैरह हैं और शहर के अन्दर भी कुछ हैं जो उसी हैसियत के हैं या उससे कुछ बढ़िया हैसियत के तो उनको भी हर तरह के टैक्स से बरी होना चाहिये, तो फिर रुपया कहां से आयेगा ? सारे गरीब ही हैं। इन गरीबों से ही पैसा आना है अगर इस मुल्क को डेवलप करना है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो गरीबों से पैसा लेते हैं और गरीब अपनी बात कह नहीं सकता और तब वे मुल्क को डेवलप करते हैं। हमने पंचायत राज कायम किया है तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और तरह-तरह के आदमी चुन कर भेज सकते हैं मुख्तलिफ खयाल के, लेकिन अगर हम वही बात कहें जो आज के टैक्सपेयर को अच्छी लगे, इस गरीब को अच्छी लगे तो फिर पैसा कहां से आयेगा ? इसलिए इस मालगुजारी को माफ नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता हूं कि कोई भी पार्टी पावर में आये, जब तक नान एग्रिकल्चरल रिसोर्सेज देश में पैदा नहीं हो जाते तब तक वह भी मालगुजारी माफ नहीं कर सकेगी।

एक सदस्य—आधी तो कर देगी।

श्री चरणसिंह—अगर पहले की प्राइसेज की तुलना की जाय, तब तो मालगुजारी १/४ है। एग्रिकल्चरल प्राइसेज का जो इंडेक्स है ३० का, उस को देखते हुए जब एक्नामिक डिप्रेशन था, उस वक्त के सर्किल रेट से आज के सर्किल रेट की तुलना की जाय, आज की प्राइसेज को देखते हुए तो आज यह लगान दुगुना और तिगुना हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि पंचायतों के जरिये मालगुजारी वसूल की जाय। पंचायतें अब अपना टैक्स वसूल करती हैं तब तो तहसीलदारों को अपील जाती है कि हमारा टैक्स वसूल करवा दो। हां, मालगुजारी वसूल करने का स्लोगन लगाया जा सकता है। ऐसी बातें प्रोग्रेसिव मानी जाती हैं। ऐसे कुछ नारों के चक्कर में भी हम फंस गये हैं।

लिटिगेशन की बात जालौन के माननीय गोविन्दनारायण तिवारी जी ने कही कि बढ़ गया है। मैं कहता हूं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू में जितना लिटिगेशन था साल ब साल घटता जा रहा है, एडीशनल कमिश्नर के यहां अपीलें घटती चली जा रही हैं और रेवेन्यू प्रैक्टिशनर्स जो जिले ब जिले में हैं उनसे पूछिये कि हालत क्या है। बीच में हम लोगों ने लाखों आदमियों को नोटिस दी उनका कम्पेन्सेशन तय करने के लिये, इस वजह से कुछ लिटीगेशन तहसील के लेविल पर दिखाई देता है वह लिटीगेशन नहीं है। वह जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के इम्प्लीटेशन के फलस्वरूप जारी करने पड़े।

अब दो बात मुझे और कहनी हैं, सीलिंग और कोआपरेटिव फ़ार्मिंग की बात कुछ नहीं कही। सीलिंग और कोआपरेटिव फार्मिग के मुताल्लिक मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं जो गवर्नमेंट की पालिसी है। जहां तक कोआपरेटिव फ़ार्मिग का ताल्लुक है वह ऐग्रीकल्चर और कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का वास्ता है। क्योंकि मेरी राय उस सिलसिले में थी तो मालूम होता है कोआपरेटिव फ़ार्मिग के साथ में बंध गया हूं। मुझसे कोई वास्ता नहीं है। कोआपरेटिव

[श्री चरणसिंह]

फार्मिंग लोग रजामन्दी से करें यह गवर्नमेंट की पालिसी है गवर्नमेंट मदद करेगी, लेकिन जो कुछ स्पीचेज यहां होती हैं, कोई अपने यहां जाकर भी तो कराये गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एनकरेजमेंट मिलेगा।

रही सीलिंग की बात। तो मैं कह चुका हूं सीलिंग रखी जायगी। मेरी अपनी जाती राय ५० एकड़ की है। अब कुछ साढ़े बारह एकड़ कहते हैं, कुछ सवा छः एकड़ कहते हैं, कुछ साढ़े चार एकड़ कहते हैं। इन्साफ़ तो भूमि का तब होगा जब साढ़े चार एकड़ हर आदमी के पास हो और उसके बाद औलाद बराबर पैदा हो, वरना फिर इनइक्वैलिटी हो जायगी।

अब जहां तक ५० एकड़ की बात है वह इसलिये कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि ३ फैमिली होल्डिंग्स के बराबर हो जिसकी आय, नेट इन्कम, ३,६०० रुपया हो। तो लार्ज लैंड होल्डिंग्स एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स में जो उसूल रखा गया है उसके हिसाब से औसतन ५० एकड़ तीन फ़ैमिलीज़ की बैठती है। आप चाहे जो कुछ रखें।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि आर्डिनेंस पास कर दिया जाय। आर्डिनेंस नहीं पास हो सकता, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसके मातहत, जब तक कांस्टीट्यूशन चेंज न हो, आर्डिनेंस ही नहीं आप कोई ऐक्ट भी नहीं पास कर सकते। लोगों के जो राइट्स हैं अपनी प्रोपर्टी को ट्रांसफर आदि करने के उनको प्रोहिबिट नहीं कर सकते। यह लीगल ऐडवाइस है। किन्हीं साहब को यह भ्रम हुआ कि साहब आप सीलिंग रखना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जमीन उसके पहले बंट जाय, आर्डिनेंस नहीं निकाल रहे हैं। तो यह कांस्टीट्यूशनल पोजीशन है।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात है सीलिंग पहले कर दी जाय और कंसालीडेशन बाद में हो। एक साहब ने कहा कि कंसालीडेशन पहले कर दी जाय और सीलिंग बाद में हो। दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता ही नहीं। कंसालीडेशन पहले हो जायं सीलिंग बाद में रखी जा सकती है कोई फर्क़ नहीं पड़ता। सीलिंग पहले रखी जा सकती है कंसालीडेशन बाद में हो सकती है, कोई एफ़ेक्ट नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं हाउस इन अनुदानों को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। मालगुजारी की वसूली, कागजातदेही की दुरुस्ती और मुख़्तब करने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं के सुपुर्द करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह कि सम्पूर्ण अनुदान २ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। मालगुजारी जितनी जमींदारों से सरकार को मिलती थी उतनी ही किसानों से ली जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। अलाभकर जोतों की माफी न करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में— २७,
विपक्ष में— ९०।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। भूमि पर हदबन्दी करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २ के अधीन ५० प्रतिशत की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। किसानों का लगान आधा होना चाहिये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी)—लेखा शीर्षक ७—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ६,१८,१३,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२७ फरवरी, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

लखनऊ जिन्दा अजायबघर का मासिक व्यय प्रतिमास, वर्ष १९५७–५८ में निम्नलिखित पड़ा है ।

	१९५७–५८
	रु०
अप्रैल	१५,२८३·३३
मई	११,४८७·१८
जून	७,१८२·६८
जुलाई	११,६२८·३२
अगस्त	१७,१४६·३७
सितम्बर	१६,३७९·१२
अक्तूबर	२०,२६३·७२
नवम्बर	२०,५७४·२९
दिसम्बर	२३,७२०·४१
जनवरी	४२,९५३·९५
फरवरी	३६,५९१·८४
मार्च	२५,११४·७०

१९५७–५८ में पूरा व्यय (कुल जोड़) २,४८,४२५·९१ रु० है जिसमें अजायबघर का हर व्यय उदाहरणार्थ, स्टाफ के वतन, जानवरों का क्रय, उनका खाना तथा अन्य सभी खर्चे सम्मिलित हैं ।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

लखनऊ जिन्दा अजायबघर में प्रवेश शुल्क आय दिनांक १ जनवरी, १९५८ से लगाय ३१ अगस्त, १९५८ तक प्रतिमास निम्नलिखित हुई :—

	रु०
जनवरी (१ जनवरी, १९५८)	३,३४७·४९
फरवरी	२,८९५·०४
मार्च ..	२,४०८·१९
अप्रैल	२,३९२·७५
मई	२,८४७·७५
जून	२,९९५·४३
जुलाई	२,७९०·७९
अगस्त (३१ अगस्त, १९५८)	२,३८५·१०
कुल योग ..	२२,०६२·५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

लखनऊ जिन्दा अजायबघर में निम्नलिखित प्रतिमास सीजनल टिकट जारी किये गये। मासिक प्रवेश टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है।

	सीजनल टिकट
२५ नवम्बर, १९५७ से ३० नवम्बर, १९५७	१०
दिसम्बर	१८
जनवरी	१५
फरवरी	६
मार्च	७
अप्रैल	१४
मई	७
जून	४
जुलाई	१८
अगस्त	१२
कुल योग ..	१११

अन्य प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

घटना में मरे हुये व्यक्तियों के नाम निवास स्थान का विवरण-पत्र

नाम	निवास स्थान
१—श्रीमती डीला, पुत्री बली गोडिया ..	ग्राम दुनिया का पुरवा मजरे लकडिया, थाना सुबेहा।
२—राम तीर्थ (उम्र ५ साल) पुत्र भेल्लर	,, ,, ,,
३—सिया राजा (उम्र ७ साल) पुत्री पल्टू	,, ,, ,,
४—दुलारा (उम्र १२ साल) पुत्री औतारी अहीर	,, ,, ,,
५—तिलकी (उम्र ८ साल)	,, ,, ,,
६—अनारकली (उम्र ६ साल) पुत्री सरजू	,, ,, ,,
७—दसरथा (उम्र ७ साल) पुत्र सरजू ..	,, ,, ,,
८—चन्द्रकला (उम्र १० साल) पुत्री परमेश्वर पासी	,, ,, ,,
९—राजपती (उम्र २ साल) पुत्री औतारी अहीर	,, ,, ,,
१०—स्त्री जगू पासी (१८ साल) ..	,, ,, ,,
११—डोमे (७ साल) पुत्र औतार अहीर ..	,, ,, ,,
१२—राजपती (उम्र २ साल) पुत्री औतार अहीर	,, ,, ,,

संसद सदस्य विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

जिला मैनपुरी के स्वास्थ्य विभाग के राजकीय कर्मचारियों का विवरण

पद का नाम	कुल संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या	वैकवर्ड क्लास के कर्मचारियों की संख्या
१—जिला स्वास्थ्य अधिकारी ..	१	..	..
२—लिपिक	५	..	..
३—सफाई निरीक्षक ..	२	..	..
४—इपिडिमिक असिस्टेन्ट ..	२	..	..
५—हेल्थ विजीटर्स ..	२	..	..
६—मिड वाइव्स ..	८	२	..
७—सेनीटरी जमादार ..	५	५	..
८—स्थाई दाइयां ..	१२	१२	..
९—जच्चा-बच्चा केन्द्रों के चौकीदार	११	११	..
१०—चपरासी	६	..	३
११—ड्राइवर	१	..	१
१२—क्लीनर	१	..	१
१३—सेनिटरी गैंगमैन ..	१३	९	४
योग ..	६९	३९	९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे के पृष्ठ १९ पर)

फिल्म का नाम	निर्माण पर व्यय
	रु०
१---डान आफ फ्रीडम	९,८५२.००
२---पुलिस परेड	१,६४८.००
३---कदम बढ़ाओ	१९,०३३.००
४---पहली किरन	१४,९५६.००
५---प्रान्तीय रक्षक दल	१,९१७.००
६---मार्च आफ टाईम्स	१०,८६३.००
७---प्रगतिशील उत्तर प्रदेश	२०,१३३.००
८---जल शक्ति	१३,२९०.००
९---हमारे वन	१२,२८३.००
१०---कल्याण	१०,६४०.००
११---उन्नति की ओर	११,८००.००
१२---स्वास्थ्य सुधार	११,४७७.००
१३---जेल सुधार	११,५००.००
१४---पुनर्जीवन	१०,०९०.००
१५---कुम्भ मेला	६,०६५.००
१६---जय गंगे	८,३००.००
१७---सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क	१५,९७५.००
१८---ममता मई मां	१६,२७५.००
१९---पहियों पर	१८,३३०.००
२०---जन सेवक	११,७८१.००
२१---आदर्श जेल जीवन	११,०४४.००
२२---पंचायत राज	८,९२०.००
२३---हरिजन कल्याण	१२,८३१.००
२४---भक्तों के भगवान	११,२६७.००
२५---पावन प्रदेश	२१,५००.००
२६---उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य	२१,५००.००
२७---बन्धन-मुक्त बंदी गृह	८,०००.००
२८---गोधन	१६,१७०.००
२९---महिला मंगल	१६,१८४.००
३०---छूत के रोग तथा उनसे बचने के उपाय	२०,२५०.००
३१---कुटीर उद्योग	१८,९००.००
३२---क्वालिटी मार्किंग स्कीम	२३,१२५.००
३३---दलित कुसुम	२४,०००.००
३४---सहस्र धारा	३१,८००.००
३५---यू० पी० के किसान	४२,०००.००
३६---पतित पावन	१९,८००.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फिल्म का नाम	निर्माण पर व्यय
३७—नव ज्योति	१५,०००.००
३८—ग्राम सेविका	१२,०६०.००
३९—युवक मंगल दल	१५,१८१.००
४०—बाढ़ ग्रस्त उत्तर प्रदेश	३,३००.००
४१—उत्तर प्रदेश के राज्य समारोह	३,३००.००
४२—रूप कुन्ड	३,३००.००
४३—उत्तर प्रदेश के मेले	३,३००.००
४४—हमारे अतिथि	३,३००.००
४५—खेल-कूद	३,३००.००
४६—हमारे नये समारम्भ	३,३००.००
४७—सम्मेलन और प्रदर्शनियां	३,३००.००
४८—श्रम कल्याण	१७,३५२.००
योग ..	६,२९,४९२.००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

अनुसूची 'अ'

१—प्रा० स्कूल, बरहता ।
२—प्रा० स्कूल, मुस्तफाबाद ।
३—प्रा० स्कूल, मथुरा ।
४—प्रा० स्कूल, सराय बीका ।
५—प्रा० स्कूल, बर्जीकलां ।
६—प्रा० स्कूल, ऊमावं
७—प्रा० स्कूल, करनौली ।
८—हायर सेकेन्डरी स्कूल, बेलवार ।
९—प्रा० स्कूल मेसहां, रामपुर ।
१०—आर० आई० कालेज, सुजानगंज ।
११—प्रा० स्कूल, बाहरपुर कलां ।
१२—प्रा० स्कूल, अरुवा ।
१३—प्रा० स्कूल, बराई ।
१४—जू० हा० स्कूल, सुजानगंज ।
१५—प्रा० स्कूल, बरपुर ।
१६—प्रा० स्कूल, तुरकोली ।
१७—प्रा० स्कूल, भगवानपुर ।
१८—प्रा० स्कूल, डाल्हूपुर ।
१९—प्रा० स्कूल, मुहकुचा ।
२०—प्रा० स्कूल, सलारपुर ।
२१—जू० हा० स्कूल, सांनहिता ।
२२—प्रा० स्कूल, कथीं कलां ।
२३—प्रा० स्कूल, भटोली ।
२४—प्रा० स्कूल, कोल्हुआ ।
२५—जू० हा० स्कूल, महाराजगंज ।
२६—प्रा० स्कूल, सराय दुर्गादास ।
२७—प्रा० स्कूल, सरायपरसराम ऊर्फ राजाबाजार ।
२८—प्रा० स्कूल, बधोजर ।
२९—प्रा० स्कूल, गढ़योपुर ।
३०—प्रा० स्कूल, सरूपपुर उर्फ पुरालाल ।
३१—प्रा० स्कूल, डोमपुर ।
३२—प्रा० स्कूल, पुरा गांभीर साह ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिय तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

अनुसूची 'ब'

नाम स्कूल जिसकी दीवारें दरवाजा खोलने के लिये तोड़ी गयीं	दरवाजा खोलने तथा मरम्मत करने का व्यय
	रु०आ०पा०
१—प्रा० स्कूल, बरहता	३०—०—०
२—प्रा० स्कूल, मुस्तफाबाद	१५—०—०
३—प्रा० स्कूल, करनोली	३०—०—०
४—प्रा० स्कूल, मथुरा	३०—०—०
५—प्रा० स्कूल, भैंसहा रामपुर	४५—०—०
६—प्रा० स्कूल, बराई	१५—०—०
७—प्रा० स्कूल, बरपुर	३०—०—०
८—प्रा० स्कूल, तुरकोली	३०—०—०
९—प्रा० स्कूल, आल्हूपुर	३०—०—०
१०—प्रा० स्कूल, सलारपुर	३०—०—०
११—प्रा० स्कूल, कन्धीकलां	१५—०—०
१२—प्रा० स्कूल, भटोली	१५—०—०
१३—प्रा० स्कूल, कोल्हुआ	४५—०—०
१४—प्रा० स्कूल, सराय दुर्गादास	१५—०—०
१५—प्रा० स्कूल, बधोजर	४५—०—०
१६—प्रा० स्कूल, गइयोंपुर	३०—०—०
१७—प्रा० स्कूल, सरूपपुर उर्फ पुरालाल	३०—०—०
१८—प्रा० स्कूल, पुरा गम्भीरशाह	४५—०—०
योग ..	५२५—०—०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

नवम्बर, १९५८ में बांदा जिले में जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियों की थानेवार संख्या जिन्हें सजा हुई अथवा रिहा हुआ

क्रम-संख्या	थाना		गिरफ्तार किये व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सजा हुई	व्यक्तियों की संख्या जो छूट गयी
१	बिसिंडा	..	७७	७७	
२	कोतवाली	..	१११	१८	..
३	बबौसा	..	२०	७	..
४	गिरवां	..	१०	..	..
५	भटौंध	..	८	..	..
६	करवी	..	२०	..	..
७	राजापुर	..	९	..	..
८	कालिंजर	..	६	..	..
९	मानिकपुर	..	१०	..	..
	योग	..	२७१	१०२	..

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३ पर)

सूची

	विभिन्न पदों के नाम	कर्मचारियों की संख्या	परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या	पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या
१	अमीन	१	..	..
२	क्लर्क	७	..	१
३	पेड अपरेंटिस	१	..	..
४	स्टेनोग्राफर	१	..	..
५	कापीस्ट	३	..	१
६	नाजिर	१	..	..
७	मुनसरिम	३	..	..
८	दफ्तरी	२	..	..
९	अर्दली	८	..	..
१०	चौकीदार	२	..	१
११	वाटर मैन	१	..	१
१२	स्पीकर	१	१	..
१३	प्रोसेस सरवर	१३	..	१
	जोड़	४४	१	५

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३६६ एल० ए०—१९५९—८४५ ।